ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 70 रुपये

वर्ष 52 अंक : 11

सितम्बर 2006

मूल्य : 7 रुपये

शिक्षा

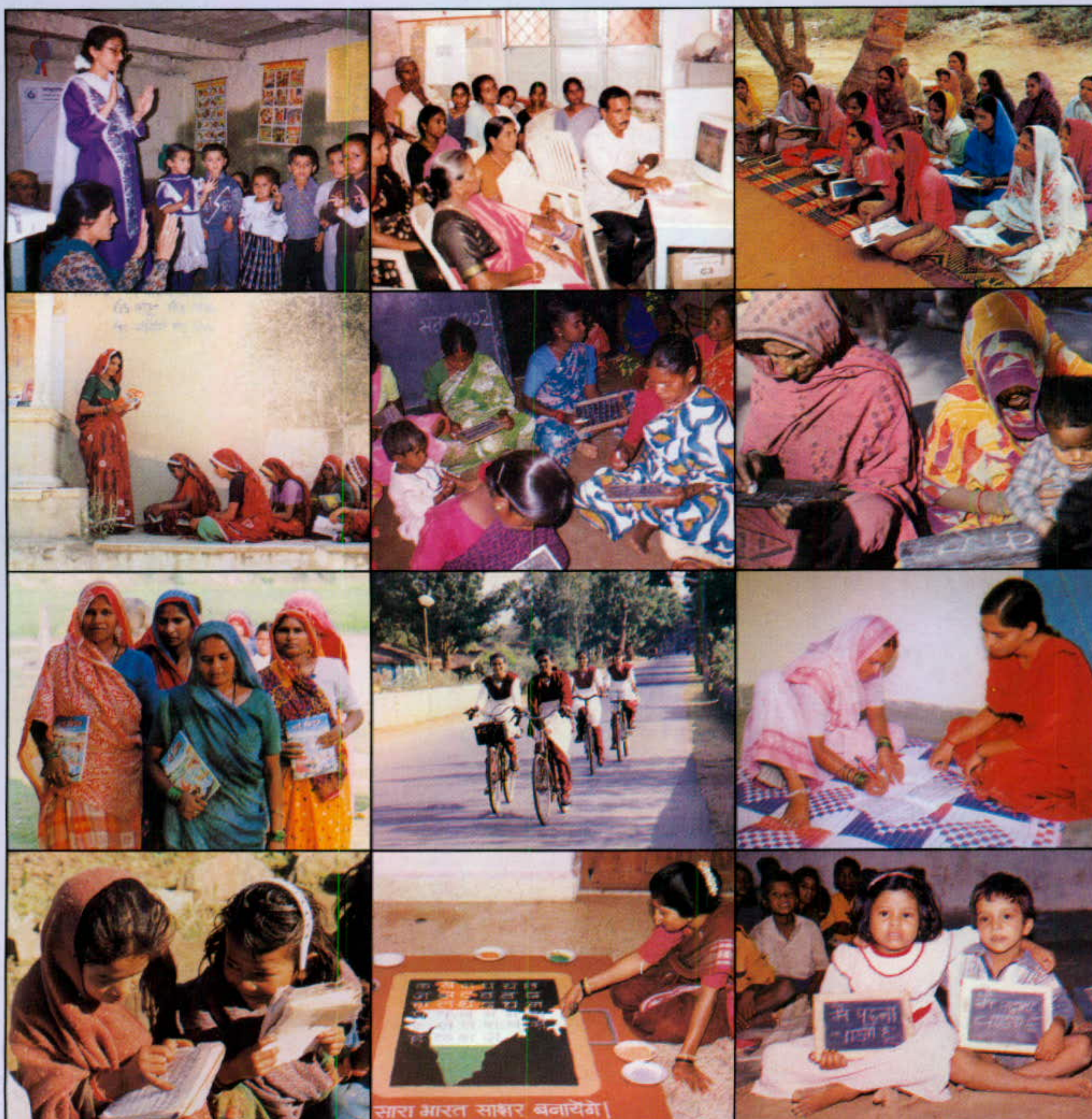

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण - मुख्य बातें

नए भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता और राजनैतिक सर्वसम्मति की आवश्यकता।
अर्थव्यवस्था प्रगति पर विकास बड़े पैमाने पर।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और भारत निर्माण परियोजना गरीबी के खिलाफ लड़ाई।
मुद्रास्फीति नियंत्रण प्राथमिकता। किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी।
आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई के लिए एकजुटता।

अर्थव्यवस्था

लगातार तीन साल तक 8 प्रतिशत की विकास दर भारत के इतिहास में अप्रत्याशित।
औद्योगिक क्षेत्र में विकास 11 प्रतिशत।

कृषि क्षेत्र

तीन वर्षों में किसानों के लिए कर्ज की सुविधा दोगुना। ब्याज की दर 7 प्रतिशत।
किसानों की कर्ज की समस्या का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन।
सहकारी ऋण व्यवस्था फिर से लागू करने के लिए 13000 करोड़ों रुपए का पैकेज।
राष्ट्रीय मत्स्य–पालन विकास बोर्ड का गठन।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत 200 जिलों में 2 करोड़ परिवारों को रोजगार।
हथकरघा और वस्त्र उद्योगों के लिए विशेष कार्यक्रम।

शिक्षा और युवा

कुशल कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा मिशन शुरू करने की योजना।
दोपहर का भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 12 करोड़ बच्चों को पौष्टिक आहार।
शिक्षा के अवसरों में व्यापक वृद्धि।
सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, सभी छात्रों के लिए शिक्षा के व्यापक अवसर।

बुनियादी ढांचा

भारत निर्माण कार्यक्रम की प्रगति अच्छी।
शहरों के विकास का एक दशक – बेहतर बुनियादी सुविधाएं, बेहतर प्रशासन।
औद्योगिक उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए नए विशेष आर्थिक जोन।
रेलवे और शहरी मेट्रो रेलों, नए हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों के कार्य में प्रगति।

विकास और कल्याण

परियोजना क्षेत्रों में विस्थापितों के लिए व्यापक पुनर्वास नीति।
250 जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष में 25,000 करोड़ रुपए की राशि।
एचआईवी–एड्स, तपेदिक और मलेरिया के खिलाफ जोरदार अभियान।
अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए नई पहल।
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता। बालिका भ्रूण हत्या रोकने पर जोर।

प्रशासन

सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने और भ्रष्टाचार समाप्त करने पर जोर।

जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र

जम्मू–कश्मीर में नए रास्ते खुले।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर सड़कें, रेल सेवाएं और हवाई अड्डे, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक पूंजी निवेश।

राष्ट्रीय सुरक्षा

आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई के लिए एकजुटता आवश्यक।
आतंकवाद कहीं भी हो, वही सभी क्षेत्रों की शांति और खुशहाली के लिए खतरा।
सुरक्षा और गुप्तचर व्यवस्था को आधुनिक बनाने की आवश्यकता।
शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे।
नक्सलियों की सीख – सत्ता बंदूक से नहीं, मतपेटी से हासिल होती है।

विदेश नीति

सभी बड़े देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध।
अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के देशों पर विशेष ध्यान।
एशिया के पड़ोसी देशों के साथ गहरे आर्थिक और राजनैतिक संबंध।

वर्ष : 52 ● अंक : 11 ● पृष्ठ : 64

श्रावण–भाद्रपद 1928, सितम्बर 2006

संपादक

स्नेह राय

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011

दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण एवं सज्जा

संजीव सिंह, रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

● शिक्षा : स्थिति और आयाम	प्रांजल धर	4
● भारतीय आधुनिक शिक्षा के बदले आयाम	उमेश चन्द्र अग्रवाल	7
● प्राथमिक शिक्षा : विजन 2020	राम मिलन मिश्र	15
● विकसित भारत के लिए ग्रामीण शिक्षा की अपरिहार्यता	अजय प्रताप सिंह	21
● भारत में महिला शिक्षा की स्थिति	विजय सिंह राघव	25
● शिक्षा : राष्ट्र विकास की कुंजी	करुण बहादुर सिंह	30
● शिक्षा एवं राष्ट्रवाद	सुजीत श्रीवास्तव	33
● मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा का बदलता परिदृश्य	महेन्द्र सिंह यादव	34
● राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति : एक विश्लेषणात्मक विवेचन	कुसुम सिडाना	39
● शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को नियमित भत्ता देने की अनोखी पेशकश	नीता गुप्ता	43
● ग्रामीण भारत की एक जटिल समस्या : निरक्षरता	बजरंग भूषण और बैजनाथ पांडेय	46
● राष्ट्र विकास के लिए जगानी होगी नारी शिक्षा की अलख	रीना सिंह	48
● शिक्षा के बदलते मानक	अर्चना पाण्डेय	52
● सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान	नीलम मकोल और संदीप शर्मा	53
● महिला शिक्षा क्यों और कैसे? एक विवेचन	श्याम मनोहर व्यास	55
● शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति	के.के.खुल्लर	56
● पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा	एम.एल. धर	58
● शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण	—	60
● ओजोन नहीं तो जीवन नहीं	राकेश शर्मा	61
● ओजोन परत में क्षति	अभिनय कुमार शर्मा	63

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत-सम्मत

श्रम और श्रमिकों पर आधारित कुरुक्षेत्र का मई 2006 अंक, सभी पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। जहां आशुतोष शुक्ल का लेख 'श्रम और श्रमिकः इतिहास और विकास' श्रमिकों की स्थितियों में हुए सुधारों को सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करता है, वहीं यह लेख अत्यन्त मार्मिक भी लगा। पत्रिका के इस अंक में बालश्रम से सम्बन्धित विभिन्न लेखों ने बालश्रम के सभी आयामों से बखूबी परिचित कराया। 'ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' से सम्बन्धित लेखों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनस्तर को सुधारने के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया है। वस्तुतः उच्च जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं में सबल सकारात्मक सम्बन्ध होता है और ये लेख इस दिशा में लोगों को और जागरूक बनाने का सफल प्रयास करते हैं।

आलोक कुमार तिवारी, इलाहाबाद

पिछले वर्ष से मैं कुरुक्षेत्र का नियमित पाठक हूं। मई 2006 का अंक पढ़ा। वैसे तो सभी लेख आकर्षक लगे परंतु मैं खासकर श्रम और श्रमिकः इतिहास और विकास तथा बालश्रमः मानवता पर एक अभिशाप लेखों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। हमारे देश में श्रमिकों की संख्या विश्व के श्रमिकों का एक–तिहाई है सर्वाधिक श्रमिकों की जनसंख्या का देश होने के बावजूद यहां के श्रमिकों की दशा अत्यंत दयनीय है, वे कई सालों से पूंजीपतियों के शोषण का शिकार होते चले आ रहे हैं तथा उन्हें बंधुआ मजदूर भी बनाकर रखा जाता रहा है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल–श्रम पूर्णतः निषिद्ध किया गया है। इसके बावजूद ही हम कई खतरनाक फैक्ट्रियों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम में संलग्न देख सकते हैं जो कि हमारे संविधान की अवमानना है। हमारी सरकार तथा वरिष्ठ अधिकारियों को बच्चों के प्रगतिशील भविष्य के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए ताकि सही मायनों में बच्चों का देश का एक सच्चा नागरिक बनाया जा सके।

(एक जागरूक पाठक)

कुरुक्षेत्र का जून अंक पढ़ा, इस पत्रिका में भारत के विकास एवं समस्याओं को जन–जन तक पहुंचाने का कार्य सराहनीय है। कुरुक्षेत्र पत्रिका से सिर्फ उच्च शिक्षित वर्ग के लोगों को ही नहीं वरन् सामान्य साक्षर व्यक्ति को भी इससे अवगत रहना चाहिये क्योंकि गांवों के विकास पर ही भारत के विकास की आधारशिला खड़ी हो सकेगी। जून के अंक में जल समस्या, ऊर्जा आवश्यकता तथा जैव–विविधता से जुड़ी पर्यावरणीय क्षति को बहुत ही सशक्त तरीके से समझाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका के चित्र एवं लेख संग्रहणीय है। मैं मई माह से सिविल सेवा हेतु तैयारी कर रहा हूं और 2007 की परीक्षा पास करने के लिए प्रमाणिक पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' को चुना है।

इस पत्रिका में नवीनतम आंकड़े तथा मुद्दे पढ़ने योग्य है, इसकी लेखन शैली ने मेरे सोचने की क्षमता तथा लेखन को सुधारा है।

रामदयाल कुशवाहा, वाराणसी

जबसे 'कुरुक्षेत्र' पढ़ रहा हूं, तब से लेकर आज तक जून सा मर्माहत कर देने वाला अंक नहीं पढ़ा था। पर्यावरण संकट के कारण व सुझाव बतलाते अंक में सभी आलेख तार्किकता पर खरे उतरते नजर आए। क्या यह कम भयाक्रान्त करने वाली बात है कि निकट भविष्य में सामान्य जीवन व्यतीत करने हेतु हमें एक और पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी। जल के लिए त्राहि–त्राहि मचेगी और स्वच्छ वायु में सांस लेना भी दुर्लभ होगा। सबसे खीज पैदा करने वाली बात तो यह है कि वैज्ञानिक निरन्तर चेतावनी दर चेतावनी देते जा रहे हैं और मदांध मानव प्रकृति को पूर्णतः दोहने कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। आज का मानव प्रगति का दंभ भरता है जबकि कटु सत्य तो यह है हम आने वाली पीढ़ियों को उतना भी देने में असमर्थ हैं जितना पूर्वजों द्वारा हमें मिला है।

मिथिलेश कुमार, बिहार

कुरूक्षेत्र 2006, जून का अंक प्राप्त हुआ। जैव विविधता संरक्षण के बारे में कुछ अमूल्य जानकारियां प्राप्त हुई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वव्यापी विषय है जिसकी ओर ध्यानाकर्षण अति आवश्यक है। आज मनुष्य अपनी भोग विलासितावादी प्रवृत्ति के साथ प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता जा रहा है। उसे इस विलासिता के दूरगामी खतरनाक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं।

आज पर्यावरण असंतुलन के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि CO_2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें हमारे

वायुमंडल में भारी मात्रा में विद्यमान हैं। प्राचीन समय में जहां वृक्षों को बहुत महत्व दिया जाता था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुराने समय में एक कहावत थी कि "एक वृक्ष सौ पुत्रों के बराबर होता है" हमें कहावत के महत्व को समझना होगा तथा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी होगी जिससे जैव विविधता संरक्षण को सफलता प्राप्त हो सके।

रविशंकर पवैया, मध्य प्रदेश

ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका कुरुक्षेत्र का नियमित पाठक हूं और लगभग 3 साल से इसे पढ़ता आ रहा हूं। यह मेरा पहला पत्र है। जनसंख्या पर आधारित जुलाई अंक पढ़ा बेहद पसंद आया। सुरेन्द्र सिंह चौधरी का लेख माइक्रो सिंचाई प्रणाली काफी अच्छा लगा।

'कुरूक्षेत्र' पत्रिका के हर नये अंक का बेसब्री से इंतजार रहता है। पत्रिका हकीकत में ग्रामीण विकास से संबंधित पत्रिका है। आशा है पत्रिका का नियमित पाठक बना रहूंगा तथा पत्रिका के माध्यम से ग्राम योजना के बारे में सारी जानकारी मिलती रहेगी।

अमन खान गौरी, उत्तर प्रदेश

कुरूक्षेत्र के जुलाई माह के अंक में बढ़ती हुई "जनसंख्या समस्या और भविष्य" विभिन्न लेखों के माध्यम से इस चुनौती को जिस तरह रेखांकित करते हुए चर्चा की गई उसके लिए सभी लेखको का धन्यवाद। किसी भी राष्ट्र की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होनी चाहिए तभी वह देश खुशहाल एवं विकसित राष्ट्र बनता है। आज जिस तरह से भारत में प्रतिवर्ष 12 मिलियन की दर से इस देश में जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वह भविष्य के लिए इस चुनौती से लड़ने के आज इस देश का प्रत्येक नागरिक इस को सजग रहने की जरूरत है।

दीपक कुमार सिंह, झारखंड

मैं एक किसान हूं एवं 'कुरूक्षेत्र' का नियमित पाठक हूं। पिछले आठ–नौ माह से लगातार इस मनमोहिनी पत्रिका को खरीदकर अध्ययन कर रहा हूं। इस पत्रिका के द्वारा हमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित अनेक योजनाओं की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही कृषि के लिए नये तरीके की भी जानकारी समय–समय पर मिलती रहती है। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़े अनेक प्रकार की जानकारी परक रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। सचमुच यदि हमलोग जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाये तो हमें गरीबी, अशिक्षा, अस्वच्छता, अज्ञानता जैसी समस्याओं के समाधान हेतु क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सभी कल्याणकारी योजनाएं महज एक दिखावा साबित होंगी। अतः जरूरत इस बात की है कि हम जनसामान्य लोग भी इस कार्य में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। योजना चाहे कितनी ही सटीक एवं बड़ी हो जबतक जनसंख्या वृद्धि की समस्या रहेगी हम हर क्षेत्र में पिछड़े नजर आएंगे।

प्रदीप कुमार पंडित, बेलौनी

कुरूक्षेत्र का जुलाई 2006 का जनसंख्या पर आधारित खूबसूरत अंक पढ़ा। वास्तव में विश्व के महानतम लोकतंत्र भारत के सामने जनसंख्या एक गंभीर समस्या के रूप में मौजूद है। सारे लेख पसंद आये, लेकिन प्रांजल धर का लेख 'बढ़ती जनसंख्या वर्तमान और भविष्य' ने सर्वाधिक आकर्षित किया। लेखक ने तार्किक विशलेषण करके भारत और विश्व की स्थिति को आइने की तरह साफ कर दिया है। यह लेखक की प्रतिभा ही है कि एक बार में ही पूरा लेख पढ़ने से खुद को नहीं रोक पाया। प्रांजल जी के पिछले सारे लेख भी ज्ञानवर्धक तथा प्रभावशाली लगे।

यदि हम तार्किक दृष्टि से समाज की समस्याओं का विश्लेषण करे तो अधिकतर समस्याओं की जननी के रूप में अशिक्षा ही सामने आती है। अतः जरूरत है किसी धर्म और संम्प्रदाय की मान्यताओं को ध्यान में रखे बिना कानून बनाने की। चूंकि संसाधन सीमित मात्रा में है अतः सरकार को इस संबंध में कुछ कठोर निर्णय लेने ही होंगे। साथ–साथ जनता को भी सरकार के इस कार्य में सहभागी के रूप में साथ देने की।

कमलेश कुमार, जौनपुर

मैं आपकी पत्रिका 'कुरूक्षेत्र' का गत जनवरी से नियमित पाठक हूं। आपकी यह पत्रिका हमारे लिए हर महीने खुशियों की बहार लेकर आती है, और हमें हर महीने आपकी पत्रिका का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपकी यह पत्रिका देश की तमाम समस्याओं एवं उनका समुचित हल संजोये हुए रहती है। आज हमारे देश में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उनका विवरण एवं उनका निदान पढ़कर हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है तथा हम उस पर चिंतन करते हैं। जुलाई माह की पत्रिका में प्रकाशित लेख 'भारत में बढ़ती जनसंख्याः समस्या एवं निदान' पढ़कर अच्छा लगा।

संतोष कुमार पाल

कुरूक्षेत्र का जुलाई 2006 का अंक पढ़ा। सचमुच ही जनसंख्या एक परेशानी के रूप में हम सभी के सामने आ रही है। आपके सभी लेख काफी पसंद आए। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र हूं। मुझे प्रांजल धरजी का लेख काफी पसंद आया। धर जी ने बढ़ती जनसंख्या की उलझनों को ढंग से समझाया है। वैश्विक विश्लेषण के साथ–साथ भारत के राज्यों का भी विश्लेषण लेखक ने किया है जिससे हकीकत जानने में आसानी का अनुभव हुआ।

रघुवंश कुमार, पूर्णिया, बिहार

शिक्षा : स्थिति और आयाम

प्रांजल धर

शिक्षा किसी भी आधुनिक, सभ्य, उन्नत और विकसित कहे जाने वाले समाज का अनिवार्य लक्षण है और इसके बिना प्रगति कभी भी पूर्ण और बहुआयामी नहीं हो सकती। एक शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित समाज या शिक्षित राष्ट्र ही प्रगति के दुर्गम पथ पर अनवरत यात्रा कर पाने में समर्थ होता है। शिक्षा पर विचार करते समय कुछ मूलभूत प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं। मसलन, शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, शिक्षित राष्ट्र क्या है और शिक्षित समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत किस सीमा तक सफल हुआ है? शिक्षा और साक्षरता में क्या अतंर है, मूलभूत स्तर तक प्राथमिक शिक्षा का प्रवाह सुगम बनाने में हम कहां तक कामयाब हुए हैं और कितनी दूरी तय करना अभी बाकी हैं? इस संबंध में सरकार के क्या दायित्व हैं और उसने इनका निर्वहन कितना और किस प्रकार किया है तथा एक शिक्षित नागरिक के क्या कर्त्तव्य हैं? भूमण्डलीकरण और अर्थव्यवस्था तथा विचारों के खुलेपन के इस दौर में ये सवाल और भी अधिक रोचक, महत्वपूर्ण व प्रासंगिक हो जाते हैं। खासकर जब उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर साथ–साथ गरमागरम बहसें जारी हों तब इन सवालों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना और भी अधिक जरूरी हो जाता है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति की अनिवार्य शर्त के रूप में प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करती है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा था कि आज के बच्चे ही कल के राष्ट्र के पिता हैं। भारत सरकार शिक्षा की सर्वजनसुलभता के लिए सक्रिय है और उसकी यह मंशा समय–समय पर चलाए गए तमाम कार्यक्रमों और कई अग्रगामी योजनाओं में स्पष्ट रूप से दिखती है। सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कुछ ऐसी ही प्रमुख परियोजनाऐं हैं जो धीमे–धीमे ही सही, शिक्षा के प्रचार–प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मध्याह्न भोजन योजना की शुरूआत हुए एक दशक से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। इसकी औपचारिक शुरूआत वर्ष 1995 के स्वतंत्रता दिवस को ही हो गई थी जिसका उद्देश्य विद्यालयों में दाखिला और उपस्थिति बढ़ाना है। इसका जोर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर है और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के स्वास्थ और पोषण पर भी यह ध्यान देती है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे कुछ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए जहां दोपहर भोजन कार्यक्रम चल रहा है वहां हर विद्यालय दिवस पर प्रत्येक बच्चे को सौ ग्राम अनाज (अन्न) देना। इसके लिए विकल्प भी मुहैया कराए गए हैं जिसमें हर बच्चे को हर माह तीन किलो अनाज इस महीने तक देना शामिल है। विद्यालय तक अनाज लाने के लिए विकल्प भी मुहैया कराए गए हैं जिससे हर बच्चे को हर माह तीन किलो अनाज दस महीने तक देना शामिल है। विद्यालय तक अनाज लाने के लिए परिवहन में छूट भी दी जाती है। वर्ष 2006–07 के हालिया बजट में सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए अरबों रुपए की व्यवस्था की है। विश्व का अपने प्रकार का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है। शिक्षा के प्रति गंभीरता व्यक्त करते हुए सरकार ने इस बजट में सर्वशिक्षा अभियान के तहत अगले साल डेढ़ लाख नए अध्यापक और 5 लाख नए क्लास रूम बनाने पर जोर दिया है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम चलाया गया था। जो सभी विद्यालयों को शामिल नहीं कर सका। अब सर्वशिक्षा अभियान इसके लिए वर्त्तमान ढांचे में प्रयास कर रहा है कि यह सुधरे। वर्ष 2002–03 से ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम को सर्वशिक्षा अभियान में मिला दिया गया ताकि इसका क्रियान्वयन सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से किया जा सके। स्थानीय समुदायों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी बनाकर शिक्षा का प्रचार–प्रसार करने के लिए एक उदाहरण राजस्थान की लोक जुंबिश परियोजना है। इस परियोजना में विकेंद्रीकरण के विचार को महत्व दिया गया था और यह स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से चलाई गई थी। राजस्थान में ही दूरदराज के अपेक्षाकृत पिछड़े गांवों को देखते हुए शिक्षाकर्मी परियोजना भी चलाई गई थी। इसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन में यह पता चला कि एक बड़ी रुकावट अध्यापकों का विद्यालयों से गायब रहना है।

लेकिन यह तमाम कार्यक्रम ही स्थिति का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं हैं। हर कार्यक्रम या योजना की अपनी सफलताएं और असफलताएं होती हैं और शिक्षा के लिए जारी कार्यक्रम भी इसके अपवाद नहीं हैं। भारत एक तीसरी दुनिया का राष्ट्र है जहां पर आबादी अधिक है, शिक्षा और

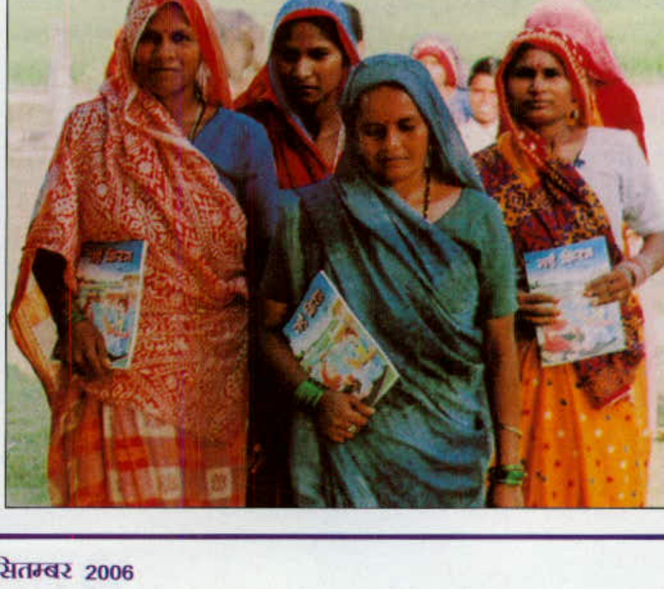

साक्षरता का स्तर विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम है। और विकास के कई प्रतिमानों पर हम पश्चिमी विकसित देशों से पीछे हैं। योजना बनाना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है उसे तात्विक रूप से लागू करना। आज भी देश भर में लगभग बयालीस हजार सरकारी विद्यालय बिना इमारत के ही चल रहे हैं और एक लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक ही क्लास रूम है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना व प्रशासन संस्थान (एन. आई. ई. पी. ए.) ने देश के 29 राज्यों और केंद्र–शासित क्षेत्रों के 581 जिलों में शुरूआती शिक्षा की मौजूदा स्थिति पर एक सर्वेक्षण किया है। इस सरकारी सर्वेक्षण में उपरोक्त बातों के साथ–साथ कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा की दिशा में हमें अभी काफी दूरी तय करनी है। बिना इमारत वाले स्कूलों में ज्यादातर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ऐसे स्कूलों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी दो–तिहाई से भी ज्यादा आबादी रहती है जो विकास की धुरी है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या गांवों का विकास किए बिना हमें विकसित कहा जाना उचित है? यह ठीक है कि कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत के शिक्षित युवक विश्वस्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे यह तथ्य छिप जाता है कि ग्रामीण इलाकों पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? इमारत विहीन स्कूलों के मामले में मध्य प्रदेश ही नहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्य भी चिंता के गंभीर विषय हैं। हमारे देश में ऐसे विद्यालयों की संख्या भी चिंताजनक स्तर तक है जहां के स्कूल किराए के भवनों में चल रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान के तहत तमाम जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था और अच्छी–खासी संख्या में स्कूलों को अतिरिक्त क्लास रूम मुहैया कराए गए थे। असम राज्य में स्थिति काफी खराब है जहां 66 प्रतिशत स्कूलों में सिर्फ एक कमरा है। सभी बच्चों को जो अलग–अलग कक्षा के हों, एक ही कमरे में पढ़ाना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। इसके अलावा ब्लैकबोर्ड, चाक और अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था की उद्देश्यपूर्ण पठन–पाठन के लिए निहायत जरूरी चीजें हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा करें तो आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उन्हें समाप्त न होने वाले संसाधनों के केंद्रीय पूल से सहायता जरूर दी जाती है, फिर भी इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाओं का काफी अभाव है और इन्हें जन–जन तक मुहैया कराने के लिए भगीरथ प्रयासों की जरूरत है। इस क्षेत्र में भाषाई वैविध्य के साथ आठ राज्य शामिल हैं जिनकी साक्षरता दरें भी बेहतर हैं। परंतु यह उच्च साक्षरता दर सदैव सुविधाओं की सुगमता, प्राथमिक शिक्षा की मजबूती और शिक्षा के एकसमान प्रसार को ही अभिव्यक्त करती हो–ऐसा नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में कई महत्वपूर्ण केंद्रीय संस्थान हैं जैसे – एनईआरईएसटी ईटानगर; आईआईटी गुवाहाटी; एनआईटी सिल्चर और असम, तेजपुर, मिजोरम, नगालैंड इत्यादि के केंद्रीय विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा के लिहाज से यह एक अच्छी बात है कि पिछले साल योजना आयोग ने पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों के साथ ही केंद्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई। प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़िकरण के लिए नवोदय विद्यालय जैसे उपक्रमों पर जोर है। नवोदय विद्यालय समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के 78 जिलों में से प्रत्येक में एक नवोदय विद्यालय खोलने के अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रही है। इनमे से पंद्रह जिले तो ऐसे हैं जहां या तो में विद्यालय स्वीकृत नहीं हो सके हैं या स्वीकृति के पश्चात की चल नहीं रहे हैं। जमाने मे बदलाव के साथ–साथ शिक्षा दी गुणवत्ता पर भी उसके सभी आयामों में पर्याप्त ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। बढ़ती पर्यावरणीय चेतना के आलोक में स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाना और तार्किक–वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिए विद्यालयों मे विज्ञान–शिक्षा का अपेक्षित सुधार जरूरी है। इससे शिक्षा की प्रगति बहुआयामी होगी और शिक्षित व सभ्य समाज के लक्ष्यों को पाने की राह आसान होगी। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही रेखांकित किया गया था। इसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेकर उच्च–शिक्षा के विद्यार्थियों तक सभी के मन एवं प्रतिभा को प्रकृति का पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाले तत्वों के खतरों के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना जरूरी है। भारतीय योग पद्धति की जरूरत को भी अब महसूस किया जा रहा है और स्कूलों में योग शिक्षा की शुरूआत के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना 1989–90 में ही प्रारंभ की गई थी। खुशी की बात है कि पश्चिमी प्रभाव से भरी समकालीन आधुनिक भौतिकवादी और उपभोक्तावादी जीवन शैली में योग के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है। विचार के रूप में भी और जीवन के एक आयाम के रूप में भी।

प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षा पर ध्यान देकर हम शिक्षित समाज और आदर्श राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु यह शिक्षा है क्या? युगनायक विवेकानंद ने कहा है, "शिक्षा क्या वह है जिसने निरंतर इच्छाशक्ति को बलपूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी रोककर प्रायः नष्ट ही कर दिया है? जिसके प्रभाव से नवीन विचारों की तो बात ही जाने दीजिए, प्राचीन विचार भी एक–एक करके विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या वह शिक्षा है जो मनुष्य को धीरे–धीरे यंत्र बनाती जा रही है? जिस शिक्षा से हम अपना जीवन–निर्माण कर सकें, चरित्रगठन कर सकें, विचारों का सामंजस्य कर सकें; वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है।" इन प्रश्नों और विचारों में ही शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा की आत्मा निहित है। सभी बच्चे शिक्षा के आवश्यक स्तरों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए भारत सरकार का जोर विशेष तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधारों पर है। कुछ अन्य बातें भी इसी क्रम में जरूरी हो जाती हैं। जैसे बच्चों और किशोरों पर इस प्रकार ध्यान देना कि बीच में ही उन्हें स्कूली पढ़ाई न छोड़नी पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके अभिकरणों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों में अक्सर यह समस्या उभरकर सामने आती है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में बच्चे आर्थिक मजबूरियों या अन्य कारणों के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। खासतौर पर स्कूली लड़कियों की स्थिति काफी चिंताजनक रूप में सामने आती है। गरीबी के साथ–साथ लड़कियों के मामले में अक्सर सामाजिक कारण भी आड़े आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की परेशानियों से निपटने के लिए सरकार ने कई ठोस

पहलें भी की हैं। उदाहरण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में प्रारंभिक शिक्षा के लिए आबंटित राशि नवीं योजना में आबंटित राशि से 75 फीसदी ज्यादा है। प्राथमिक शिक्षा के जरूरी संसाधनों को इकट्ठा करने की भी कोशिश की गई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा उपकर लगाया गया है जिससे प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए बजटीय परिव्यय 2005–06 में पिछले वर्ष की तुलना में दुगुने से भी अधिक हो गया है। प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) चल रहा है। यह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों (ईबीबी) की बालिकाओं के लिए प्रमुख तौर पर सहायता उपलब्ध कराता है। ईबीबी ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें राष्ट्रीय औसत पर महिला साक्षरता कम और लिंग–अंतर ज्यादा होता है। ग्रामीण अंचल के निर्धन इलाकों के साथ–साथ शहरी मलिन बस्तियों के बालक–बालिकाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। यह विसंगति ही है कि संसार में कुछ लोग तो तमाम क्षेत्रों में, कई प्रकार से और लंबे समय तक पढ़ पाने में समर्थ होते हैं जबकि कुछ को प्राथमिक शिक्षा भी नसीब नहीं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को कूड़ा बीनकर या स्वयं श्रम करके अपना पेट पालने से ही फुर्सत नहीं। सोमालिया, मोरक्को, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश – तीसरी दुनिया के ढेरों देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। एक अर्थ में यह मानवता की साझी समस्या भी है। यह ठीक है कि हमने आजादी से लेकर अब तक काफी प्रगति की है, कई मामलों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और हमारी साक्षरता दर 18.3 प्रतिशत (1951) से बढ़कर 64.8 प्रतिशत (2001) हो गई है। लेकिन आज भी हम अपने पड़ोसी विकासशील देशों से साक्षरता में काफी पीछे हैं। चीन में यह दर 86 प्रतिशत है और श्रीलंका में 92 प्रतिशत। कम साक्षरता के चलते हम मानव विकास सूचकांक के मसले पर भी पिछड़ जाते हैं। हमारे यहां अभी भी एक तिहाई से भी ज्यादा आबादी निरक्षर है और वह भी तब, जब साक्षरता के प्रतिमान हमारे यहां अपेक्षाकृत कुछ ढीले हैं। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है जिसमें केंद्र–प्रायोजित कार्यक्रम उतने प्रभावी नहीं साबित हो पाते जितने राज्यों द्वारा चलाए गए कार्यक्रम। तात्पर्य यह है कि शिक्षा एक मौलिक आवश्यकता है और इस पर समुचित ध्यान देने के लिए नीचे के स्तर से ही शुरू किए गए कार्यक्रम अपना सकारात्मक योगदान दे पाते हैं। इसके साथ–साथ केंद्र सरकार की भूमिका इन कार्यों में प्राणवायु का संचार करती है। इन्हीं बातों को दृष्टिगत करते हुए वर्ष 1976 से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। केंद्र सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय और एकीकृत रूप दिया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बी और इसे 1992 में समय के अनुरूप संशोधित भी किया गया। सरकार ने वर्ष 2004 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड (सीएबीई) का पुनर्गठन किया और अगस्त 2004 में सीएबीई की प्रथम बैठक भी हुई। इस बैठक में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा संबंधी विषयों के लिए समितियां भी बनाई गई। समितियों की रिपोर्टों को लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व के विशालतम लोकतंत्र के समक्ष मौजूद इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार सजग है, किंतु इस सजगता में और अधिक धार लाने की जरूरत है ताकि राष्ट्र मजबूत हो सके, नागरिक शिक्षित हो सके और हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो सके।

वास्तव में अशिक्षा एक जटिल समस्या है और इसका कोई एक सर्वमान्य हल प्राप्त कर लेना इतनी जल्दी संभव भी नहीं है। यह सुधार क्रमिक रूप से ही लागू किया जा सकता है और क्रमिक रूप से ही यह प्रभावी भी हो सकता है। हमारा देश एक विविधताओं वाला देश है। विभिन्नताओं के साथ–साथ कई विसंगतियां और विषमताएं भी हैं। जाहिर है कि इतनी सारी समस्यायें किसी जादू की छड़ी से तुरंत नहीं दूर की जा सकती। महिलाओं और पुरुषों में विभिन्नता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर में विषमता है और कई भाषिक विविधताएं भी हैं जो 'शिक्षा' नामक विषय के अंतर्गत ही आती हैं। उदाहरण के लिए एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार (1999–2000 का 55वां दौर) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और लिंग के अनुसार भी कुल मिलाकर अनेक सामाजिक वर्गों में उच्च शिक्षा के पंजीकरण में विसंगतियां थीं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं खासतौर पर लाभ से वंचित पाई गई हैं। दिसंबर 2005 में हमारी संसद ने एक विधेयक पारित किया है जो कानून द्वारा राज्यों को ऐसे प्रावधान करने में सक्षम बनाता है जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का हित हो सके।

इक्कीसवीं सदी में हमारे पास अगर नवीन उपलब्धियां हैं तो नवीन चुनौतियां भी; विसंगतियों के कई हल हैं तो कई नई विसंगतियां भी; समस्याओं से निपटने को अगर हम तैयार हैं तो जटिलतर समस्यायें भी मौजूद हैं। यह राह दुर्गम, कंटकाकीर्ण और दुस्तर जरूर है, पर भारत जैसे राष्ट्र के लिए मुश्किल नहीं। प्राचीन काल से ही यह शिक्षा और ज्ञान की भूमि रही है; ऋषियों, मुनियों और मनीषियों की स्थली रही है और प्राचीन काल से ही इसने अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है – "आये नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में , वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिन्दुस्तान में।"

(लेखक पत्रकार हैं)

भारतीय आधुनिक शिक्षा के बदले आयाम

उमेश चन्द्र अग्रवाल

मानव की आत्मा को परिष्कृत करके उसे आत्म साक्षात्कार कराने जैसे शिक्षा के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे देश में शिक्षा रूपी ज्ञान का उदय काफी पहले उस समय हो गया था जब आज के सुसभ्य, सुसंस्कृत और विकसित कहे जाने वाले देश असभ्यता के अंधकार में अपना जीवन पथ ढूंढ रहे थे। जहां तक आधुनिक भारत में आधुनिक प्रकार की शिक्षा के विकास का प्रश्न है, इसे सामान्यतया स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थात् दो भागों में विभाजित करके विवेचित किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी प्रणाली का सूत्रपात करके निःसंदेह भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की। निष्पक्ष रूप से विचार करने पर इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि ब्रिटिश काल में ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इसी काल में भारतवासी आधुनिक साहित्य, उन्नत विज्ञान और नई तकनीकी से संपर्क में आए। देश में आधुनिक प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना, तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा का व्यवस्थित रूप तथा आधुनिक बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की संकल्पना उनके शासनकाल की ही देन है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में शैक्षिक विकास के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने तथा आधुनिक प्रकार की शिक्षा प्रदान का तो प्रयास किया गया था, साथ ही साथ इसे अंग्रेजी रंग में रंगने का कुत्सित प्रयास भी किया गया।

ब्रिटिश शासन काल में देश में शिक्षा के विकास के लिए किए गए प्रयासों पर सरसरी तौर पर नजर डालने पर पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापित होने पर अर्थात् ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम मद्रास के गर्वनर सर टामस मुनरो (1822), बम्बई के गर्वनर एल्फिस्टन (1924), बंगाल में सर विलियम बैटिंक (1835) और कुछ विदेशी मिशनरियों द्वारा तत्कालीन शिक्षा की व्यवस्था की जांच कराई गई जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक शिक्षा व्यवस्था की एक कार्ययोजना सुनिश्चित किया जाना था। इस कार्ययोजना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा डाउन वार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पर अपना ध्यान केंद्रित कर समाज के उच्च वर्ग के लिए अंग्रेजी की शिक्षा प्रारंभ की गई। भारत की शिक्षा के भाग्यविधाता कहे जाने वाले ब्रिटिश गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी के तत्कालीन कानूनी सलाहकार लार्ड मैकाले के अनुसार निस्यन्दन सिद्धान्त ही भारत में एक ऐसा वर्ग निर्मित कर सकता है जो रूप रंग में भारतीय हो किन्तु आचार–विचार से अंग्रेज हों। इसी के विचारों के अनुरूप ब्रिटिश कालीन भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए।

ब्रिटिशकालीन भारत में शिक्षा के समुचित विकास हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए कई आयोगों व समितियों का गठन भी किया गया जिनमें लार्ड मैकाले का विवरण पत्र (1835), वुड का घोषणा पत्र (1854), हण्टर आयोग (1882), भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902), शिक्षा नीति (1913), सैडलर कमीशन (1917), हर्टांग समिति (1929), एवट–वुड समिति (1937), सार्जेंट कमीशन (1944) आदि विशेष रूप से उलेखनीय हैं। समितियों और आयोगों के सुझावों के फलस्वरूप देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना, बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था, निजी क्षेत्र के विद्यालयों को अनुदान की व्यवस्था, कृषि कालेजों की स्थापपना, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए। देश में केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय की स्थापना, भातरीय विश्वविद्यालय आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन सार्जेंट कमीशन के सुझावों के आधार पर किया गया था। इस स्थल पर यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि देश में शैक्षिक विकास के लिए अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए धरातल तथा उनके द्वारा प्रतिपादित की गई कार्यप्रणाली को आधार बनाकर ही हम वर्तमान स्वरूप

को प्राप्त कर पाए हैं। अंग्रेजों द्वारा अपने शासन काल में शैक्षिक सुधारों तथा विकास के लिए जिस प्रकार के कदम उठाए जाते रहे, लगभग उन्हीं का अनुसरण हम आज भी कर रहे हैं। जैसे विभिन्न आयोगों और समितियों की स्थापना, विभिन्न स्तरों पर रैगूलेटरी संगठनों का गठन, विभिन्न वर्गों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा कही सर्वसुलभता हेतु विशिष्ट योजनाओं आर कार्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था आदि–आदि।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक तथा तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होने के साथ–साथ बहुआयामी भी हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा की संरचना, शिक्षण पद्धतियों, शैक्षिक प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में सुधार तथा विकास के लिए अनेकों सार्थक प्रयास करने पर बल दिया गया है। शैक्षिक असमानताएं और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निर्बल और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाओं का निर्धारण कर उनको अमलीजामा पहनाने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। बदलते आर्थिक–सामाजिक तथा राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की व्यावहारिकता और उपादेयता को सुनिश्चित करने हेतु सुझावों को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन, इनकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए विशिष्ट संस्थानों और विशेषज्ञ संगठनों की स्थापना, विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण और उनका कार्यांवयन सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सभी स्तरों पर शिक्षा के समुचित विकास तथा देशवासियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शैक्षिक सुधारों को समुचित गति प्रदान करने हेतु अपने संविधान में हमने शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न व्यवस्थाओं को भी निर्धारित किया है जिन्हें देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार आधुनिक स्वरूप प्रदान करने हेतु समुचित रूप से संशोधित और परिवर्द्धित भी किया जाता रहा है। शिक्षा से संबंधित प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाओं का विवरण निम्नवत् है–

शिक्षा से संबंधित मुख्य संवैधानिक प्रावधान

यदि हम देश में सभी स्तरों पर शिक्षा की समुचित व्यवस्था और सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए किए गए विशेष संवैधानिक प्रावधानों पर दृष्टिपात करें तो विदित होता है कि हमारे संविधान में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सभी को शिक्षा के समान अवसर, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तथा महिलाओं के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, हिन्दी भाषा का विकास तथा मातृ भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है। 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने हेतु संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 भी पारित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक ब्यौरेवार व्यवस्था वाला एक अनुवर्ती कानून भी पास करने के लिए तेजी से प्रयास किया जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़े हुए समाज के कमजोर वर्गों हेतु सरकार द्वारा शिक्षा की विशेष व्यवस्था करने के प्रावधान भी रखे गए हैं ताकि इन वर्गों को सामाजिक–आर्थिक कठिनाइयों के चलते शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जा सके।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 28 के द्वारा देश भर में संचालित सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित की गई है। अनुच्छेद 351 के अनुसार राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास पर बल देना एवं अनुच्छेद 15(1 व 2) में धर्म, जाति व लिंग आदि के आधार पर विभेद करने पर रोक लगाई गई है और अनुच्छेद 15 (3 व 4) में महिलाओं, बच्चों तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने हेतु विशेष प्रावधान करने पर किसी भी प्रकार की रोक के न होने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र व राज्य सरकारों में शैक्षिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकार क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन किया गया है। वर्ष 1976 तक शिक्षा संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित थी अर्थात् शिक्षा के संबंध में राज्य सरकारों ही कानून बनाने के लिए सक्षम थी परंतु वर्ष 1976 में संविधान में किए गए 42वें संशोधन के मुताबिक शिक्षा को सम्वंर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके अनुसार इस संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु यदि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में अंतर होता है तो केंद्र का कानून वैध माना जाता है और राज्य का कानून अप्रभावी हो जाता है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के साथ–साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर कई आयोगों, संगठनों व संस्थाओं की स्थापना तथा अनेकों योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं।

प्रमुख शैक्षिक आयोगों एवं समिति का गठन

राधाकृष्णन आयोग (1948–49) जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा के विकास हेतु गठित किया गया। इस आयोग द्वारा अनेक सुझाव दिए गए जिनमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनक्रमों मे सुधार, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, स्नातक पाठयक्रम की अवधि तीन वर्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आदि प्रमुख हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर 1953 में "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" तथा वर्ष 1954 में "ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति" की स्थापना भी की गई। मुदालियर आयोग (1952–53) माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार लाने हेतु स्कूलों की 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों के साथ जोड़कर

तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करना, बहुद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना करना, विद्यालयों में कैरियर मास्टर्स की नियुक्तियां करना, और विषयों को आवश्यक किया जाना तथा ''अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद'' की स्थापना किया जाना जैसे अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इसके सुझावों के फलस्वरूप ही ''अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद'' का गठन हुआ जिसे 1961 में ''राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद'' की स्थापना किया जाना जैसे अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इसके सुझावों के फलस्वरूप ही ''अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद'' का गठन हुआ जिसे 1961 में ''राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद'' (एनसीईआरटी) के रूप में पुनर्गठित कर इसके क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया। इसी प्रकार कोठारी आयोग (1964–66) शिक्षा के प्रत्येक स्तर का विस्तृत अध्ययन किया और 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, कमप्रीहेंसिव स्कूल, त्रिभाषा सूत्र पत्राचार पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली में सुधार शिक्षकों हेतु विविध सुझाव दिए। इसके महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर ही स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति बनाई गई जिसे ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968'' कहा गया।

वर्तमान सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग–2005 के गठन की भी घोषणा की गई है जो वर्तमान बदले हुए आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करेगा। विभिन्न आयोगों के गठन के अतिरिक्त शिक्षा के विभिन्न अन्य पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने और तत्संबंधी सुझाव प्रस्तुत करने और उनके क्रियान्वयन हेतु भी प्रयास किए गए हैं जैसे डा. यशपाल समिति (1992) जो डा. यशपाल की अध्यक्षता में 1992 में बच्चों पर एकेडेमिक बोझ कम करने हेतु बनाई गई जिसके द्वारा 1993 में दी गई अपनी रिपार्ट में बच्चों और अध्यापकों के अनुपात को कम करने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गृह कार्य की प्रथा समाप्त करने, रटने पर बल समाप्त करने हेतु क्विज टाइप प्रश्नों को प्रचलन में लाने, शैक्षिक नवचारों हेतु स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्राप्त करने एवं पाठयक्रम और पर्यवेक्षण का विकेंद्रीकरण करने पर जोर दिया गया। शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रीकरण संबंधी समिति (1993) के नाम से कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रीकरण पर सुझाव देने हेतु वर्ष 1993 में एक समिति गठित की गई जिसने रिपोर्ट में प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में स्थानीय लागों का सहयोग प्राप्त करने हेतु विभिन्न सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर भी अमल के प्रयास किए गए हैं। अभी पिछले वर्षों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को चुनी हुई त्रिस्तरीय पंचायतों के अधीन लाया गया है। इससे स्थिति में सुधार भी आ रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण

कोठारी आयोग (1964–66) की संस्तुतियों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1968 में की गई। इसके अंतर्गत शिक्षा पर व्यय होने वाले राष्ट्रीय आय के 2.5 प्रतिशत भाग को बढ़ाकर 6 प्रतिशत तक करना, संपूर्ण देश में शिक्षा की एकरूपता बनाए रखने हेतु 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक पाठयक्रम, त्रिभाषा सूत्र, अल्पकालिक और पत्राचार पाठयक्रमों को लागू करने पर बल दिया गया। साथ ही कार्यानुभव, राष्ट्रीय सेवा योजना, कामन स्कूल प्रणाली, स्कूल कंपलैक्स और नेबरहुड स्कूलों जैसे नवीन विचारों के कार्यावयन हेतु नीतियां निर्धारित करना भी इसमें सम्मिलित था। सरकार द्वारा दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) को शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से माह मई, 1986 में घोषित किया गया और इसके सफल क्रियान्वयन हेतु अगस्त, 1986 में ''प्रोग्राम ऑफ एक्शन'' शिक्षा में व्यापक सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस शिक्षा नीति में शिक्षा पर राष्ट्रीय आय के 2.5 प्रतिशत व्यय को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की बात को दोहराया गया। संपूर्ण देश में पाठयक्रमों/शैक्षिक स्तरों को एकरूपता और समरूपता प्रदान करने हेतु ''राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली'' अर्थात् कोर पाठ्यक्रम की संकल्पना, कोर एलीमेंट्स का निर्धारण, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को विशेष महत्व, विश्व विद्यालयीय स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा तथा ग्रामीण बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करते हेतु नवोदय विद्यालयों की स्थापना, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के शिक्षा हेतु विशेष प्रयास, मूल्य आधारित शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था करना इस शिक्षा नीति के प्रमुख तत्व हैं जिनको क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1986 में विभिन्न दिशा–निर्देशों का विवरण प्रस्तुत किया गया। नई शिक्षा नीति के सुझावों के आधार पर 1988 में विभिन्न दिशा–निर्देशों का विवरण प्रस्तुत किया गया। नई शिक्षा नीति के सुझावों के आधार पर 1988 से 36 एकेडेमिक कालेजों के माध्यम से विश्वविद्यालयीय स्तर के शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु ओपन स्कूल को 1989 में ''राष्ट्रीय ओपन स्कूल'' जिसे वर्ष 2002 में ''नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन् स्कूलिंग'' के रूप में विकसित कर लिया गया है, स्थापित किया गया। विश्वविद्यालयीय स्तर हेतु 1985–86 में ''इंदिरा गांधी राश्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय'' की स्थापना भी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही परिणति है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर विभिन्न राज्यों में निरंतर ओपर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्राविधान भी किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को रिव्यू किया जाए। इसी के अनुालन में केंद्र सरकार द्वारा मई, 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति रिव्यू कमेटी'' का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट 9 जनवरी, 1991 को संसद में पेश की गई, 8 व 9 मार्च, 1991 की केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आचार्य राममूर्ति कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से पहले केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक अन्य कमेटी द्वारा इन्हें परीक्षित करा लिया जाए। इसी प्रकार आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री भी थे, श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में ''केब कमेटी'' का गठन किया गया जिसके द्वारा प्रस्तुत सुझावों को ''संशोधित शिक्षा

नीति, 1992" भी कहा गया है। इसके प्रमुख सुझाव थे कि नवोदय विद्यालयों को अधिक खर्चीले और गैर व्यवहारिक होने के कारण और अधिक न खोले जाएं। इन्हें आंध्रप्रदेश मॉडल की भांति राज्यों को हस्तांतरित करके आवासीय विद्यालय बनाकर कास्ट इफैक्टिव आदर्श विद्यालयों के रूप में चलाया जाए। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित पाठ्यक्रम के आधार पर नेबरहुड विद्यालयों और "विशेष विद्यालयों" के स्थान पर कॉमन स्कूलों की स्थापना को महत्व दिया जाए। अनौपचारिक शिक्षा हेतु "पैरा स्कूलों" की संकल्पना दी जिसमें औपचारिक विद्यालयों को प्रातः और सांयकालीन विद्यालयों के रूप में प्रयुक्त किया जाए। "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" और "स्कूल कंप्लैक्स" योजनाओं को अभी आगे तक चलते रहने का सुझाव दिया गया। व्यवसायिक शिक्षा को +2 स्तर के अलावा नौवीं और दसवीं कक्षा में भी प्रारंभ करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए। विश्वविद्यालयों को अपने वित्तीय संसाधन विकसित करने, प्रत्येक स्तर के शिक्षकों, प्रधानों हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के स्थान पर नामांकित बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने पर बल देने की बात कही गई।

शैक्षिक विकास हेतु नवीन प्रयास

यों तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र विकास हेतु अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं लेकिन इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही इन प्रयासों की गति को और भी तीव्र करने की कोशिशें की गई हैं। इन प्रयासों में देश में वर्ष 2010 तक सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को आठवें स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के नाम से एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, गहन क्षेत्रीय और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम संशोधित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क सूचना प्रौद्योगिकी योजना जैसे नए-नए कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ 86वां संविधान संशोधन बिल पास किया गया है। हाल ही में "एडूसैट" नाम से एक शैक्षिक उपग्रह का प्रक्षेपण भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है इनके अतिरिक्त गरीबों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, शिक्षा का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा विकास बैंक जैसे नए-नए कदम उठाना भी प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से देश भर में माह नवंबर, 2000 से लागू किए गए सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष 2007 तक 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के 5 वर्ष तथा वर्ष 2010 तक सभी बच्चों के लिए 8 वर्ष सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम राज्यों के साथ भागीदारी करके कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में 85:15, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) तथा इसके बाद 50:50 के अनुपात में निर्धारित की गई है। इसें 11 लाख बस्तियों के 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में 8.5 लाख मौजूदा प्राथमिक विद्यालय तथा 33 लाख मौजूदा शिक्षक शामिल किए गए हैं। सर्वशिक्षा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक संचालित किसी भी कार्यक्रम की तुलना में सबसे बड़ा और व्यापक कार्यक्रम है और इसको सफल बनाने के लिए हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी शैक्षिक आवश्यकताओं को किस हद तक इसमें समाहित कर पाती है। इसके लिए सभी स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की कार्यप्रणाली में अधिकाधिक खुलापन, लचीलापन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है।

6 से 14 आयचुवर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा से बाहर हो रहे हैं, के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के नाम से वर्ष 1979-80 में संचालित की गई। अनौपचारिक शिक्षा योजना के स्थान पर उासे व्यवहारिक स्वरूप देते हुए शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा के नाम से इस नए कार्यक्रम को 1 अप्रैल, 2001 से देश भर में संचालित किया गया है। इस योजना को सर्वशिक्षा अभियान का एक घटक बना दिया गया है। यह संशोधित योजना देश के ऐसे भागों में चलाई जा रही है जहां एक किलोमीटर के दायरे में कोई औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। इस येाजना के खर्चों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। हाल ही में देश के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा देश में सेकेंड्री स्तर सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने हेतु वर्ष 2001 में "विद्यावाहिनी योजना" के नाम से और वर्ष 2005 में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के नाम से एक योजना प्रारंभ की गई है। इससे माध्यमिक स्तर पर बृहद रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो गई है।

प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों से सम्मिलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा 86वें संविधान संशोधन-2002 पास कर दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 45 में भी एक अनुच्छेद जोड़ा गया है जो इस प्रकार है- 'राज्य को सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरूआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह वर्ष की आयु का नहीं हो जाता है।' इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 51-ए में संशोधन करके 'जे' के बाद नया अनुच्छेद 'के' जोड़ा गया है। इसके 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्राविधान रखा गया है अब इस संविधान संशोधन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक व्यापक कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसे शीघ्र पास कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसको समुचित रूप से क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

एडूसैट शैक्षिक उपग्रह (2004)

देश में शिक्षा के प्रसार के लिए अब तक का सबसे बड़ा और पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 20 सितंबर, 2004 को आंध्रप्रदेश स्थिति श्रीहरिकोटा से जी.एस.एल.वी.एफ. -1 प्रेक्षपणयान के जरिए भूकक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। इस उपग्रह के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण से देश में

दूर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आने की प्रबल संभावनाए हैं। दूसरे शब्दों में एडूसैट उपग्रह के द्वारा देश के घरों को शिक्षा की 416 शालाओं में तबदील करने के स्वपन संजोए गए हैं। दूरस्थ शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक एडूसैट का जीवन काल 7 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह उपग्रह शहरी शिक्षण संस्थानों को गांवों और कस्बों से जोड़ने में मददगार साबित होगा। इस उपग्रह का लाभ तीन चरणों में प्राप्त हो पाएगा। पहले चरण में कर्नाटक के विश्वैश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के वाई.बी. चाव्हाण विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश के राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया गया है। दूसरे चरण में दो अन्य राज्यों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा परंतु तीसरे चरण में एडूसैट का लाभ पूरे देश को प्राप्त हो सकेगा।

राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (2004) के नाम से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त उपक्रमों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बस्ती स्तर पर बालिकाओं के अनुकूल विद्यालय के रूप में माडल विद्यालय का निर्माण करना, लेखन सामग्री, अभ्यास पुस्तिकाओं और वर्दी जैसी अतिरिक्त सामग्रियों को मुहैया कराना और प्रतिवर्ष प्रतिबालिका 150 रुपए की विद्यमान अधिकतम सीमा के अंतर्गत अन्य किसी स्थानीय तौर पर महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करना, विद्यालयों तथा शिक्षकों को पुरस्कार, छात्राओं का मूल्यांकन, उनकी अध्ययन संबंधी समस्याओं को हल करने संबंधी शिक्षण, वैकल्पिक विद्यालयों के साथ मिलकर पाठ्यक्रमों को पूरा करना, मुक्त विद्यालयों के माध्यम से पढ़ाई कराना, शिक्षक प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष 60,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंतर्गत बस्ती स्तर पर बालिका देखभाल केंद्रों जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराना, 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति बस्ती 95,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन सामुदायिक स्तर से अनुश्रवण आदि की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना तथा आवश्यक प्रशिक्षण तथा प्रबंधन सहायता प्रदान करने जैसे प्रयोजनों के साथ इस विशिष्ट कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है।

चरवाहा विद्यालय (2004) के नाम से केंद्र सरकार द्वारा 22 जून, 2004 को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत बिहार राज्य में प्राथमिक स्तर के एक विशेष प्रकार के चरवाहा विद्यालयों को खोलने की औपचारिक अनुमति प्रदान की गई है। इन विशेष विद्यालयों में गाय, भैंस व भेड़–बकरी चराने वाले बच्चों के परिवारों की कमजोर आर्थिक–सामाजिक स्थिति के मद्दे नजर बच्चों के स्कूल न पहुंच पाने की दशा में उन्हें चरवाही करते हुए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। ऐसे बच्चों को इन विद्यालयों में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा एक विशेष वातावरण में उपलब्ध कराई जाती है और बच्चे जानवरों को चराते–चराते ही शिक्षा अर्जन भी कर पाते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार द्वारा वर्ष 1990 में चरवाही करने वाले बच्चों के लिए चरवाहा विद्यालयों के नाम से विशेष विद्यालयों को खोलने की योजना प्रारंभ की गई थी लेकिन यह विद्यालय अगले वर्षों में अपेन अस्तित्व को कायम नहीं रख सके और धीरे–धीरे बंद होते चले गए थे। अब सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप इन विशेष विद्यालयों को संचालित किए जाने की केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस प्रकार इन विद्यालयों पर होने वाले कुल खर्च का 75 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार द्वारा था 25 प्रतिशत भाग राजय सरकार द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

विभिन्न प्रस्तावित कदमों में राष्ट्रीय शिक्षा विकास बैंक, शिक्षा विधेयक–2004, संशोधित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क–2005, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग–2005 आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा विकास बैंक खोला जाना प्रस्तावित किया गया है। यह सत्यता है कि देश में उच्च शिक्षा निजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप महंगी हुई है। महंगी उच्च शिक्षा का भार गरीब बच्चे उठाने में असमर्थ रहते हैं। अतः गरीब और मेधावी बच्चों को विशेष रूप से आवश्यक वित्तीय संसाधन आसान शर्तों और कम ब्याज पर समय उपलब्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न वर्गों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा विकास बैंक की स्थाना की मांग कई वर्षों से की जाती रही है। गरीब मेधावी बच्चों के लिए यह बैंक एक वरदान सिद्ध होगा ऐसी आशाएं की जानी चाहिए।

शिक्षा विधेयक– 2004 के नाम से केंद्र सरकार द्वारा जनवरी, 2004 में एक विधेयक तैयार किया गया है जिसमें बच्चों की पिटाई करने के शिक्षकों के अघोषित अधिकार को दंडनीय बनाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार यह अपराध अनुशासनहीनता की परिधि में शामिल किया जाना है और घटना के दोषी शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इस कानून के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त सभी प्रकार के विद्यालय लाना प्रस्तावित है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार पढ़ाई या टास्क पूरा नहीं करने वाले विद्यार्थियों की अगर कोई शिक्षक पिटाई करने या प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया तो शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही के साथ–साथ ऐसे विद्यालय की मान्यता भी समाप्त की जा सकेगी। बच्चों के लिए शिक्षा को उनके बाल सुलभ मन के अनुरूप बनाने की योजना को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा नए पाठ्यक्रम का हाल ही में संशोधित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के नाम से एक मसौदा तैयार किया गया है। 500 पृष्ठों का यह मसौदा देश के जाने–माने वैज्ञानिक, शिक्षाविद् एवं विश्ख्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित "राष्ट्रीय संचालन समिति" द्वारा जनवरी, 2005 में गठित 21 फोकस समूहों की सहायता से तैयार किया गया है। इस मसौदे में प्रस्तुत किए गए सुझावों को मूर्त रूप प्रदान किए जाने पर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। इस मसौदे को 5 भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, दूसरे भाग में पढ़ाई और ज्ञान, तीसरे भाग में पाठ्यक्रम के दायरे, कक्षाओं के चरण व आंकलन, चौथे भाग में स्कूल और कक्षा और पांचवें भाग में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी विषयों पर विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है। मसौदे में शिक्षा को न्याय, समानता, स्वतंत्रता,

धर्म–निरपेक्षता, मानवीय गरिमा जैसे तत्वों से जोड़ने करा प्रयास भी किया गया है।

देश में शिक्षा के प्रसार को व्यापक बनाने, उसे अधिक व्यावहारिक व उपयोगी बनाने तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाने के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मार्च, 2005 में शिक्षा से संबंधीत राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग–2005 के नाम से एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया। इस आयोग के गठन के माध्यम से देश मे गत दो दशकों में शैक्षिक क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तनों और उनके अनुरूप उसमें अपेक्षित सुधारों का जायजा लिया जाना संभव हो सकेगा। देश में 90 के दशक में प्रारंभ हुए आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के विशेष परिप्रेक्ष्य में शिक्षा जगत की जरूरतों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आयोग से अपेक्षा रहेगी कि वह शिक्षा को वर्तमान समय की अवश्यकताओं के अनुरूप उसमें आवश्यक परिवर्द्धन और परिवर्तनों का एक विस्तृत खाका सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें जिसके आधार पर वर्तमान शिक्षा को आधुनिक जगत की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाने के लिए प्रत्येक तर से आवश्यक कदम उठाया जाना संभव हो सके।

शिक्षा पर सरकारी व्यय

देश में प्रत्येक स्तर पर समुचित गुणवत्ता युक्त उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था हेतु विगत कुछ वर्षों से सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों को बढ़ाए जाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है। देश के सकल घरेलू उत्पादन को वर्तमान 3.7 प्रतिशत से बढ़ाकर इसे 6 प्रतिशत तक शिक्षा पर खर्च करने की वचनबद्धता के अनुरूप धनराशि आवंटन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित की जाने वाली धनराशि में काफी वृद्धि भी की गई है। विभिन्न योजनाओं में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय से संबंधित आंकड़े साक्षी हैं कि पहली योजना (1951–56) से निरंतर शिक्षा पर व्यय में काफी वृद्धि हो रही है। पहली योजना में शिक्षा पर केवल 153 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था, वह आठवीं योजना (1992–97) में बढ़कर 21,800 करोड़ रुपए, नौवीं योजना (1997–2002) में 22,096 करोड़ रुपए हो गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के अंतर्गत कुल परिव्यय 43,825 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो नौंवीं योजना के खर्च का लगभग दो गुना है। इसमें से प्राथमिक शिक्षा के लिए 28,750 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा के लिए 4,325 करोड़ रुपए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1,250 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा के लिए तथा तकनीकी शिक्षा के लिए क्रमशः 4,176 करोड़ एवं 4,700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जो अभी तक किसी भी अवधि में व्यय की गई धनराशि से काफी अधिक है। हालांकि इस धनराशि में अभी और भी वृद्धि उपेक्षित है।

साक्षरता दर पर प्रभाव

देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता की दर मात्र 18.3 प्रतिशत थी यदि इससे पहले की स्थिति पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष 1901 में देश में साक्षरता की दर मात्र 4.40 प्रतिशत थी। वर्ष 1911 में यह दर 5.30 प्रतिशत, 1921 में 7.60 प्रतिशत, 1931 में 9.40 प्रतिशत तथा 1941 में यह 16.50 प्रतिशत रही। इसके बाद 1961 में यह बढ़कर 28.31 प्रतिशत, 1971 में 34.54 प्रतिशत, 1981 में 43.56 प्रतिशत तथा वर्ष 1991 में यह 52.21 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकी। वर्ष 2001 में यह बढ़कर 65.38 प्रतिशत हो गई है, पिछली जनगणना के मुकाबले इसमें 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में आज 75.85 प्रतिशत पुरुष तथा 54.16 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में ग्रामीण साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है साथ ही इस अवधि में महिला साक्षरता ने भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। देश में साक्षरता के संबंध में यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि यहां 15 वर्ष से ऊपर के 10वीं स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले साक्षरों का कुल साक्षर लोगों में से प्रतिशत 32 रहा है जबकि पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले साक्षर लोगों का प्रतिशत 41 है। वर्ष 2001 की जनगणना के प्रदेशवार आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विभिन्न प्रदेशों के मध्य साक्षरता स्तर से भिन्नता व्याप्त है। केरल में साक्षरता की दर 90.92 है, जो देश में सर्वाधिक है। केरल के बाद दूसरा स्थान मिजोरम का है जहां साक्षरता दर 88.49 प्रतिशत है। साक्षरता की दृष्टि से तीसरा स्थान लक्षद्वीप का तथा चौथा स्थान गोवा का है। साक्षरता में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, जहां साक्षरता की दर केवल 47.53 प्रतिशत रही है।

देश के 80 प्रतिशत से अधिक साक्षरता वाले राज्यों में करेल के अतिरिक्त मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा दमन व दीव सम्मिलित हैं। ऐसे राज्य जहां साक्षरता का प्रतिशत 80 से कम लेकिन राष्ट्रीय औसत (65.4) से अधिक है, में महाराष्ट्र, हिमाचंल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, गुजरात, पंजाब, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, नागालैंड तथा कर्नाटक राज्य शामिल हैं। विश्व संदर्भ में यदि अपने साक्षरता के आंकड़ों की तुलना करें तो विदित होता है कि भारत में केरल ही एकमात्र राज्य है जहां साक्षरता दर (94.20) विश्व पुरूष साक्षरता (85.3) से महिला साक्षरता दर (87.6) कुल विश्व महिला साक्षरता दर (73.6) से तथा कुल साक्षरता दर (90.92) संपूर्ण विश्व कुल साक्षरता दर (79.4) से अर्थात तीनों दृष्टियों से विश्व की औसत साक्षरता दर से अधिक रही है। इस संपूर्ण स्थिति से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत ने पिछले दशक में जहां साक्षरता के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है, वहीं अभी देश को विश्व स्तर पर आने के लिए इस दिशा में थोड़ी और तेजी लाने की आवश्यकता है। आशा है कि अगले दशक अर्थात् 2001–2011 की अवधि में इस दिशा में अच्छी प्रगति दृष्टिगोचर होगी और हम शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व के समक्ष अपने को खड़ाकर गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विकास

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के प्रार और पहुंच में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस अवधि में देश में साक्षरता दर में अभिवृद्धि के साथ सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की संख्या, शिक्षकों के मात्रा और पाठ्यक्रमों की विविधता आदि सभी क्षेत्रों में कई

गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नजर डालें तो पता चलता है कि देश में वर्ष 1950–51 में मात्र 2.3 लाख प्राथमिक विद्यालय थे, उनकी संख्या बढ़कर आज 9 लाख से भी अधिक हो गई है– जैसा कि तालिका–5 में दिए गए आंकड़ों से भी स्पष्ट है। इसी प्रकार विद्यालयों में उस समय नामाकन केवल 1.92 करोड़ था, जो आज बढ़कर 11 करोड़ से भी अधिक हो गया है। हालांकि इस संबंध में एक दुखदपूर्ण स्थिति यह भी है कि इतना कुछ हो जाने के बाद 6 से 14 वर्ष के 3 करोड़ से अधिक बच्चे अभी भी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं।

"माध्यमिक स्तर" की शिक्षा के विकास पर यदि दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि वर्ष 1950–51 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की कुल संख्या 7,416 थी जो आज बढ़कर 1 लाख 37 हजार से भी अधिक हो गई है। उस समय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत केवल 13.3 था जो अब बढ़कर 37 के स्तर तक पहुंच चुका है। इन विद्यालयों में प्रवेश लेने वालों की संख्या भी इस अवधि में 15 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 72 लाख हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोंमुखी बनाने के लिए भी काफी प्रयास किए गए हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा के स्तर पर देश में वर्तमान में लगभग 7 हजार स्कूलों में करीब 19 हजार व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं लेकिन यदि दूसरी ओर देखें तो माध्यमिक शिक्षा भी काफी निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, वित्तीय संसाधनों की कमी, अनुशासनहीनता, दोहरी शिक्षा प्रणाली जैसी अनेकानेक समस्याओं ने माध्यमिक शिक्षा के विकास को बुरी तरह कुप्रभावित किया है। माध्यमिक शिक्षा को इस स्थिति से उबारने के लिए सभी स्तरों से समन्वित रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना मूलतः 6 से 25 वर्ष तक के युवाओं के शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था करने हेतु स्थापित किया जाता है लेकिन समाज के उस वर्ग हेतु जो अनेक प्रकार के व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं अन्य कारणों से इन शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्रापत करने में असमर्थ रहता है, के लिए अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि देश में निरक्षरता को समाप्त करना संभव हो सके। इसके लिए सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से प्रौढ़ शिक्षा को ऐसे विशेष रूप से 15–35 वर्ष के अशिक्षित नागरिकों हेतु अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इसकी रणनीति में परिवर्तन भी किया जाता रहा है। प्रारंभ में 50 के दशक में इसे "सिविल लिट्रेसी" के रूप में, 60 के दशक में "फंक्शनल लिट्रेसी" के रूप में तथा 70 के दशक में "डेवलपमेंट लिट्रेसी" के रूप में इसे व्यापक बनाने पर जोर दिया गया। इस दिशा में तेज प्रयास करने हेतु 5 मई, 1988 से देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम से एक विशेष अभियान भी प्रारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में साक्षरता के प्रयास एवं प्रचार को राष्ट्र के 5 तकनीकी मिशनों में से एक माना गया है। इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी निरक्षरों विशेष रूप से 15 से 35 वर्ष के युवाओं को शीघ्रता से साक्षर बनाना है जिसमें वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में संपूर्ण साक्षरता अभियान को एक मिशन की मुख्य रणनीति के रूप में संचालित किया गया है। इस अभियान में प्रेरणा जगाने, जनसहभागिता प्राप्त करने, विशिष्ट से तैयार अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराने तथा नई तकनीकी के प्रयाग को बल दिया जाता है।

"तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा" की देश का संतुलित विकास करने, गरीबी हटाने, पिछड़ेपन को दूर करने, जन साधारण के जीवन स्तर को सुधारने, आधुनिकता प्रदान करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने, विदेशी ऋणों से मुक्ति पाने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होने संबंधी तथ्य को स्वीकारते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इसके विकास और स्तर में अभिवृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला तथा फार्मेसी जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। देश में तकनीकी शिक्षा के उचित नियोजन एवं समन्वित विकास की देख–रेख करने वाली वैधानिक संस्था– "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली" के नाम से गठित की गई है। उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता प्राप्त देश में 7 आईआईटी, 6 आई.आई.एम.. के अतिरिक्त भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के साथ–साथ 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित हैं।

इनके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विश्वविद्यालयों में तथा विशेष रूप से स्थापित किए गए स्वायत्तशासी संस्थानों में भी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। वर्तमान में देश भर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक स्तर के 1969 तकनीकी शिक्षा संस्थानों तथा स्नातकोत्तर स्तर के 2,475 तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त देश में एम.बी.ए. की डिग्री प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त प्रबंधन संस्थानों की संख्या भी 958 तक पहुंच गई है जिनमें समन्य स्थापित करने तथा इनके नियंत्रण का अधिकार भी तकनीकी शिक्षा परिषद के पास है। वर्तमान में अन्य सभी प्रकार के व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की संख्या देश भर में कुल 2610 है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में समुचित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली तथा नर्सिंग शिक्षा के स्तर को सुधारन तथा उसमें समन्वय स्थापित करने हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के साथ–साथ चिकित्सा विज्ञान की अन्य विभिन्न शाखाओं जैसे–आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी तथा फार्मेसी जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी नियामक संस्थाओं का गठन किया गया है। देश भर में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि व तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से चल रहे प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से देश में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम–2003 भी संचालित किया गया है इससे इस क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं प्रबल हुई हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गत 58 वर्षों में हुए संख्यात्मक विकास पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि 1950–51 में देश में जहां मात्र 27 विश्वविद्यालय थे उनकी संख्या आज बढ़कर 306 हो गई है राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को मिलाकर वर्तमान में इनकी संख्या कुल 385 है। इनमें से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 18 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तथा 186 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त 5 संस्थान राज्य विधायी कानून के अंतर्गत, 89 डीम्ड विश्वविद्यालय एवं 13 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी इसमें सम्मिलित हैं। आज देश भर में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्थापित 5 महिला विश्वविद्यालयों सहित मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 11 हो गई है। उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 95.1 लाख तथा शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख से भी अधिक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में महिलाओं की संख्या वर्तमान में 38.1 लाख तक पहुंच गई है जो उच्च शिक्षा में नामांकन का कुल 40 प्रतिशत के करीब है। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आकर्षित हो रही हैं जिसे देश के समंवित विकास में शुभ संकेतों का सूचक कहा जा सकता है।

उच्च विवरण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेष रूप से देश में प्राथमिक, माध्यमिक, प्रौढ़ तथा उच्च शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रूपेण अभिवृद्धि हुई है। आज देश में पॉलीटेक्निक संस्थाओं, डिग्री एवं स्नातकोत्तर स्तर की इंजीनियरिंग संस्थाओं, प्रबंधन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि सभी स्तरों की संस्थाओं की संख्या, इनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों, शिक्षकों की संख्या तथा इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं से प्रतिवर्ष निकलने वाले लाखों शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को समुचित रोजगार मुहैया कराना भी संभव नहीं हो सका है। व्यावहारिक शिक्षा के स्थान पर सैद्धांतिक और उद्देश्यविहीन शिक्षा, बोझिल पाठ्यक्रम, अविश्वसनीय परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक स्तरों में गिरावट, प्रत्येक स्तर पर संसाधनों का अभाव जैसी अनेक समस्याओं ने शिक्षाविदों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, प्रशासकों, योजनाविदों, अभिभावकों और राजनेताओं के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की है, जिसको मात्र आयोगों और समितियों के गठन और उनसे सुझाव प्राप्त कर लने भर से काम नहीं चलगा, न ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष नाम मात्र भर का वित्तीय परिव्यय बढ़ा देने से शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, बल्कि आवश्यकता है इसमें व्याप्त बुराइयों और कठिनाइयों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर दीर्घकालीन नियोजन, राजनैतिक, प्रशासकीय दृढ़ इच्छाशक्ति, जन–सहयोग और जनकल्याण की भावना से सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। अतः इसके लिए समुचित वातावरण निर्माण करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, तभी हम विश्व स्तरीय नागरिकों का निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे।

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. में संयुक्त निदेशक हैं)

श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम वेतन

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा लागू की है, जो 1 फरवरी, 2004 से 66 रुपये प्रतिदिन है। सभी राज्यों से राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी के स्तर से कम दर पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित न करने को कहा जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) की धारा 6(1) के तहत, जब तक राज्य में किसी क्षेत्र के मामले में मजदूरी दर निर्धारित नहीं की जाती, तब तक कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को उस क्षेत्र में लागू मजदूरी दर माना जाएगा। केंद्र सरकार ने एनआरइजीए की धारा 6(1) के तहत अब तक कोई मजदूरी दर निर्धारित नहीं की है। अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कृषि श्रमिकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अनुप्रयोज्य होगी।

ग्रामीण आवासों हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय बी.पी.एल. ग्रामीण निर्धनों को ई आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए या मौजूदा मरम्मत के अयोग्य अस्थायी मकानों के बदले नए मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में प्रति मकान 25,000 रुपये और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में प्रति मकान 27,500 रुपये के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। तथापि, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों मौजूदा मरम्मत के अयोग्य अस्थायी मकानों की मरम्मत के लिए या ऋण सह सब्सिडी योजना के अंतर्गत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर मकानों के निर्माण के लिए **आईएवाई** के अंतर्गत कुल निधियों की 20 प्रतिशत राशि तक का उपयोग कर सकती हैं। 32,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवार ऋण सह सब्सिडी योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत सब्सिडी योजना की अधिकतम सीमा प्रति परिवार 12,500 रुपये है और शेष राशि की व्यवस्था ऋण के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से की जाएगी जो प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक 50,000 रुपये होगी।

प्राथमिक शिक्षा : विजन 2020

राम मिलन मिश्र

विकसित भारत 2020 को पूरा होने में मात्र 14 वर्ष शेष हैं। पूरा देश माननीय महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में विकसित भारत को बनाने में जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ भारत वैश्विक स्तर पर चल रहे क्रांतियों पर नजर रखे हुए है। आने वाले दिनों में ज्ञान पर आधारित क्रांति अर्थात ज्ञान क्रांति की रणनीतियां बना रहा है। हम आत्मविश्वास के साथ फूंक–फूंक कर कदम चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत की पहचान एक संधृत विकसित (सस्टेनेबल डेवलपिंग) भारत के रूप में हो। 2020 में यदि भारत विकसित राष्ट्र बन गया तो विकसित भारत का स्वरूप क्या हो? हमें तय करना होगा कि विकसित की परिभाषा पश्चिमी देशों के आधार पर हो अथवा विकसित स्वरूप भारतीय मापदण्ड पर हो, हमें विचार करना होगा। हमें स्वीकार करना होगा कि विकसित भारत का मॉडल, मॉडल के लिए रणनीतियां क्या हों? रणनीतियों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए? आदि पर भी विचार करना होगा। विकास से जुड़े हुए लोग, नियोजनकर्ता, अर्थशास्त्री तथा प्रादेशिक नियोजक यह भी स्वीकार्य करने लगे हैं कि विकास के लिए जितने आयोग, उपागम बना लिए जाए तब तक संभव नहीं है जब तक कि शिक्षा अधूरी है। व्यावहारिक तौर पर विकास एवं शिक्षा दोनों के ग्राफों को जोड़कर देखा जा सकता है। शायद इसीलिए विकास के अगुआ एवं हिमायती संयुक्त राष्ट्र संघ की 'ओवरसीज विकास परिषद' के तत्वावधान में विकास का माप, मानव विकास से हो रहा है जिसके तीन चरण– शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार से आंका जा रहा है। प्रसिद्ध मानव विकास प्रतिवेदक स्व. मकबूल–उल हक, प्रो. अमर्त्य सेन, भगवती शरण, प्रो. यशपाल तथा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के विकास की सबसे बड़ी समस्या 'शिक्षा' है। स्व. मकबूल–उल हक ने मानव विकास को ही विकास का मूल ध्येय बताया है विकास का वास्तविक तात्पर्य – व्यक्ति में निहित क्षमताओं का प्रस्फुटन है। प्रो. जगदीश सिंह जैसे प्रादेशिक नियोजक यह स्वीकार करते हैं कि विकास मात्र जीएनपी के आधार पर नहीं, वरन विकास जीएनएच (ग्रॉस नैशनल हैपिनेस) अर्थात् सामुदायिक जीवन की खुशहाली के रूप में देखा जाना चाहिए। सर्वविदित है कि भारत वैदिक काल से ही हमीर पथ, का नहीं अपितु कबीर पथ का पूजक रहा है। पुनः विकसित भारत 2020 के रूप में हमें स्थापित करना होगा और यह तभी संभव है जब हर भारतवासी अपने–अपने कर्मक्षेत्रों के आधार पर मन, वाणी एवं कर्म से सोचे, कार्य स्वरूप दे, तभी संभव है।

शिक्षा व्यवस्था के समूचे ढांचे पर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलेगा कि पूरे व्यवस्था में पांच प्रमुख घटक हैं– जहां अभिभावक, सरकार तथा नियोजनकर्त्ता एवं संस्थायें। इनमें पांचों के अंतर्संबंध तथा समन्वयन से ही शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा दी जा सकती है।

हम अपने वर्तमान स्वरूप को देखे तो सच यह है कि अभी हम पूर्ण रूप से अपने विद्यार्थियों (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों, नगरीय क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र) को शत प्रतिशत विद्यालयों में लाने में सक्षम नहीं हो पाये हैं। हम स्वीकार करते हैं कि सरकार एवं जन समुदाय द्वारा चलाया जा रहा सर्व शिक्षा अभियान, जिसका उद्देश्य–2003 तक सभी बच्चों का नामांकन, 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पूरी कर ले, 2010 तक कक्षा 8 तक के बच्चे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पूरी कर ले। 2007 तक प्राथमिक तथा 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बालक–बालिका एवं सामाजिक अंतर समाप्त करना, 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव, है का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, हम अपने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में देखें तो शत प्रतिशत नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव की स्थितियां दयनीय हैं। विद्यालयों में बच्चों का पलायन (ड्राप–आउट) तीन तरह का है। प्रथम अर्द्धदैनिक पलायन, इसमें बच्चे दोपहर के बाद (प्रायः मिल डे योजना के तहत भोजनोपरांत) दूसरा साप्ताहिक पलायन, इसमें बच्चे दो दिन या सप्ताह भर पलायन कर रहे हैं तथा तीसरा अर्द्धवार्षिक पलायन, इसमें छात्रवृत्ति तथा ड्रेस एवं निःशुल्क योजनाओं के लाभोपरांत कर रहे हैं। बच्चों का विद्यालयों से पलायन होने के कई कारक हैं। पलायन में अभिभावकों की सोच सकारात्मक न होना, प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी निरक्षर हैं, वहां बच्चों के शिक्षा के प्रति अभिरुचि का न होना, बच्चों का गलत संगत, खेती–बाड़ी के कार्य, घरेलू कार्यों में सहयोग, विद्यालयों में अध्यापकों का नियमित न आना, स्वास्थ्य, गरीबी तथा लंबी छुट्टी आदि पलायन को प्रभावित कर रहा है।

वर्ष 2002–03 के आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर 6 से 14 आयु वर्ग के 6 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और 63 प्रतिशत बच्चे स्कूल की कक्षा 10 तक की शिक्षा पूरा नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 1–10 तक, स्कूल की पढाई, बीच में छोड़ने वाले बच्चों (कक्षा 10 तक) की दर को उच्च, मध्यम एवं निम्न श्रेणी दर के सापेक्ष देखा जाय

तो उच्च दर (50–अधिक प्रतिशत) में कुल राज्य अर्थात् सम्पूर्ण देश के 60 प्रतिशत राज्य प्रभावित हैं जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। इन राज्यों में बिहार (83.60) एवं मेघालय (80.93) की स्थिति अति दयनीय है। जबकि मध्यम श्रेणी (25–50 प्रतिशत) में कुल 10 राज्य हैं जो संपूर्ण राज्यों का 28.57 प्रतिशत है जहां 25 से 50 प्रतिशत बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। निम्न दर (0–25 प्रतिशत) तथा सुखद समाचार वाले चार राज्य केरल (12.90), पांडचेरी (21.69), चंडीगढ़ (21.90) तथा लक्षद्वीप (24.13) है। यद्यपि इन राज्यों में साक्षरता दर उत्तम है, के बावजूद स्थिति अच्छी नहीं हैं फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर उच्च के सापेक्ष संतोषजनक कहा जा सकता है। बीमार राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहां पर 46.31 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढाई छोड़ दे रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतिशत और भी ज्यादा 62.58 प्रतिशत है।

कुल मिलाकर विकसित भारत : 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों उनके द्वारा शिक्षण–अधिगम को नये सिरे से देखना होगा। हमें विचार करना होगा कि हमारे सभी बच्चे सन् 2007 में विद्यालय अवश्य आवें उनका नामांकन हो, यहां ध्यान देने

योग्य बात यह है कि नामांकन एक औपचारिक नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग, बालक–बालिका समाज के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग तथा समाज के उपेक्षित, लावारिस, घुमक्कड़ तथा गांवों में अभिभावक अनुशासन से वंचित जनजातीय बच्चों को, जो बाल मजदूरी में संलग्न हैं, योजना से जोड़ा जाए। यहां स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि यह मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) मात्र अध्यापकों के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान–सब पढ़े–सब बढ़े, रैलियों से ही संभव नहीं है। अपितु इसके लिए बहुआयामी टीमें गठित करनी होगी। अध्यापक, सरकार, स्वयं सेवी संगठन, ग्राम शिक्षा समिति, पी.टी.ए., एम.टी.ए. के सदस्यों, यदि सरकार चाहे तो बेरोजगार युवा/युवतियों की टीमें स्थापित कर, कई स्तरों पर प्रयास करना होगा। नामांकन के बाद हर दो महीने विशेषकर दिसंबर से लेकर अप्रैल तक कई स्तरों पर जन जागरूकता फैलानी होगी। सर्व शिक्षा अभियान, पोलियो उन्मूलन की तरह, साक्षरता अभियान क्रांति लानी होगी तभी संभव है। हमें पाठशाला में आने वाले बच्चों एवं उनकी शिक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। उनमें भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय की दक्षताओं को विकसित करना होगा। 'रटनतू' पढ़ाई को छोना होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, विज्ञान के प्रति नयी चिंतन तथा वैज्ञानिक सोच विकसित करना होगा। माध्यमिक स्तर पर आने वाले बच्चों को विषय के प्रति, विषयगत तकनीक के प्रति, विषय के सहारे बदलते आर्थिक, सामाजिक तथा वैश्विक बदलाव से जोड़ना होगा। अपने बच्चों को स्वरोजगार, एक अच्छे नागरिक जिनमें कर्त्तव्य बोध, स्वीकारोक्ति आचरण (सिविक सेन्स) तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु..... की अवधारणा का बोध कराना होगा जिससे हमारे सरकारी पाठशालाओं से निकलने वाले बच्चे, विकास के प्रति नया लक्ष्य स्थापित कर सके।

हमें सर्व शिक्षा अभियान को एक क्रांति के रूप में देखना होगा। निरक्षरता को संक्रामक रोग की तरह, उपचार हेतु, कई चक्रो में नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यवहारिक आयाम देना पड़ेगाः–

- अभिभावकों में शिक्षा तथा उसके महत्व के संदर्भ में सोच का निर्धारण करना पड़ेगा, हमें अभिभावकों को जागृत करना होगा, गरीबी–बेरोजगारी को ध्यान में रखकर नये एजेण्डा बनाने होंगे, जिससे अभिभावकों को नयी धारा से जोड़ा जा सके।
- हमें ग्रामीण स्तर पर जनजागरूकता/अभिभावक संगोष्ठियां तथा जागरूक अभिभावकों को आर्थिक, सामाजिक तथा सुविधापूर्ण उत्साहवर्धन करना होगा। सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य कड़ी यदि अभिभावक बनाये जाए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए,तो सर्व शिक्षा अभियान ज्यादा प्रभावी होगा। विकसित भारत 2020 के परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों को जागरूक करना होगा, उनके उत्साह, विश्वास तथा शिक्षा के महत्व को बताना होगा। जागरूक अभिभावकों का एक ऐसा संगठन खड़ा करना होगा, जो शिक्षा के महत्व को समझे, समझायें तथा विद्यालय तक लाकर बच्चों का नामाकंन कराये। साथ ही बीच–बीच में मानीटरिंग हो कि जुलाई में जितने बच्चों ने नामांकन कराया, अप्रैल में उतने ही बच्चे हैं या नहीं? यदि ड्राप–आउट हो रहा है, तो उसे हमें रोकना होगा। हमें अभिभावक स्थल पर एक हलचल पैदा करनी होगी कि हमारे ग्रामीण स्तर, मलिन बस्ती, झुग्गी–झोपड़ी, घूमंतू तथा आर्थिक–सामाजिक रूप से पिछड़ा एक भी बच्चा नामांकन से छूटने न पाये, सतत् प्रयास करना होगा। यह प्रयास सरकार या अध्यापक मात्र से संभव नहीं है। हमारे उच्च शिक्षित युवाओं को आगे आना होगा। वैसे भी उच्च शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशत 7 के आस–पास है। इनकी नैतिक जिम्मेदारी अशिक्षित, कमजोर वर्गों को शिक्षा एवं विकास की पटरी पर साथ लेकर दौड़ना होगा। एक दीपक यदि दूसरा दीपक जलता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता और दूसरी तरफ बुझा दीपक सौ दीपकों को नहीं जला सकता, जबकि जलता हुआ एक दीपक सौ के लिए पर्याप्त है। अतः हमारे युवाओं को आगे आना होगा। सर्व शिक्षा अभियान जिसका मुख्य प्रेरक अभिभावक हैं, उनको जागृत एवं सचेष्ट करना होगा तभी हम अपने मिशन में सफल हो सकते हैं।

सरकार की राजनीति एवं राज्य नीतियां दोनों शिक्षा को प्रभावित करती हैं। सरकार को नीतियों को नये सिरे से देखना होगा। केंद्रीय या राज्य सरकारें जो भी शिक्षा पर पॉलिसी बना रही है व्यावहारिक रूप में उतनी कारगर नहीं हो रही हैं, जितनी होनी चाहिए। 'बीमार' राज्यों की हालत चिंतनीय है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पी.एम.ओएसटी., विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सभी के लिए बीमा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) डकार सम्मेलन, तथा सर्व शिक्षा अभियान आदि चलाई गयी

तथा चल रही हैं लेकिन साक्षरता में त्वरित अभिवृद्धि तथा गुणात्मक शिक्षा का अभीष्ट काफी दूर है। लेखक का व्यक्तिगत मानना है कि अब तक की शैक्षणिक परियोजनाएं केंद्रीय स्तर पर; अर्थशास्त्र के स्राव सिद्धान्त' के आधार पर लागू की गयी। सरकार तथा जुड़े हुए लोगों की मान्यता थी कि केंद्रीय स्तर पर योजना शुरू की जाए, जो धीरे–धीरे स्राव (रिसकर) के माध्यम से पूरे क्षेत्र यानी राज्य, जनपद, ब्लाक, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तर पर पहुंच जाएगी। यद्यपि इसका प्रभाव पड़ा लेकिन अगड़ा–पिछड़ा की समस्या क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर बढ़ी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक किये गए पूंजी निवेश, चलाये गए शैक्षिक परियोजनाओं का आत्म–विश्लेषण किया जाए तो हमें तीन प्रकार के जोन्स (प्रदेश) देखने को मिलेंगे। प्रथम, वे प्रदेश पहले से जागरूक थे, बाहरी दुनिया से लगाव ज्यादा था, शिक्षा के केंद्रीय सोच को समझ रहे थे वे ज्यादा लाभांवित हुए, ऐसे प्रदेश समुद्र तटीय, बंदरगाहों के आस–पास तथा राजधानियों मेट्रो पोलिटन एरिया तथा औद्योगिक एवं नगरीकृत रूप से संपन्न क्षेत्रों में ज्यादा हैं। दूसरे प्रदेश वे हैं जहां मिश्रित, अर्थव्यवस्था तथा पहले वाले के प्रभाव क्षेत्र से ओवरलैप हुए हैं, वे हैं। तीसरे प्रकार के वे जोन्स हैं, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से नाजुक पारिस्थितिकी वाले क्षेत्र हैं जैसे – बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड एवं अन्य हैं। अब तक सरकार की जो परियोजनायें आयी हैं वह उपरोक्त स्राव सिद्धान्त के आधार पर है। विचारणीय प्रश्न है यदि कोई शैक्षिक स्पोर्ट आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, प्रौद्योगिकी के रूप से, केरल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को एक साथ दिया जाए तो क्या सम्प्राप्ति का प्रतिशत एक तरह से होगा? केरल जहां शत–प्रतिशत साक्षरता है, उत्तर प्रदेश जहां 50 प्रतिशत साक्षरता है, दोनों की शैक्षिक स्तर तथा सामाजिक स्तर को नकारा नहीं जा सकता है। अतः सरकार को चाहिए जोन्स अनुसार आवश्यकता आधारित केंद्राभिसारित (एन.पी.आर.सी. स्तर से एनसीआरटी स्तर) शैक्षिक परियोजनायें बनाई जाए तथा उसका टेस्ट (कार्यशाला छोटे से ब्लाक में प्रयोग) कर पुनः उसे लागू किया जाए। योजना को बनाने में अध्यापकों, क्षेत्र के जागरूक अभिभावक, ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, एनजीओ तथा क्षेत्र विशेष में शिक्षा एवं शोध में अभिरुचि रखने वाले डायट के विशेषज्ञ, बीआरबी के प्रबुद्ध लोगों को शामिल कर योजनाएं बनानी चाहिए।

सरकार को 2020 में प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर समन्वित, समकालित तथा संघृत शिक्षा योजना को उपरोक्त प्रदेशों के आधार पर विचार करना चाहिए। सरकार को तीन केंद्रीय तथा पांच बातों पर ध्यान देना चाहिए। तीन केंद्रीय बिन्दुओं में पी.क्यू.आर. अर्थात प्रोडक्टिविटि (उत्पादकता), क्वालिटी (गुणवत्ता) और रैंक (स्तर) इसके अलावा 5 बिंदुओं, अध्यापक चयन, शिक्षा प्रबंध, शिक्षा नियोजन, शिक्षा मूल्यांकन, शोध एवं नये चिंतन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में अध्यापक के चयन को पारदर्शी बनाना होगा। अध्यापक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा वैज्ञानिक चयन में, चयन का आधार मानसिक स्तर या ज्ञान होना चाहिए। पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा एक दीर्घगामी उत्पादन है जिसका असर 20 वर्ष के बाद परिलक्षित होता है। हमें मूल्यांकन करना होगा कि अध्यापक का चयन किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है? इस दर्शन को समझना होगा। अध्यापक एवं सुरक्षा दोनों पेशे संवेदनशील हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि अध्यापक पेशा, व्यवसाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। बहुत से सरकारी तंत्र एवं जुड़े हुए लोगों के अंदर यह भ्रम है कि विद्यालय, रोजगार के केंद्र हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता लेकिन गुरूकुल परंपरा से ही अध्यापन पेशा एक साधना माना गया है। हमें अध्यापकों के रूप में 'साधकों' की तलाश करनी होगी। हमें समता मूलक समाज में आरक्षण को ध्यान में रखना होगा। लेकिन व्यावहारिक रूप से आरक्षण विशेष में प्रतिभासंपंन लोग शत–प्रतिशत नहीं आ पा रहे हैं। आरक्षण विशेष में अगली सोच वाले ज्यादा लाभांवित हो रहे हैं ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पिछड़े दलित वर्ग में वे ही जातियां ज्यादा लाभ ले रही हैं, जो पहले सामान्य जातियां के साथ ज्यादा मिलकर रहते थे। मंडल आयोग में तकरीबन 2500 जातियां हैं लेकिन उपरोक्त में ये ही जातियां ज्यादा प्रभावित हुई हैं। अन्य मौलिक चिंता वाले लोगों को तलाशना होगा। साथ ही आरक्षण का लाभ ले रहे अभ्यार्थियों को सोचना चाहिए कि कृपा पात्र पर जो पद या उत्तरदायित्व मिल रहा है उसके बदले हम राष्ट्र को क्या दे रहे हैं? शायद यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राष्ट्र ने हमको क्या दिया बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण है हमने राष्ट्र को क्या दिया? सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा निवेश लघुगामी बल्कि एक दीर्घगामी निवेश है जिसका उत्पादन लंबे समय (लगभग 20 वर्षों) में मिलेगा। अध्यापक चयन बहुत ही सोच समझकर करना होगा। वैसे ही 1960 के दशक के बाद वर्तमान समय में अध्यापन व्यवसाय चयन में विविधता आयी है। 1960 के दशक में मूलतः प्रतिभासंपन्न लोग स्वेच्छा से इस व्यवसाय में आते थे लेकिन अब यदि मानसिक स्तर एवं स्वतंत्र व्यवसाय चयन की दृष्टि से तीन श्रेणियां बांटी जाए तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के स्तर पर प्रथम श्रेणी के लोग सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन तथा तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी

के.एल.नोते

सेवाओं में चयन अभिरुचि दिखा रहे हैं। जबकि द्वितीय मानसिक स्तर के लोग प्रायः प्रथम श्रेणी में सहायक या प्रथम स्तर के द्वितीयक कार्यों में जा रहे हैं। प्रायः अधिकांश अध्यापक पेशे में, उपरोक्त दोनों में चयन न होने, रोजगार हेतु आ रहे हैं। बहुत ही कम लोग पेशे एवं उसकी विशिष्टता से प्रभावित होकर आ रहे हैं। हमें इस चिंतनीय बिंदु को रोकना होगा। पहले से ही अच्छी परंपरा को भी ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। बीटीसी/सीटी/जेबीटी जैसे प्रशिक्षण किन्हीं कारणेां से प्रभावित हो रही है। हमें शिक्षा में राजनीतिकरण को रोकना होगा। सरकार को एक ऐसी ठोस योजना बनानी चाहिए, जिसमें शुरू में ही मेधावी, प्रतिभासंपन्न लोगों का चयन हो उसमें आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिए जाए। राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी आदि में चयन व्यवस्था ठीक है लेकिन प्रायः अध्यापन पेशे में कमी या व्यवस्था में लचीलापन है। प्रायः देखने को मिल रहा है कि प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापक चयन इतनी लंबी प्रक्रिया हो जा रही है। कि ऊर्जावान, युवा अध्यापकों की कमी महसूस हो रही है। ज्ञातव्य है विकासशील देश की शिक्षित कार्यशील जनसंख्या 20 वर्ष से 40 वर्ष तक वास्तविक है।

सरकार को दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रथम अर्द्ध शिक्षकों की नियुक्ति तथा दूसरा स्ववित्तपोषित योजनाएं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये दोनों योजनाएं दीर्घसमय के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक नहीं हैं। अच्छे मौलिक चिंतन वाले बढ़ते पूंजीवाद के कारण पीछे हो जा रहे हैं। फैलती कोचिंग संक्रामक शिक्षा बीमारी, कईयों को चपेट में ले रखा। कोचिंग से हम प्रतिभा का निर्यात कर रहे हैं जबकि वास्तविक चिंता प्रतिभा की तलाश है। हम देख रहे हैं पैसे एवं पूंजी पर चुनिंदे प्रश्नों, प्रश्नपत्रों के आधार पर व्यवसाय में आ जा रहे हैं लेकिन कार्य क्षेत्र मे, जिस आधार पर चयन हुआ शायद वह परिणाम नहीं आ रहा है।

कई राज्यों में सरकार पैराटीचर/अल्पकालीन/अंशकालीन शिक्षामित्र/विषय विशेषज्ञ/अतिथि अध्यापक आदि को रख रही है। हो सकता है शिक्षा–अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छा हो। सरकार कम वेतन पर अपना कार्य चला ले, लेकिन क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव है? हमें इस पर भी विचार करना होगा। नवीन पाठ्य पुस्तकें, नये पाठ्यक्रम पैरा या अर्द्धअध्यापकों से संभव नहीं है। इसके तीन कारण हैं पहला कारण सुरक्षा, काम करने के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा का तात्पर्य–रोजगार की सुरक्षा, आय की सुरक्षा तथा जीवन–यापन की सुरक्षा। मजबूरी में व्यक्ति किसी भी तरह कार्य कर सकता है। अधिकांश अर्द्ध अध्यापकों से कम वेतन पर कार्य लिया जा रहा है। एक ही वातावरण, एक ही कार्य में पारिश्रमिक (वेतन) में भारी असमानता से कुष्ठा एवं तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं, जो आगे चलकर निर्माण कार्य में गतिरोध या नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 1990 के दशक में पैरा अध्यापकों की नियुक्ति शुरू हुई इनमें अधिकांश की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी, जो 55 वर्ष की हो गयी इनके बारे में ठोस वेतनमान, भविष्य निधि या रोजगार गारंटी की पहल नहीं की गयी। प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों का निरीक्षण एवं भ्रमण के दौरान परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को सामान्य ज्ञान, विषय ज्ञान मानक के अनुसार या निर्धारित दक्षता के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। हमें विचार करना होगा एकल विद्यालय औसत रूप से 200 बच्चों को क्या एक अध्यापक, एक अर्द्ध अध्यापक की सहायता से जंग लड़ी जा सकती है? सरकार एवं उनके सलाहकार कुछ विसंगतियां अध्यापक– छात्र अनुपात को दिखाकर, सरकार आलोचना से बच रही है। उदाहरण के तौर पर नगरीय, कस्बों या सड़क यातायात सुविधा वाले विद्यालयों जो केंद्र से 15 किमी. की परिधि में हैं, ऐसे विद्यालयों में अनुपात ज्यादा बताया जा रहा है, जो संपूर्ण जनपद के विद्यालयों की बातकर रहे हैं कि यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लानी है तो जूनियर स्तर पर जो गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विषय की नवीन पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम सम्मिलित किये गए हैं वह क्या एकल अध्यापक से गुणवत्तापूर्ण संभव है, व्यवहारिक रूप से देखने को मिला है कि पहले के अध्यापक जूनियर या 12वीं पास थे लेकिन उनमें अधिकांश सभी विषयों (विशेषकर भाषा, गणित तथा विज्ञान) में दक्ष थे, वर्तमान समय में, महिला अध्यापकों की 50 प्रतिशत अनिवार्यता के कारण प्रायः गणित, विज्ञान तथा भाषा विषयों में गुणात्मकता की समस्या बढ़ी है। बल्कि देखने को मिला है (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अध्यापिकाएं) कि ऐसी महिला अध्यापिकाएं, जो प्रारंभिक समय में (कक्षा 8 के बाद) गणित, विज्ञान विषय नहीं पढ़ीं, उन्हें जूनियर स्तर पर नवीनतम पाठ्य पुस्तकें/पाठ्यक्रम पढ़ाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्यायें पुरूष अध्यापकों में भी है। जूनियर स्तर पर अब विषय के अनुसार विशेषज्ञ स्तर के अध्यापकों की आवश्यकता है। अतः जूनियर स्तर पर सरकार को विषय अध्यापक ध्यान में रखकर चयन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार 2003–04 में अधिकांश पाठशालाओं में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं थे। बिहार और छत्तीसगढ़ में कुल 3 से 5 प्रतिशत पाठशालाओं में ही यह सुविधा थी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, प्रदेश में 12 से 16 प्रतिशत लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नाममात्र थी। पेयजल, ब्लैक बोर्ड, लर्निंग कार्नर, सीखने–सिखाने की सामग्री, टी.एल.एम. शैक्षिक तकनीक आदि में सुधार की आवश्यकता है। हमें विद्यालयों में शौचालय, पीने का पानी तथा कक्षा 5 से 6 तक के विद्यालयों में बालिकाओं हेतु, विद्यालय अनुसार स्वास्थ्य अध्यापिकाओं की आवश्यकता है, जो किशोरवय बालक/बालिकाओं को 'स्वास्थ्य एवं सुरक्षा' जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या – स्वास्थ्य, सुरक्षा, शारीरिक

बदलाव, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स आदि के बारे में बतायें तथा शिक्षा दें।

सरकार को बुनियादी शिक्षा के साथ–साथ माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक एवं नैतिक शिक्षा पर भी योजना बनानी होगी। इसके नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु बजट को बढ़ाना होगा। यद्यपि वित्त मंत्री माननीय पी. चिदंबरम् ने वर्ष 2006–07 के लिए शिक्षा बजट में 31.5 प्रतिशत की वृद्धिकर 24115 करोड़ रुपये का आवंटन किया। इसमें 10041 करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान के लिए दिए गए हैं, जो पूर्व के वर्ष की तुलना में 2885 करोड़ रुपये अधिक हैं। 2006–07 के बजट में यह घोषणा की गयी 5 लाख नये क्लास रूम तथ डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। मिड–डे–मिल कार्यक्रम के लिए सरकार ने बजट 3010 करोड़ से बढ़ाकर 4813 करोड़ रुपये कर दिया। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी, मीना मंच आदि को प्रोत्साहित किया गया है। इसके बावजूद हम तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ष 2004–05 में शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 3.47 प्रतिशत (इसमें राज्यों एवे केंद्र का हिस्सा शामिल) था। तब सकल घरेलू उत्पाद 2843897 करोड़ रुपये था। वर्ष 2005–06 में यह 3185165 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2005–06 में प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता तथा उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का बजट 18337.03 करोड़ रुपये था और इसमें केंद्र सरकार का हिसा 0.67 से घटकर 0.58 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 2004–05 में केंद्र सरकार का हिस्सा 0. 67 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 2.8 प्रतिशत था। अगर वर्ष 2006–07 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत शिक्षा खर्च होगा तभी 2008–09 में हम 6 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से 4.5 प्रतिशत के हिसाब से कुल 160532 करोड़ रुपये होता है इसमें केंद्र का हिस्सा 60645 करोड़ रुपये होगा, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि कर 24115 करोड़ का आवंटन किया यानी करीब 36000 करोड़ रुपये अभी बाकी है। अर्थात् यदि इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आगे 6 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करने में दिक्कत होगी। समवेत रूप में हम कह सकते हैं कि विजन 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा को तभी साकार किया जा सकता है जब सरकार (केंद्र एवं राज्य) अध्यापक चयन, राज्य एवं राजनीति आर्थिक बजट, प्रबंधन एवं नियोजन तथा उसकी मानीटरिंग सही समय एवं सही दिशा में हो।

नियोजनकर्ता एवं संस्थाएं

नियोजनकर्ता एवं संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीआरटी तथा प्रादेशिक स्तर पर एससीईआरटी, जनपद स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बीआरसी एवं न्याय पंचायत स्तर पर एनपीआरसी है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर क इन संस्थाओं के कार्य एवं दायित्व, विषय एवं पाठ्यक्रम निर्धारण, माड्यूल निर्माण, पुस्तकों की उपविषयों/पाठों को चयन उनके पढ़ने–पढ़ाने के तरीकों का शिक्षण–प्रशिक्षण, शिक्षक–अधिगण सामग्री का प्रयोग, अध्यापक तकनीक, प्रयोगशाला विकास तथा प्रभावी शिक्षण आदि के विषय में कार्यशाला, संगोष्ठियां तथा सेमिनार आयोजित करती हैं।

प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठियों की सबसे बड़ी समस्या उनकी उपयोगिता की है। जिले स्तर से न्याय पंचायत स्तर पर पैनल निरीक्षण एवं अनुश्रवण तथा अनुसमर्थन दलों की कमी के कारण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला हवा में घूमते हैं, बच्चे–अधिगम तथा अध्यापक कम लाभांवित हो रहे हैं। डायट स्तर पर अध्यापकों की कमी, विविधितापूर्ण कार्यों का दबाव, बढ़ते अध्यापक राजनीति आदि कारणों से प्रशिक्षण प्रभावी नहीं हो पा रही है।

अतः नियोजनकर्ता, नीति–निर्धारकों तथा संस्थाओं को इसके संदर्भ में ठोस नियोजन बनाना होगा, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण, माड्यूल तथा कार्यशाला देना, उसकी उपयोगिता एवं प्रयोग का निरीक्ष्ज्ञण, अनुश्रवण तथा अनुसमर्थन करना ज्यादा प्रासंगिक है।

विजन 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा, नियोजन एवं रणनीतियां

विजन 2020 को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ रणनीतियां बनानी होंगी। इन रणनीतियों के पूर्व, हमें कुछ बिन्दुओं पर पहले सोचना होगा। साथ ही कुछ ज्वलन्त समस्यायें उनका विकल्प एवं निदान करते हुए रणनीतियां बनानी होगी।

प्राथमिक शिक्षाः विजन 2020 को ध्यान में रखकर जनसंख्या एवं शिक्षा पर ध्यान देना होगा। इसके अंतर्गत जनांकिकीय स्वरूप एवं शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन करना होगा। इसमें जनसंख्या वृद्धि एवं साक्षरता दोनों को एक साथ देखना होगा। हमें जनसंख्या एवं साक्षरता को इस आधार पर देखना होगा कि यदि मान लिया जाए कि वर्ष 2005–06 में 35 करोड़ निरक्षर हैं तो 2020 में 35 करोड़ (यदि साक्षर नहीं बनाया गया) प्रौढ़ निरक्षर होंगे। दूसरा यदि सतत् नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा नही दिया गया साथ ही ड्राप–आउट को रोका नहीं गया तो एक बड़ा हिस्सा जो 6–20 आयु वर्ग में 2020 में होगी निरक्षर होगी। तीसरा प्रौढ़ एवं किशोरवय दोनों निरक्षरता से एक तीसरा संक्रमित निरक्षर जनसंख्या होगी। अतः इस पर ठोस क्रियान्वयन की जरूरत है।

- जनसंख्या की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जीवन प्रत्याशा में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण वर्ष 1951 में जहां 32 वर्ष औसत थी वह वर्ष 2001 में 62 वर्ष हो गयी तथा 2020 में 72 वर्ष होने के आसार हैं। अतः साक्षरता एवं जनसंख्या प्रकृति पर भी ध्यान देना होगा।
- जनांकिकीय संक्रमण अवस्था के अनुसार हमें शिक्षा निवेश को ध्यान देना होगा हमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर समीक्षा करना होगा कि जनसंख्या संक्रमण के आधार पर कौन सा प्रदेश किसी अवस्था में चल रहा है, इस अनुसार हमें ध्यान देना होगा।

- 0–14 आयु वर्ग में जिस तेजी से प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है क्या उस गति से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए रणनीतियां बन रही हैं? क्या प्राथमिक शिक्षा (1–8) के बदौलत विकसित भारत बनाया जा सकता है? उच्च शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 8 से 9 प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं जबकि अधिकांश विकसित राष्ट्रों (अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, आस्ट्रेलिया) में इसका प्रतिशत 50 से ऊपर है। हालांकि मूगेकर समिति ने भारत की उच्च शिक्षा को कम से कम 20 प्रतिशत लाने की बात कही है।
- यदि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 75 प्रतिशत सफलता मिलती है तो 006–07 में कक्षा 9 में नामांकन कराने वाले बच्चों की संख्या 9.4 लाख की वृद्धि होगी जबकि वर्तमान समय में यह संख्या 2.7 करोड़ है। जिस पर 5676 करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि प्राथमिक शिक्षा के बाद, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए उसी वातावरण में व्यवस्था हो पायेगी? माध्यमिक या उच्च शिक्षा की व्यवस्था (नामांकन, किताब, ड्रेस, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा के लिए अवस्थापनात्मक तत्वों) के बिना, आगे की प्राथमिक शिक्षा प्रभावित होगी।
- जिस तरह से सरकार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को एक क्रांति का रूप दे रही है, उसी के अनुरूप आगे की शिक्षा व्यवस्था देने में सक्षम हैं? क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जिन बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है वे पिछड़े, दलित, अशिक्षित, गरीबी तथा दरिद्रता से ग्रसित हैं। यदि इनको आगे नहीं बढ़ाया गया तो प्राथमिक शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करेगी, जिसे रोकना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा।
- भूमंडलीकरण एवं निजीकरण के बाद सबसे दयनीय स्थिति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की है। इनकी शिक्षा के लिए 2020 में किया विकल्प होंगे? माना सरकार छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधायें दे रही है लेकिन जातिवाद, आरक्षण, पूंजीवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, धर्मवाद और बेतहाशा बढ़ती महंगाई, गिरती कृषि उत्पादकता, भौगोलिक बदलाव, दयनीय कृषकों का जीवन आदि में कैसे प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी?
- भारत की बढ़ती आर्थिक, प्रौद्योगिकी, तकनीकी तथा ज्ञानक्रांति एवं राजनैतिक–कूटनीतिक विकास के आधार पर यदि विश्व बैंक, यूनिसेफ या अन्य संस्थायें जो भारत को सहयोग दे रही हैं यदि बंद कर दे तो क्या हमारे पास इसका विकल्प है? या विकल्प की सभी रणनीतियां बन रही हैं।
- बढ़ते पूंजीवाद एवं युवाओं में धनाढ्य बनने की ललक के नाते साइबर कैफे, कम्प्यूटर–क्लर्क या इस तरह के कार्यों में ललक बढ़ रही है। ऐसे युवा, जो वैज्ञानिक, चिंतक, प्राध्यापक, डॉक्टर एवं अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना होगा।
- बढ़ती जनसंख्या वृद्धि, लैंगिक–विभेद (भ्रूण हत्या, या बालक–बालिका विभेद) राजनैतिक तथा बदलती वैश्विक परिदृश्य के आधार पर मॉडल बनाना होगा।
- बाल मजदूरी/बाल श्रमिक, विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़ने के संदर्भ में व्यवसायिक स्तर पर एक ऐसा माडल बनाना होगा, जहां बच्चों को शिक्षा भी दी जाये तथा अर्थोपार्जन के लिए आधार ढूंढें जाएं– यहां सीखो और कमाओ जैसे कार्यक्रम शुरू करने होंगे।
- शिक्षा का मानवीकरण होना आवश्यक है। अतः शिक्षा–मानव के लिए हों, शिक्षित लोग मनुष्य बनें, सामाजिक समरसता बढ़े,।
- विजन 2020 का ध्यान में रखकर डायट स्तर पर इंटरनेट, डिजिटल पुस्तकालय, वीडियो कांफ्रेसिंग प्रणाली, या मल्टीमीडिया उपकरण अथवा इंटरेक्टि व यूनिवर्सल टेली एजूकेशन डिलीवरी सिस्टम की स्थापना तथा क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
- डायट स्तर पर अब गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की मांग करनी चाहिए इसके लिए चलते–फिरते प्रयोगशाला, प्रभावी विद्यालय केंद्र, विज्ञान मेला, माडल निर्माण आदि को प्रोत्साहित कराया जाये।
- नवीनतम तकनीक जैसे एडुसेट, एजुकेशनल सेटेलाइट (एक संचार उपग्रह है, जो भूस्थापित कक्षा में स्थापित है, जो कम लागत में सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा कार्यक्रमों का प्रार करेगा) आदि के बारे में रणनीतियां बनायी जाए।
- एनजीओ सामुदायिक संगठनों को भी जोड़ने की आवश्यकता है देश में चल रहे शिक्षा–प्रेरक संगठनों एवं उनके कार्यों तथा परिणामों को भी परिचित कराया जाय जैसे मीना मंच, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अक्षरा, (बंगलौर में बच्चों के ड्राप–आउट रोकने के लिए एक संस्था जो बड़ी ही सफलतापूर्वक कार्य कर रही है) सीआरएम आदि को जोड़ा जाय।
- डायट सतर पर आवश्यकता आधारित पैकेज देने की नियोजन बनाना होगा। हमें किस विद्यालय को किस चीज की आवश्यकता है इसका भी ध्यान देना होगा।
- हमें शैक्षिक स्तर पर क्षेत्र बांटने होंगे। क्षेत्र का चयन न्याय पंचायत/ब्लाक एवं जनपद होना चाहिए। चयन का आधार, शैक्षिक संप्राप्ति स्तर, शिक्षा का मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्तर, विद्यार्थियों को विषयगत शिक्षण अधिगम आदि को ध्यान में रखकर चयन करना होगा।
- निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत आने वाले दिनों में एक प्रभुता सम्पन्न, आर्थिक, प्रौद्योगिक तथा राजनैतिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कगार पर है। अनेक संगठन, एजेंसीज अपने अध्ययनों का बार–बार निष्कर्ष दे रही हैं कि भारत आने वाले दिनों में ग्रुप–6 देशों की अर्थव्यवस्था से आगे होगा। अतः हमें आत्मविश्वास एवं ईमानदारी के साथ शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा।

(लेखक परिषदीय विद्यालय गोरखपुर में अध्यापक एवं जिला मास्टर ट्रेनर (सामाजिक विषय) से सम्बद्ध हैं।)

विकसित भारत के लिए ग्रामीण शिक्षा की अपरिहार्यता

अजय प्रताप सिंह

आधारभूत संरचनाओं की सर्वसुलभता किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को रेखांकित करती है, परन्तु आधारभूत संरचनाओं में यदि "शिक्षा" नामक मूलभूत तत्व को उपोक्षित किया जाता है तो अनेक प्रयत्नों के बावजूद परिणाम नकारात्मक ही प्राप्त होंगें, क्योंकि मानव विकास एवं आर्थिक विकास की बुलंद इमारतें "शिक्षा" की बुनियाद पर ही खड़ी की जा सकती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को विश्व के अन्य देशों से यदि अनोखा बनाना है तो उसके शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता पर विशेष धयान देना ही होगा। 21वीं सदी की चुनौतियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा तीन–चौथाई ग्रामीण आबादी को समेटे हुए भारत जैसे विकासशील देश के लिए अत्यन्त ही अपरिहार्य हो जाता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र को केन्द्र में रखते हुए शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक परिचर्चा करे, जिससे वह स्वयं को कुछ गिने चुने विकसित देशों की सूची में अपना स्थान दर्ज करा सके।

शिक्षा का अर्थ अत्यन्त ही व्यापक है। "शिक्षा" शब्द एजूकेशन का पर्यायवाची है। एजूकेशन शब्द लेटिन भाषा के एडूकेटम से बना है। 'ई' का अर्थ है अन्दर से और 'केटम' का अर्थ है आगे बढ़ना अथवा अग्रसर करना। शिक्षा साक्षरता से भिन्न है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित किया जाता है, जबकि साक्षरता के माध्यम से व्यक्ति को भाषा, वर्णमाला, अंक इत्यादि का ज्ञान दिया जाता है। संक्षेप में शिक्षा मात्र साक्षरता नहीं है, अपितु वह व्यक्ति के मन का अनुशासन और उसके वैचारिक आयाम को द्विगुणित करता है तथा समकालीन परिवेश के प्रति वृहद् दृष्टकोण सुनिश्चित करता है। शिक्षा मनुष्य के पूर्ण विकास का साधन है, जिससे वह अपनी सर्वोत्तम शक्ति के अनुसार मानवीय जीवन में भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ अपना समन्वय स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। शिक्षा का उद्‌देश्य मात्र सूचना प्रदान करना अथवा विद्या के लिए ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु विद्यार्थी को सैद्धान्तिक रूप से सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान करना है। गांधी जी शिक्षा को "थिकिंग हैण्ड" नाम से अभिहित करते थे। उनके अनुसार, "शिक्षा का उद्‌देश्य अहिंसक, गैर–शोषण, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के साथ–साथ शिल्प–उन्मुखी है।"

वर्तमान वैश्विक परिवेश में भारत को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। अतः भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी वर्तमान विकासगामी नीतियों में यथाशक्य परिवर्तन करे। एक ऐसा परिवर्तन जो बाह्य कुप्रभावों से मुक्त होकर शेष विश्व को प्रभावित कर सके और भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाय, जिससे वह निर्णायक की भूमिका का निर्वहन कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि भारत को कम–से–कम एक विकसित राष्ट्र बनाया जाय। सर्वविदित है कि 2020 में भारत की क्या स्थिति होगी, इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए जून 2000 में योजना आयोग के सदस्य डा. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 30 विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया जिन्होंने 'इण्डया विजन 2020' नामक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में सन् 2020 तक देश के विकास के मापदण्ड निर्धारित किये गये।

परन्तु वर्तमान समय में विभिन्न योजना/परियोजनाओं के लक्ष्य एवं उसकी सफलता की दर को तार्किक ढंग से देखा जाय तो कहा जा सकता है कि रिपोर्ट में 2020 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यन्त ही जटिल है, क्योंकि सभी लक्ष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से "शिक्षा" से ही निर्देशित होते हैं और उसी के माध्यम से प्राप्त भी किये जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी और बेरोजगारी की दर को लिया जाय तो ज्ञात होगा कि इस समय 26.1: गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में से 27.1: आबादी ग्रामीण अंचल में सकेन्द्रिय है जबकि 23.6 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1992 में जहां देश में बेरोजगारों की संख्या 2.30

शेखर

तालिका–1
साक्षारता (1961–91) प्रतिशत में

	1961	1971	1981	1991
ग्रामीण				
व्यक्ति	18.8	23.7	29.7	36.7
पुरुष	28.9	33.8	40.8	47.4
स्त्री	8.4	33.8	40.8	47.4
नगरीय				
व्यक्ति	46.9	52.4	57.4	62.3
पुरुष	57.4	61.2	65.8	69.3
स्त्री	34.4	42.0	47.8	54.0

करोड़ थी, वहीं 1997 में 5.20 करोड़ और सन् 2002 तक लगभग 9.40 तक पहुंच गयी। स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी दर में वर्ष–प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। इन बेरोजगारों की सर्वाधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास कर रही है। यद्यापि भारत का आर्थिक विकास हो रहा है, परन्तु यह रोजगार रहित विकास है, जबकि होना चाहिए रोजगार सहित विकास। यह तभी हो सकता है जब हमारी अधिकांश आबादी, जो ग्रामीण अंचल में विकास करती है और जो अशिक्षित है, को शिक्षित किया जाय वह भी व्यावसायिक शिक्षा देकर। इसी प्रकार प्रति एक लाख आबादी पर अनुसंधान व विकास कार्य में लगे वैज्ञानिक व इंजीनियरों की संख्या लगभग 149 है। यह भारत जैसे विशाल देश के लिए संतोषजनक नहीं है। भारत को विकसित बनाने में वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों का अमूल्य योगदान हो सकता है। अतः इनकी संख्या 2020 तक 590 से अधिक होगी और इस संख्या को पूरा करने के लिए हमें उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा लेकर गांवों की ओर जाना होगा, क्योंकि भारत की अधिकांश बौद्धिक सम्पदा इसी क्षेत्र में संकेन्द्रित है।

देश की 72.2 प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचल में निवसित है (2001 के जनगणना के अनुसार) और शेष 27.8 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं होने के कारण (जैसा कि तालिका–1 से स्पष्ट है) वे न तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आधारभूत संरचनाओं का और न ही सरकार द्वारा प्रसारित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का लाभ लेने की स्थिति में है। साथ ही वे लोकतांन्त्रिक प्रक्रिया के विभिन्न लाभों से भी परिचित नहीं होते। चूंकि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता और शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है इसलिए वे इसका लाभ उठाकर स्वयं को और फलतः अपने शहर को विकसित करने में समर्थ हो जाते है। अतः मात्र शहरी क्षेत्रों के विकास के आधार पर यह कह देना कि 2020 के लक्ष्य को प्राप्त कर विकसित भारत का निर्माण कर लिया जायेगा, कठिन प्रतीत होता है। इसके लिए आवश्यक है कि शहरी विकास के मॉडल और सुविधाएं ग्रामीण अंचल में भी प्रसारित हों। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब ग्रामीण लोगों को शिक्षित किया जाय क्योंकि–

- इसके माध्यम से वे ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के बारे में जान सकेंगे;
- आधारभूत संरचनाओं का संरक्षण ओर उसका दक्षतापूर्ण उपयोग करने में वे सभर्थ हो सकेंगे;
- व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे तथा बेरोजगारी और निर्धनता की दर को न्यूनतम सीमा की परिधि में आबद्ध कर सकेंगे, तथा
- समकालीन परिवेश के प्रति जिज्ञासु होकर उसे अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकेंगें।

उल्लेखनीय है कि विकसित देश के लिए अन्य महत्वपूर्ण मानदण्डों में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात को भी सम्मिलित किया जाता है। जहां विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या कम–से–कम होती है, वहीं शहरी जनसंख्या अधिक–से–अधिक। उदाहरणस्वरूप ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात अमेरिका में 24:76, जापान की 22:78, व आस्ट्रेलिया की 15:85 है। भारत में स्थिति इसके विपरीत है। यहां ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 72:28 का है। अर्थात् 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। समस्यामूलक तथ्य यह है कि ग्रामीण अंचल में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1951 में ग्रामीण जनसंख्या 298 मिलियन थी, जो बढ़कर 1981, 1991 और 2001 में क्रमशः 524, 629 और 740 मिलियन तक पहुंच गयी। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के इस अनुपात को शिक्षा के माध्यम से कम किया जा सकता है। शिक्षा (मुख्यतः स्त्रियों की शिक्षा का क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध विवाह के समय आयु से, उनकी जनन क्षमता के आचरण से, शिशु जन्म और मृत्यु दर आदि से है) का परिवार नियोजन के तर्क को आसानी से समझ लेंगे, परंतु यदि उनमें से एक अथवा दोनों निरक्षर हैं तो अधिक रूढ़िवादी, अतार्किक और परंपरागत धार्मिक विचारों से ग्रस्त होंगे। उदाहरणस्वरूप केरल जहां स्त्रियों तथा पुरूषों की साक्षरता दर क्रमशः 87.86 तथा 94.20 प्रतिशत है (कुल 90.92 प्रतिशत), वहां जन्म दर सबसे कम (18.0 प्रति हजार है), जबकि उत्तर प्रदेश में जन्म दर सर्वाधिक (32.1 प्रति हजार) है क्योंकि वहां स्त्रियों की साक्षरता दर मात्र 42.98 प्रतिशत है और पुरूषों की 70.23 प्रतिशत यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, लेकिन केरल में जो भी परिवर्तन हुआ है वह मुख्यतः शिक्षा के कारण ही हुआ है। इसका आशय यह है कि विभिन्न लक्ष्यों एवं विकासमूलक कार्यक्रमों की सफलता का निर्धारण और किसी राष्ट्र को विकसित बनाने हेतु निर्धारित विभिन्न मानदण्डों का प्राप्तीकरण शिक्षा के माध्यम से ही सुनिश्चित हो सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जिसके अनुसार यदि भारत की श्रमशक्ति नई वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार हो जाये, तो वह भविष्य में एक ऐसी पूंजी के रूप में उभरेगी, जिसकी मांग विश्व के लगभग सभी देशों में होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक विकसित देश और यहां तक कि चीन में भी वर्ष 2020 तक कामकाजी आबादी की अत्यधिक कमी होगी, जबकि भारत में साढ़े चार करोड़ अतिरिक्त कामकाजी आबादी होगी। यदि यह अतिरिक्त जनसंख्या शिक्षित–प्रशिक्षित होगी, तो यह देश के लिए विदेशी मुद्रा का स्रोत बन जायेगी। इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव यह होगा कि धीरे–धीरे बेरोजगारी और गरीबी की समस्या कम होती जायेगी। उल्लेखनीय है कि लगभग सभी विकसित देशों में वृद्धों की जनसंख्या बढ़ने और जन्म दर घटने से कामकाजी लोगों की कमी का ग्राफ ऊंचा उठता जा रहा है। अधिक मशीनीकरण और आब्रजन में बढ़ोत्तरी भी इस कमी को पूरा नहीं कर पा रही है, जिससे वे भारत जैसे देशों की श्रमशक्ति पर निर्भर होने के लिए विवश है।

यह माना जा रहा है कि वर्ष 2020 तक अकेले अमेरिका में ही एक करोड़ 70 लाख कार्यशील लोगों की कमी होगी। जर्मनी में 30 लाख;

स्पेन में भी 30 लाख और रूस में 60 लाख कार्यशील लोगों की कमी होगी। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1981 में भारत में 15 से 59 वर्ष की कामकाजी आबादी 37 करोड़ थी, जो बढ़कर 2001 में 59. 40 करोड़ हो गयी और 2016 में इसके 80 करोड़ होने की संभावना है। स्पष्ट है कि 2020 तक भारत के पास विश्व का सर्वाधिक कामकाजी मानव–संसाधन हो जायेगा। पूंजी और संसाधनों की कमी से ग्रस्त भारत के पास ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने का सर्वोत्तक समय है। आज भी विश्व की निगाहें भारतीय प्रतिभाओं पर केंद्रित है। भारतीय मस्तिष्क को प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क माना जाता है। अतः इसका समुचित उपयोग करने के लिए शैक्षिक जागरूकता की आवश्यकता होगी। इसका प्रचार–प्रसार मात्र शहरों और कस्बों में ही नहीं होनी चाहिए ग्रामीण अंचल में भी होनी चाहिए। जिससे वह वर्तमान और भविष्य में ज्ञान आधारित क्रांति के महत्व को समझ सके और उसके लिए स्वयं को तैयार कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ताओं शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाये।

वर्तमान समय में यदि शिक्षा प्रणाली, उसके संचालन और उससे जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को देखा जाये तो प्रतीत होगा कि 2020 का सपना हमारे लिए जटिल हो सकता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा की मौलिकता भारत के सामने निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत कर रही है यद्यपि विगत वर्षों से भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, परंतु जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वह संविधान के लागू होने के एक दशक के अंदर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसीलिए अनुमान व्यक्त किया गया कि 1960 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे। परंतु ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद सितंबर 1961 में एन.सी.ई.आर.टी. की स्थापना हुई। इसके मुख्य उद्देश्यों में एक था– प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और उसके लिए अनुसंधान करना। यह भी कुछ खास नहीं कर सका। यद्यपि 2001 से प्रारंभ सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जैसे 2003–04 के दौरान

तालिका–2

भारत में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत दाखिलों में वृद्धि (लाख में)

वर्ष	कक्षा 1 से 5 (आयु 6 से 11 वर्ष)	कक्षा 6 से 8 (आयु 11 से 14 वर्ष)
1950–51	192	31
1960–61	350	67
1968–69	544	125
1979–80	716	193
1989–90	973	322
1999–2000	1136	4421
2000–01	926	342
2001–03	1184	457
2003–04	1224	468

सर्वशिक्षा अभियान ने 596 जिलों में वार्षिक जिला प्राथमिक शिक्षा योजना के तहत 67,190 नये स्कूलों को मंजूरी दी; 3,98,189 नये शिक्षकों की नियुक्ति की, 40,960 स्कूली भवनों का निर्माण किया इत्यादि। परंतु यह भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होने वाला है क्योंकि 2007 तक छः से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, छः से चौदह वर्ष के सभी बच्चों द्वारा 2010 तक आठ वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करना असंभव लग रहा है; वर्तमान परिवेश में सभी प्रकार की लैंगिक और सामाजिक असमानता प्रारंभिक स्तर पर 2007 तक और प्राथमिक शिक्षा स्तर पर वर्ष 2010 तक दूर करने में कठिनाई प्रतीत हो रही है तथा इसका (सर्वशिक्षा अभियान का) एक अन्य लक्ष्य–बीच में ही स्कूल छोड़ने की प्रवृति 2010 तक समाप्त हो–इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पंचवर्षीय योजनाओं अथवा वार्षिक बजट में शिक्षा के लिए निर्धारित मद में वृद्धि करने मात्र से ही शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो सकता। यह सही है कि इससे साक्षरता में कुछ वृद्धि प्राप्त कर ली जाये। फिर भी विश्व के कुछ देशों की अपेक्षा भारत में कुल वार्षिक बजट का शिक्षा के लिए अत्यल्प ही व्यय हेतु निर्धारित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका में कुल वार्षिक बजट का 19.9 प्रतिशत (साक्षरता 99.5 प्रतिशत), जापान में 196 प्रतिशत (साक्षरता 99.0 प्रतिशत); रूस में 11.2 प्रतिशत (साक्षरता 98.5 प्रतिशत); फ्रांस में 17.6 प्रतिशत (साक्षरता 97.0 प्रतिशत); कनाडा में 17.3 प्रतिशत (साक्षरता 99.0 प्रतिशत); व्यय होता है, जबकि भारत में 2006–07 कुल वार्षिक बजट का मात्र 4.27 प्रतिशत ही व्यय हेतु निर्धारित है। अब तक की निर्धारित शिक्षा मद में यह सर्वाधिक राशि है, जो वास्तव में स्वागत योग्य है। परंतु ध्यान में रखा जाये कि आगामी वर्षों में इसमें और भी वृद्धि की जाये। प्रशंसनीय तथ्य यह भी है कि 2006–07 के बजट में दलित आदिवासी तथा अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक हजार स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। परंतु बजट में विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रावधान का न होना अपेक्षित परिणाम को मर्यादित कर सकता है।

भारत में छः से चौदह वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 15.3 करोड़ है। इसमें से लगभग 80 प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में नामांकन हुआ है और इनमें से लगभग 50 प्रतिशत पहली कक्षा के बाद पांचवी कक्षा तक पहुंचने से पहले ही बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। प्राथमिक स्कूल तक की शिक्षा (पांचवी कक्षा तक) प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भारत में 38 प्रतिशत है जबकि चीन में 70 प्रतिशत मिश्र में 64.3 प्रतिशत; मलेशिया में 97.2 प्रतिशत; श्रीलंका में 90.8 प्रतिशत; और सिंगापुर में 90.0 प्रतिशत है। भारत में महिलाओं की निरक्षरता अत्यंत ही दयनीय है। एक स्वयंसेवी संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कुल 100 महिला छात्राओं में पांचवीं कक्षा तक पहुंचते–पहुंचते उनकी संख्या 40 रह जाती है और आठवीं कक्षा तक 18, दसवीं कक्षा तक 10 और बारहवीं कक्षा तक पहुंचते–पहुंचते उनकी संख्या मात्र 1 रह जाती है। यह स्थिति बीमारू राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान दर 30 प्रतिशत से भी कम है। भारत के अन्य राज्यों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम रहती ही है। साथ ही शहरी क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों की अपेक्षा और भी कम रहती है। इस प्रकार की परिस्थितियां निश्चय ही हमारे 2020 के विकसित भारत के सपने को धूमिल कर

सकती है। अतः उक्त परिस्थितियों को जन्म देने वाले कुछ मूलभूत कारकों का पता लगाना अपरिहार्य हो जाता है। यथा:

- सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है; परंतु लोगों में जागरूकता का अभाव होने के कारण संबद्ध अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के तहत आबंटित संसाधनों का स्वहित के लिए उपयोग कर लिया जाता है और कार्यक्रमों की उपलब्धियां कागजों पर ही सिमट कर रह जाती हैं तथा वास्तविक कार्यक्रम अपने उद्देश्य में अंशतः ही सफल हो पाता है।
- अधिकांश कार्यक्रमों की कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण भी परिणाम संतोषजनक नहीं प्राप्त हो पाता है, जैसे स्वयंसेवी एजेंसियों को राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता, विभिन्न एजेंसियों में समन्वय का अभाव, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में गुणवत्ता की कमी, सही मूल्यांकन का अभाव तथा पंचायती राज संस्थाओं का अविच्छिन्न रूप से सहायता का अभाव इत्यादि।
- अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक उपकरणों (चाक, श्यामपट्ट, द्रश्य–श्रव्य सामग्री) बच्चों को बैठने के लिए चाट तथा संतोषजनक विद्यालय–भवन के अभाव से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
- कहीं–कहीं एक ही शिक्षक को बिना किसी भवन के तथा किसी निजी स्थान पर कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के टूटे–फूटे भवन में प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी नहीं होती।
- कुछ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है जिससे बच्चों को अध्ययन में नीरसता और भय उत्पन्न होने लगता है। फलतः वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय प्राइवेट स्कूल उठाने लगते हैं जिसमें सदैव गुणवत्ता का अभाव होता है, क्योंकि उसके शिक्षक अधिक पढ़े–लिखे और प्रशिक्षित नहीं होते। साथ ही इन प्राइवेट स्कूलों में फीस अधिक होने के कारण गरीब माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। फलतः निरक्षरता में वृद्धि होती है।
- छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के स्थान पर शिक्षा को ही व्यावसायिक कर दिया गया है। और सत्रांत परीक्षा में प्रश्नों का ऐसा प्रारूप बनाया जाता है कि विद्यार्थी मात्र किसी तरह उत्तीर्ण होना ही अपना लक्ष्य समझने लगते हैं।
- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम उपयोगिता पर कम विचारधारा पर अधिक आधारित होते हैं। वह रुचिकर भी नहीं होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी आकर्षित नहीं हो पाते।

इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से कारण हैं, जिससे न केवल साक्षरता दर में अल्पवृद्धि हो रही है अपितु ग्रामीण शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। इसलिए अत्यंत ही आवश्यक है कि मूलभूत कमियों को दूर किया जाये तथा 2020 के लिए ग्रामीण क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए गुणवत्तायुक्त और प्रभावशाली शिक्षा के स्तर को प्राप्त किया जाये।

- सबसे पहले निरक्षरता को एक सामाजिक समस्या माना जाये और इसके उन्मूलन के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाये तथा समय–समय पर परिचर्या आयोजित किया जाये, जिसमें राष्ट्र स्तर के ख्याति प्राप्त विभूतियां भी सम्मिलित हों।
- चूंकि सरकार अकेले निरक्षरता की विशाल समस्या को दूर नहीं कर सकती, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह समुचित संसाधन उपलब्ध कराने के बाद ऐसी संस्थाओं, एजेंसियों और व्यक्तियों की पहचान करें, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान और वचनबद्धता हो। साथ ही निरीक्षण–पर्यवेक्षण हेतु एक समिति भी बनानी चाहिए। इससे योजनाओं का समय–समय पर मूल्यांकन भी होता रहेगा और वांछित परिणाम भी प्राप्त हो सकेगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति पर पारदर्शिता का ध्यान रखा जाये तथा इन्हें वेतन व भत्ते समय–समय पर दिये जाये, जिससे उनमें असंतोष की भावना न उत्पन्न हो। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के संचालन का कार्य सौंपा गया है, को अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाये।
- 1994 में स्थापित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीईपी), जो वर्तमान समय में मात्र 9 राज्यों के 129 जिलों में कार्यरत हैं, को भारत के संपूर्ण जिले में लागू किया जाये।
- विद्यालयों का वातावरण सौहार्दपूर्ण और अध्यापक का छात्रों के प्रति व्यवहार प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही अध्यापकों द्वारा विद्यार्थी की अभिरुचि को देखकर उसके उपयुक्त विषय के चुनाव करने में परामर्श देनी चाहिए।
- छात्रों की इच्छाओं का दमन न हो, इसलिए उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए तथा विद्यालय में खेलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे शारीरिक व मानसिक विकारों से ग्रस्त न हों।
- दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अतः इस हेतु ग्रामीण अंचलों में भी तकनीकी संस्थान स्थापित किये जायें, जहां उन्हें उच्च कोटि की मूल्यपरक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक हो, वहां पर एक डिग्री कॉलेज अवश्य खोला जाये।
- प्रौढ़ साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाये, और इसे जनांदोलन का रूप दिया जाये। महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रों को अवकाश, जो लगभग 120 दिनों का होता है, के दिनों में ग्रामीण अंचल के प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए प्रशस्ति–पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया जा सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास का कोई भी मार्ग शिक्षा जैसे मूलभूत पैमाने से होकर ही गुजरेगा। समतावादी, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ गयी है। भूमंडलीकरण के इस युग में गांवों के देश भारत के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि वह अपने ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता को दूर करके माध्यमिक स्तर से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी–युक्त गुणवत्तामूलक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का दृढ़ संकल्प लें, क्योंकि भारत की बौद्धिक संपदा को निकालकर राष्ट्र हित में उसका सर्वोत्तम उपयोग इसी क्षेत्र से संभव है। साथ ही देश के बुद्धिजीवी वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया और स्वयंसेवी संस्था यदि ईमानदारी से स्वयं को ग्रामीण अंचल की ओर केंद्रित करें तो निश्चय ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जब भारत उड्यन, सड़क परिवहन, सूचना–प्रौद्योगिकी, आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है। यदि विकासगामी नीतियों में शिक्षा पर सर्वाधिक बल देकर उसे ग्रामीण क्षेत्रों से प्रारंभ किया जाता है तो निश्चय ही भारत 2020 के पहले ही एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जायेगा।

(लेखक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में शोधार्थी हैं)

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति

विजय सिंह राघव

विगत दशकों से साक्षरता के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1951 में 8.86 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थी। 2001 में साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत तक पहुंच गयी। लेकिन पुरुषों की तुलना में यह अभी भी 21.69 प्रतिशत कम है। खुशी का इजहार करने वाली बात यह है कि साक्षरता में लैंगिक अंतर 1981 से निरंतर कम हो रहा है। 1981 में पुरुष तथा स्त्रियों की साक्षरता दर के मध्य 26.62 प्रतिशत का अंतर था जो 4.93 प्रतिशत कम होकर 2001 में 21.69 प्रतिशत ही रह गया। महिला साक्षरता दर और लैंगिक अंतर को तालिका–1 में दिखाया गया है।

- वर्ष 1951, 1961, 1971 के साक्षरता दर में 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या ली गयी है 1981, 1991 तथा 2001 की दरों में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या ली गयी है।
- 1981 के लिए साक्षरता दर में असम को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि नई जनगणना नहीं करायी जा सकी 1991 की जनगणना में साक्षरता दर तैयार करते समय जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां गड़बड़ी के कारण 1991 में जनगणना नहीं करायी जा सकी।
- 2001 की जनगणना के लिए साक्षरता के समूचे कच्छ जिले, राजकोट जिले के मौरवी, मलिया, मियाना और बांकानेर तालुक, जामनगर जिले के जोदिया तालुक की अनुमानित जनसंख्या को शामिल किया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक विपदा की जगह से भारत की जनगणना में जनसंख्या की गणना नहीं हो सकी।

महिला शिक्षा के मामले में यह नोट करने की बात है कि, अशिक्षित महिलाओं की संख्या 1991 में 200.07 मिलियन थी जो गिरकर वर्ष 2001 में 189.6 मिलियन ही रह गयी। फिर भी यह संख्या काफी अधिक है।

जहां तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर की स्थिति की बात है तो उपलब्ध आंकड़े यह कहानी कहते हैं कि पांच

तालिका–1
भारत में महिला साक्षरता दर की स्थिति और लैंगिक अंतर
(वर्ष 1951–2001)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला	साक्षरता दर में पुरुष–स्त्री अंतर कालम–3, कालम–4
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.99
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	54.13	39.29	24.84
2001	65.38	75.85	54.16	21.69

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों– केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और गोवा की स्थिति महिला साक्षरता के मामले में सबसे अच्छी है और उन्हें उच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि इनमें 75 से 88 प्रतिशत तक महिलाएं साक्षर हैं। साक्षरता दर में लैंगिक अंतर भी इन पांचों राज्यों में तुलनात्मक रूप से बहुत कम (4.0 प्रतिशत से 14.0 प्रतिशत के मध्य) है, लेकिन इसके विपरीत 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों– छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरूणाचल प्रदेश, दादर, व नागर हवेली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और बिहार की स्थिति सर्वाधिक शोचनीय है क्योंकि इनमें महिला साक्षरता भारतीय औसत (54.2 प्रतिशत) से काफी कम है। (हालांकि इन सभी राज्यों में पिछले दशक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है) यह भी उल्लेखनीय है कि इन सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लैंगिक अंतर भी बहुत अधिक (18 प्रतिशत से लेकर 33 प्रतिशत के मध्य) है। लैंगिक अंतर की दृष्टि से तो उत्तरांचल, हरियाणा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों की स्थिति भी काफी खराब है। राज्यवार महिला साक्षरता दर और लैंगिक अंतर को तालिका–2 में प्रदर्शित किया गया है।

जहां तक विद्यालय छोड़ने की दर का सवाल है तो पुरूषों की तरह ही महिलाओं के विद्यालय छोड़ने की दर में काफी कमी हुई है। लेकिन आज भी लड़कियों में विद्यालय छोड़ने की दर लड़कों से काफी अधिक है। जैसा कि तालिका–3 में दिखाया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि पुरुष तथा महिला दोनों ही में दोनों ही स्तरों (प्राथमिक तथा मिडिल) पर विद्यालय छोड़ने की दर में कमी हुई है। हालांकि विद्यालय छोड़ने की दर लड़कियों में लड़कों से अधिक है तथापि विद्यालय छोड़ने की दर में कमी करने में लड़कों की तुलना में लड़कियों ने बहुत अच्छी प्रगति की है। प्राथमिक स्तर पर लड़कों में विद्यालय छोड़ने की दर वर्ष 1980–81 में 56.2 प्रतिशत थी जो वर्ष

तालिका–2

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर और लैंगिक अंतर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरूष	महिला	साक्षरता दर में पुरूष महिला अंतर
केरल	94.2	87.9	6.3
मिजोरम	90.7	86.1	4.6
लक्षद्वीप	93.2	81.6	11.6
चंडीगढ़	85.7	76.7	9.0
गोवा	88.9	75.5	13.4
अंडमान निकोबार	86.1	75.3	10.8
दिल्ली	87.4	75.0	12.4
पांडिचेरी	88.9	74.1	14.8
दमन व द्वीव	88.4	70.4	18.0
हिमाचल प्रदेश	86.0	68.1	17.9
महाराष्ट्र	86.3	67.5	18.8
त्रिपुरा	81.5	65.4	16.1
तमिलनाडू	82.3	64.6	17.7
पंजाब	75.6	63.6	12.0
नागालैंड	71.8	61.9	9.9
सिक्किम	76.7	61.5	15.2
मेघालय	66.1	60.4	5.7
उत्तरांचल	84.0	60.0	23.8
पश्चिम बंगाल	77.6	60.2	17.4
मणिपुर	77.9	59.7	18.2
गुजरात	80.5	58.6	21.9
कर्नाटक	76.3	57.5	18.8
हरियाणा	79.3	56.3	23.0
असम	71.9	56.0	15.9
अखिल भारत	75.9	54.2	21.7
छत्तीसगढ़	77.9	52.4	25.5
आंध्र प्रदेश	70.0	51.2	18.8
उड़ीसा	76.0	51.2	24.8
मध्य प्रदेश	76.8	50.3	26.5
राजस्थान	76.4	44.3	32.2
अरूणाचल प्रदेश	64.9	44.2	19.8
दादर व नगर हवेली	73.3	43.0	30.3
उत्तर प्रदेश	70.2	43.0	27.2
जम्मू कश्मीर	65.8	41.8	24.0
झारखंड	67.9	39.4	28.5
बिहार	60.3	33.6	26.0

स्रोत : भारत की जनगणना 2001

1999–2000 में 38.7 प्रतिशत ही रह गई। इस तरह इस अवधि (1980–81 से 1999–2000) में लड़कों में विद्यालय छोड़ने की दर में 17.5 प्रतिशत की कमी आई। वही दूसरी ओर लड़कियों में विद्यालय छोड़ने की दर 1980–81 में 62.5 प्रतिशत थी जो 1999–2000 में 42. 3 प्रतिशत ही रह गई। इस तरह इस अवधि में लड़कियों में विद्यालय छोड़ने की दर में 20.2 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर में लड़कों से अधिक कमी आई है। लेकिन लैंगिक अंतर आज भी काफी ऊंचा है। वर्ष 1980–81, 1990–9 तथा 1999–2000 में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों में विद्यालय छोड़ने की दर लड़कों से क्रमशः 63 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत अधिक थी लगभग इसी प्रकार की प्रवृतियां मिडिल स्तर पर दृष्टव्य होती है।

विद्यालय छोड़ने की दर में मी आने का आशय यह ह कि महिलाओं की विद्यालय में दाखिल रहने की दरों में बढ़ोत्तरी हो रही है यह बात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के आंकड़ों से पुष्ट हो जाती है। प्राथमिक और मिडिल दोनों स्तरों पर बालिकाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात, प्राथमिक स्तर के संबंध में 1980–81 के 64.1 प्रतिशत से बढ़कर 1999–2000 में 85.2 प्रतिशत हो गया इसी अवधि के दौरान मिडिल स्तर के संबंध में यह 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 49.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1980–81 और 1999–2000 के बीच लड़कियों द्वारा की गई प्रगति (प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर 21.1 प्रतिशत और 21.1 प्रतिशत) लड़कों द्वारा की गयी प्रगति (प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 12.9 प्रतिशत) की तुलना में काफी अच्छी थी। लेकिन इसके बावजूद उच्च लैंगिक अंतर बना हुआ है आज (1999–2000) भी प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लड़कों से 18.9 प्रतिशत कम है और मिडिल स्तर पर 17.5 प्रतिशत कम है।

अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं। उच्चतर शिक्षा, जिसमें कालेज, विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक कालेज आदि शामिल है में नामांकित महिलाओं की संख्या 1990–91 के 1.32 मिलियन से बढ़कर 1999–2000 में 3.03 मिलियन हो गयी लेकिन देश की विशाल महिला आबादी (2001 में देश की 1027 मिलियन की आबादी में महिलाओं की जनसंख्या 48. 3 प्रतिशत यानी 495.7 मिलियन थी) के मद्देनजर यह संख्या अत्यंत कम है। लेकिन खुशी की बात यह है कुल नामांकन में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत काफी उन्नत हुआ है और लैंगिक अंतर काफी कम हुआ है। 1990–91 में कुल नामांकन में महिलाओं का नामांकन 33.0 प्रतिशत था जो 1999–2000 में 6.8 प्रतिशत बढ़कर 39.8 प्रतिशत तक पहुंच गया। 1990–91 में कुल नामांकन में महिलाओं का नामांकन पुरुषों के नामांकन से 34.0 प्रतिशत कम था। 1999–2000 में यह अंतर मात्र 20.4 प्रतिशत रह गया। लेकिन फिर भी यह अंतर काफी अधिक है। विभिन्न पाठयक्रमों में नामांकन को देखे तो उपलब्ध आंकड़े भी इसी प्रकार की कहानी बखान करते नजर आते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन काफी उन्नत हुआ है और उन सभी पाठ्यक्रमों में लैंगिक अंतर काफी कम हुआ है लेकिन विभिन्न पाठ्यक्रमों में आज भी यह अंतर काफी अधिक है मिसाल के तौर पर स्नातक पाठ्यक्रम में महिलाओं की संख्या 1990–91 के 1.14 मिलियन से बढ़कर 1999–2000 में 2.66 मिलियन हो गयी। 1990–91 में स्नातक पाठ्यक्रम में महिलाओं का नामांकन पुरुषों के नामांकन से 30.6 प्रतिशत में था। 1999–2000 में यह अंतर मात्र 18.2 प्रतिशत ही रह गया। लगभग इसी प्रकार की प्रवृत्तियां अन्य सभी पाठ्यक्रमों में दृष्टिगोचर होती हैं।

तालिका–3

लड़कियों में विद्यालय छोड़ने की दर (1980–81 से 1999–2000)

वर्ष	प्राथमिक				मिडिल (6 से 8 तक)			
	जोड़	लड़कियां	लड़के	विद्यालय छोड़ने की दर में महिला पुरूष अंतर (कालम–3, कालम–4)	जोड़	लड़कियां	लड़के	विद्यालय छोड़ने की दर से महिला पुरूष अंतर (कालम–3, कालम–4)
1980–81	58.7	62.5	56.2	6.3	72.7	79.4	68.0	11.4
1990–91	42.6	46.0	40.1	5.9	60.9	65.1	59.0	6.0
1999–2000	40.3	42.3	38.7	3.6	54.6	58.0	52.0	6.0
(1980–81 और 1999–2000 के बीच गिरावट)	58.7–40.3 =18.4	62.5–42.3 =20.2	56.2–38.7 =17.5	6.2–3.6 =2.7	72.7–54.6 =18.1	79.4–58.0 =21.4	68.0–52.0 =16.0	11.4–6.0 =5.4

स्रोतः शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

गरीबी, सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियां और सामाजिक कुरीतियां महिला शिक्षा में बाधक

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति के विश्लेषण से यही निष्कर्ष निकलता है कि आज भी शिक्षा में उच्च लैंगिक अंतर बना हुआ है और शिक्षा के मामले में लड़कियां, लड़कों से काफी पीछे हैं हालांकि लैंगिक अंतर पहले से काफी कम हुआ है। शिक्षा में उच्च लैंगिक अंतर के बने रहने का कारण गरीबी तो है ही सामाजिक, सांस्कृतिक विसंगतियों, सामाजिक कुरीतियों का बने रहना भी है।

भारत में आज भी काफी परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर कर रहे हैं आंकड़ों की बात करें तो देश की लगभग 26 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही है। गरीबी की स्थिति में परिवार शिक्षा पर अधिक ध्यान संकेंद्रित नहीं कर पाते। यदि किसी भी कारण से शिक्षा की ओर उन्मुख होने के अवसर यदि उन्हें मिलते भी हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता लड़कों की ही होती है गरीब परिवारों में जहां रोजी–रोटी का उचित प्रबंध नही है तो महिलाओं/लड़कियों को शिक्षा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। गरीब परिवारेां के सोपान में रोटी का उद्देश्य प्राथमिक होती है और शिक्षा का द्वितीयक। ऐसे में माता–पिता सोचते हैं कि बच्चे चाहे वे लड़के हों या लड़कियां कुछ न कुछ कमा कर लायें और परिवार की आय में कुछ न कुछ योगदान करें। हालांकि परिवार की आय में उन बच्चों की आय का योगदान बहुत अधिक नहीं होता तथापि दो जून की रोटी की व्यवस्था में वह योगदान बहुत मायने रखता है। इस प्रकार का योगदान वे शिक्षा का परित्याग करके ही कर सकते हैं।

सामाजिक–सांस्कृतिक विसंगतियों तथा कुरीतियों के बने रहते हुए भी महिलाएं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ भी नहीं पाती और जुड़ती भी है तो दो चार जमात के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं और शिक्षा के उच्च स्तरों तक पहुंच ही नहीं पाती।

इन विसंगतियों तथा कुरीतियों के चलते माता–पिता लड़कों को तो घर के अन्य खर्चे काटकर भी यहां तक की कर्ज भी लेना पड़े तो भी पढ़ाते हैं घर से दूर भेजकर पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। परन्तु लड़कियों कितनी भी योग्य हो उन्हें पढ़ने से वंचित रखा जाता है। जबकि लड़के पढ़ना नहीं चाहते तब भी उन्हें पढ़ाई के लिए कहा जाता है लेकिन अगर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है।

पुरुष प्रधान मानसिकता वाले कुछ परिवार आज भी यह सोचते हैं कि लड़कियां पराया धन है इसलिए उनकी शिक्षा पर खर्च करना लाभहीन निवेश है जिसका फायदा घर वालों को नहीं मिलेगा। दूसरे वे यह भी सोचते हैं कि यदि लड़कियों को अधिक पढ़ाया लिखाया गया तो उन्हें वर भी अधिक पढ़ा–लिखा ढूंढना होगा। और अधिक पढ़ा लिखा वर तभी मिल पायेगा जब अच्छा खासा दहेज दिया जाये।

पुरुष प्रधान मानसिकता वाले कुछ परिवार लड़कियों को न पढ़ाने के पीछे या अधिक नहीं पढ़ाने के पीछे यह तर्क देते भी नहीं अघाते कि लड़की के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं आखिरकार शादी के बाद उसे घर ही संभालना है। ऐसे में उसे घर के काम काज में पारंगत होने की अधिक आवश्यकता है और घर के कामकाज में वह बिना पढ़े लिखे भी पारंगत हो सकती है ताकि शादी के बाद जब वह अपनी ससुराल जाये तो एक कुशल ग्रहणी साबित हो सके।

कुछ परिवारों में (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के) परिवार का हर एक सदस्य लड़कियों से यह अपेक्षा करता है कि वह परिवार के छोटे बच्चों की देखभाल करेगा, पानी चारा लायेगी, गोबर इकठ्ठा करेगी और घर के अन्य छोटे–बड़े कार्य करेगी। ऐसे में वह शिक्षा संस्थानों में पढ़ने के लिए कैसे जा पायेगी या फिर शिक्षा के लिए कैसे समय निकाल पायेगी।

आज भी बहुत से मुस्लिम परिवारों में और बहुत से अंधविश्वासी रूढ़िवादी हिन्दू परिवारों में लड़कियां पर्दा प्रथा और अन्य बंदिशों के रहते पढ़ ही नहीं पाती या शिक्षा के उच्च स्तरों तक पहुंच ही नहीं पाती।

दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता

परंपरागत/औपचारिक शिक्षा संस्थान अपने सांगठनिक शिक्षा के रूढ़ रास्ते के चलते पूर्वोक्त अभिव्यक्त कारकों (सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियां एवं कुरीतियां आदि जो महिला शिक्षा में बाधक हैं) के प्रभाव को कम करने में विशेषकर कुछ नहीं कर पाते। कुछ राज्यों ने शिक्षण शुल्क में छूट का प्रावधान कर रखा है, किंतु केवल इतना करने

भर से यथास्थिति को नहीं बदला जा सकता इसके निम्नलिखित कारण हैं–

- परंपरागत शिक्षा को जारी रखने में लगने वाली निजी कीमत का बहुत छोटा सा हिस्सा शिक्षण शुल्क का होता है। माता–पिताओं/अभिभावकों को शिक्षण शुल्क के अलावा और अन्य अनेक खर्चे (जैसे यातायात का खर्च, पाठ्य पुस्तकों, कापी किताबों का खर्च, वर्दी/यूनिफार्म का खर्च आदि) भी वहन करने होते हैं। सामान्य आर्थिक स्थिति में इन सभी खर्चों को वहन करना आसान नहीं होता और उस स्थिति में तो और भी नहीं जब परिवार में बच्चों की संख्या अधिक हो। इन परिस्थितियों में परंपरागत शिक्षा संस्थान बहुत सी महिलाओं/लड़कियों की पकड़ से दूर हो जाते हैं।
- बहुत सी स्त्रियों/लड़कियों को (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की) घर की चार दीवारी के बीच ही सिमट कर रख दिया जाता है। घर के भीतर ही उन पर काफी कामकाज लाद दिया जाता है वे अनेक घरेलू कार्यों में उलझी रहती हैं जिससे उनकी पहुंच परंपरागत शिक्षा संस्थानों तक हो ही नहीं पाती।
- कुछ कारणों के कारण लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है विद्यालय छोड़ने की ऊंची दर की परिणति यह होती है बहुत से लड़कियां शिक्षा के उच्च स्तरों तक नहीं पहुंच पाती और परंपरागत शिक्षा संस्थान उनकी पकड़ से दूर हो जाते हैं। पर्दा प्रथा और उन पर लगाई जाने वाली अनेक बंदिशों के चलते भी या फिर जब परंपरागत शिक्षा संस्थान पढ़ने वाली लड़कियों के निवास स्थान से काफी दूर होते हैं तो भी वे उनकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं।
- विवाह के उपरांत महिलाएं परंपरागत शिक्षा संस्थानों से चाहते हुए भी संबद्ध नहीं रह पाती विडंबना यह है कि बहुत सी लड़कियों का विवाह कम आयु में ही हो जाता है इसलिए वे परंपरागत शिक्षा के बस्ते को भी कम आयु में ही विदा कर देती हैं। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1991 में जहां पुरुषों में विवाह की औसत आयु 23.9 वर्ष थी वहीं महिलाओं में 19.5 वर्ष थी लैंगिक अंतर (दोनों की विवाह की औसत आयु में अंतर) 4.4 वर्ष का था। इसका आशय यह हुआ कि लड़कियों का विवाह लड़कों से 4.4 वर्ष पहले हो जाता है और अब यदि यह मान लिया जाये कि विवाह के बाद परंपरागत औपचारिक शिक्षा जारी नहीं रह पाती तो इसका आशय यह होगा कि परंपरागत शिक्षा के बस्ते को लड़कियां, लड़कों से 4.4 वर्ष पहले ही विदा कर देती हैं।

सर्वेश

- आज महिलाएं बड़ी तादाद में कुछ समय तक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी/व्यवसाय में संलग्न हो जाती हैं नौकरी/व्यवसाय में संलग्न होने के बाद उनका परंपरागत शिक्षा से नाता टूट जाता है।

उक्त सभी कारणों के संदर्भ में महिला शिक्षा के क्षेत्र में दूर शिक्षा की भूमिका को महसूस किया और समझा जा सकता है। यदि देश मे दूर शिक्षा संस्थानों की समुचित व्यवस्था हो उनकी गुणवत्ता अच्छी हो तो यह परिवेश महिला शिक्षा के उन्नयन में बड़ा सहायक हो सकता है।

"दूर शिक्षा वस्तुतः विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विभिन्न भौगौलिक क्षेत्रों में बिखरे विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनकी सुविधा तथा गति से, ज्ञान, कौशल एवं अभिवृति प्रदान करने की एक विद्या है जिसमें उच्चकोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पाद तथा संप्रेषण में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक प्रयोग किया जाता है।

दूर शिक्षा प्रणाली से वे सभी महिलाएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं जो किन्हीं मजबूरियों (पर्दाप्रथा, घरेलू कामकाज में अत्यधिक व्यस्तता, नौकरी, विवाह और समाज की अन्य अनेक बंदिशों आदि) के चलते औपचारिक शिक्षा संस्थानों में पढ़ नहीं सकी। दूर शिक्षा प्रणाली उन महिलाओं को जो शिक्षा के अनेक अवसरों से वंचित रह गई या पढ़ाई छोड़ बैठी फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ती है। इस प्रणाली में महिलाएं कालेज में पढ़ने के लिए बाहर जाने के बजाय घर में बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं यह प्रणाली महिलाओं को जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। उस आवश्यकता यही है कि महिलाएं ही आगे पढ़ने का संकल्प करें।

महिलाओं तक दूर शिक्षा प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के उपाय

दूर शिक्षा संस्थानों में महिलाओं की पहुच सुगम बनाने तथा इस ओर उन्हें आकर्षित करने हेतु अशिक्षित, कम शिक्षित और अधिक शिक्षित महिलाओं के लिए कुछ नये पाठ्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये जो भूमण्डलीकरण के आज के दौर के अनुकूल हो और जो उन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्वावलंबी बना सकें। साथ ही ऐसे पाठ्यक्रम भी दूर शिक्षा संस्थानों में शुरू किये जायें जो महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समुन्नत करे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक व्यवहारिक हो। इसके लिए स्वास्थ्य–शिक्षा के भी अनेक नये–नये पाठ्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं। उक्त पाठ्यक्रमों की ओर महिलाओं को आकर्षित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाना चाहिये।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है परंतु इन पर अतिशय जोर देना नारी शिक्षा के प्रति भेदमूलक दृष्टिकोण को ही व्यक्त करेगा।

अतः महिलाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिये। महिलाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों की ओर आकर्षित करने और उनमें उन्हें बनाये रखने के लिए दूर शिक्षा प्रणाली को और भी अधिक लचीला बनाना होगा। दूर शिक्षा प्रणाली को, महिलाओं के लिए निम्न तीन प्रमुख क्षेत्रों में लचीलापन प्रदान करना चाहिये।

- प्रथम क्षेत्र नामांकन प्रक्रिया से संबंधित है इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा में छूट देना, प्रवेश परीक्षाओं में आवश्यक प्राप्तांकों को कम करना, प्रचार को महिलाओं पर केंद्रित करना आदि उपायों को अपनाया जा सकता है।
- शिक्षण शुल्क में रियायत, शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति और ऐसी ही वित्तीय सहायता वह दूसरा क्षेत्र है जिसके द्वारा दूर शिक्षा प्रणाली महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकती है। दूर शिक्षा संस्थान नियोक्ताओं से इस मामले में विचार–विमर्श कर सकते हैं और अपनी महिला कर्मचारियों की शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए उनसे बातचीत कर सकते हैं। दूर शिक्षा प्रणाली से संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी नियोक्ताओं को यह समझा सकते हैं और यह सलाह दे सकते हैं कि महिला कर्मचारियों की शिक्षा जो दूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुलभ करायी जायेगी पर यदि वे ध्यान दें तो इसमें उनका ही हित है। महिला कर्मचारियों की जीवन पर्यन्त चलने वाली दूर शिक्षा, उनको सौंपे गये कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निरंतर निखार ही लायेगी और उनकी उत्पादकता/गुणवत्ता को निखारेगी।
- विद्यार्थी सहायता सेवा तीसरा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं के लिए सुविधाजनक प्रावधानों की व्यवस्था के गंभीर प्रयास किये जा सकते हैं उदाहरण के लिए परामर्श सत्रों को शाम के समय सप्ताहांतों या अवकाश के दिनों में आयोजित करना अन्य सेवारत विद्यार्थियों के लिए तो उपयुक्त हो सकता है परंतु घरेलू महिलाओं के लिए अपरान्ह के दौरान इन सुविधाओं को प्रदान करना उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। अध्ययन केंद्र के समन्वयकों को इस तरह की छूट दी जानी चाहिये कि वे महिलाओं के अनुकूल काउंसलिंग के समय में भी महिलाओं की सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सके। महिला परामर्शकों की नियुक्ति, महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्र, महिलाओं की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखने वाले अलग कक्ष की स्थापना आदि को प्रणाली का हिस्सा बनाकर उसे और भी अधिक लचीला बनाया जा सकता है।

चूंकि भारतीय परिवेश में पुरूष मानसिकता को बदलना आसान नहीं होगा या फिर इस पुरूष मानसिकता के बदलने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में दूर शिक्षा उनके शैक्षिक स्तर के उन्नयन में बड़ी सहायक होगी। इससे महिला शिक्षा का स्तर उत्तरोत्तर निखरेगा।

(लेखक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर, उ.प्र. में अर्थशास्त्र विभाग में रीडर एवं अध्यक्ष हैं)

राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने 6 वर्षीय महत्वाकांक्षी कृषि अनुसंधान कार्यक्रम–राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना में कृषि प्रौद्योगिकी में अभिनव प्रयोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। विश्व बैंक सहायता से चलाई जाने वाली 1170 करोड़ रुपये की इस परियोजना से भारतीय कृषि क्षेत्र का तथा आय के साधन मिलेंगे। सहयोगात्मक विकास और सार्वजनिक संगठनों की किसान समूहों, निजी क्षेत्र और अन्य पणधारियों के साथ भागीदारी के द्वारा कृषि क्षेत्र में अभिनव प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। श्री पवार ने इस परियोजना को एक बेशकीमती परियोजना बताते हुए कहा कि यह भारतीय कृषि को एक लाभप्रद उद्यम बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

कृषि मंत्री ने इस तथ्य पर बल दिया कि यह परियोजना न केवल पुराने अनुभवों तथा वर्तमान अनुसंधान प्रयासों का उपयोग करेगी बल्कि अलग तरह से कारोबार करने के लिए अभिनव तौर–तरीकों का भी पता लगाएगी। इस परियोजना को प्रतिस्पर्धात्मक वित्तपोषण के साथ सामूहिक रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य अभिनव तौर–तरीकों में उत्पादन से लेकर खपत व्यवस्था तक सभी क्षेत्रों में अनुसंधान अलाभांवित जिलों पर ध्यान, बुनियादी तथा सामरिक अनुसंधान को मजबूत करना तथा कारोबार विकास व आईपीआर प्रबंध में संस्थागत कौशल बढ़ाना शामिल है।

डा. मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने इस परियोजना को कृषि विकास की नई कार्यानीति के कार्यान्वयन के लिए एक परिवर्तन का वाहन बताया और कहा कि मूल्य श्रृखंला के जरिए कारोबार के विज्ञान, आजीविका सुधार के खासकर अलाभांवित क्षेत्रों, में आजीविका सुधार के विज्ञान और कृषि विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों की चिंताओं का हल तलाशा जाएगा।

डा. अहलुवालिया ने कहा कि इस परियोजना से न केवल कृषि उत्पादन दुगना करने में बल्कि 11वीं योजना और अधिक सर्वानिहित विकास प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

यह परियोजना चार घटकों पर ध्यान देगी जिसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में परिवर्तन, उत्पादन से लेकर खपत प्रणालियों तक सभी क्षेत्रों में अनुसंधान, दीर्घाकालीन ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पर अनुसंधान और कृषि विज्ञानों के प्रमुख क्षेत्रों अनुसंधान कार्य के प्रबंधन के लिए आईसीएआर के एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में काम करना है।

शिक्षा : राष्ट्र विकास की कुंजी

करुण बहादुर सिंह

शिक्षा विहीन समाज के विकसित राष्ट्र की कल्पना करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। शिक्षित समाज ही राष्ट्र विकास की अवधारणा को साकार कर सकने में समर्थ है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो पाना संभव है। यह शिक्षा ही है, जो एक आम व्यक्ति को समाज में अलग एक विशिष्ट स्थान दिलवाने का सामर्थ्य रखती है।

शिक्षा एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। जिसका न ही कोई आदि है और न ही अंत। मानव जन्म से लेकर अपने अस्तित्व के धूमिल होने तक शिक्षारत रहता है। बस यदि कुछ बदलता है तो वह है– शिक्षा का स्वरूप। माध्यमिक शिक्षा, उच्च तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा इत्यादि। विकास और आधुनिकता की दौड़ में आगे बने रहने के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था है– प्रोफेशनल एजुकेशन। यह पारंपरिक एकेडमिक एजुकेशन से सर्वदा भिन्न है। यह समस्त शिक्षाएं हमें अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाती है। यही विशेषता राष्ट्र विकास के घटकों के रूप में प्रयुक्त होकर विकास व उन्नति को सुदृढ़ करती है।

भारत में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार भारी मात्रा में अनुदान देती है। भारत में शिक्षित व्यक्ति का औसत जहां स्वतन्त्रता पश्चात 1951 में मात्र 18.33 प्रतिशत था। वहीं सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति लगातार सजगता व प्रयास के कारण 1961 में 28.30 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार यह बढ़कर 65.28 प्रतिशत हो गया। किन्तु बारीकी से अवलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि यह अभी अन्य तमाम विकासशील देशों के औसत से काफी कम है।

शिक्षा पद्धति

भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक अन्य विशेषता यहां पर दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का विद्यमान होना। सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में संचालित विद्यालयों में अधिकांशतः हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 'पब्लिक स्कूल' मुख्यता अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं। नगरीय व उपनगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः माता–पिता अपने बच्चों को इन्हीं पब्लिक स्कूलों में शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। इसी कारण इन पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाना अत्यंत मुश्किल है। शिक्षा की यह प्रणाली समाज को दो वर्गों में बांट रही है। जिसके विपरीत दूरगामी परिणाम समाज के सामने आना संभावित है।

तकनीकी शिक्षा

भारत के विकास दूत बच्चों को आज इस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उनके अंदर उन क्षमताओं को विकसित किया जा सके जो उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन के लिए रचनात्मक कारक बनाने में समर्थ हो। वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी युग के रूप में जाना जाता है। यह माना जाने लगा है कि वर्ष 2050 तक हम जिन प्रौद्योगिकी पर कार्य करेंगे उनमें से 75 प्रतिशत नई खोज होगी। आज की प्रौद्योगिकी जानकारी वर्ष 2050 में उपलब्ध जानकारी का मात्र एक प्रतिशत ही होगी। प्रौद्योगिकी के इस विकास पर संचारविद अल्विन टॉफलर ने बताया कि पहले की तात्कालिकता पर जानकारी की अर्ध आयु दस वर्ष थी। आज प्रत्येक तीन वर्ष पर जानकारी ठीक दुगनी हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ आज के सात साल के बच्चों के लिए उपलब्ध जानकारी 70 वर्ष की अवस्था में पहुंचने तक दस लाख गुनी बढ़ जाएगी। कुछ दशकों में उपलब्ध प्रत्येक रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी अनिवार्य हो जाएगी। बेहतर जीवन यापन करने के लिए बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता हासिल करनी होगी।

शिक्षा का उद्देश्य

यदि सीधे तौर पर देखा जाय तो शिक्षा से सीधा लाभ ज्ञान और तथ्यों की समझ जागृत करना है न कि कुछ रटे तथ्यों की लम्बी सूची तैयार करना। अच्छी शिक्षा का मकसद मानव में सोचने तथा विचार करने की क्षमता पैदा करना है। अपने आने वाले कल के लिए ऐसी क्षमता पैदा कर सकना, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों को अलग करने लायक हो जाए जिन पर और विचार करने की आवश्यकता है। यह क्षमता हम अच्छे अध्ययन से ही प्राप्त कर सकते हैं। यहीं अत्यन्त महत्वूपर्ण कारण जो हमें स्कूली तथा अन्य आगे की शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बेहतर शिक्षा ही हमें वस्तु की परख करने की क्षमता प्रदान करती है।

शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमारे भीतर सही दृष्टिकोण, सही विचार तथा सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। जिससे हम अपने आपको जीवन की विषम परिस्थितियों के अनुरूप आसानी से ढाल लेते हैं। शिक्षा जीवन में हमें सही फैसला लेने में मददगार सिद्ध होती है। आज प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी समस्याओं तनाव तथा दुख से गुजरना पड़ता है। इनसे हम बच नहीं सकते किन्तु ऐसी परिस्थितियों का एक शिक्षित व्यक्ति बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। बल्कि ऐसी समस्याओं के भविष्य में आने पर स्वयं को पहले ही तैयार कर लेता है।

एक शिक्षित व्यक्ति अपने लिए एक सुरक्षा का माहौल बनाने में सफल होता है। यह सुरक्षा किसी दूसरे पर निर्भर न होकर स्वयं व्यक्ति की काबलियत पर निर्भर करती है। अच्छी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को तीन गुण प्रदान करती है– सोचने–समझने की क्षमता, कार्य करने के बेहतर तरीके और व्यक्ति के आदर्श।

शिक्षा का वृहद दायरा

हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे खनिज व प्राकृतिक संसाधन ही है। इन सम्पदाओं पर हमारी निर्भरता विभिन्न रूपों में होती है। चाहे वह कृषि योग्य भूमि हो, वन्य जीव अथवा अनमोल धरोहर वन हो। इन सभी का विदोहन हमारी समझ व बुद्धिमता पर निर्भर करता है। यह सभी संसाधन तो सीमित हैं किन्तु इनका उपयोग हम विभिन्न रूपों में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। यह विचार योग्य है कि हमें कहां से मिलते हैं यह व्यक्तिगत गुण। यह समस्त व्यक्तिगत गुण हमें प्राप्त होते हैं– असीम ज्ञान के भण्डार से। जिसे हम अपनी शिक्षा के वर्षों के दौरान संचित करते हैं।

तेजी से परिवर्तित होती दुनिया में नवयुवकों के जीवन में होते परिवर्तनों का सही अवलोकन हम नहीं कर सकते। यह परिवर्तन हमें किसी भी रूप में प्रभावित कर सकते हैं। परिवर्तन के प्रकारों में संचार माध्यम द्वारा लाये जा रहे क्रान्तिकारी परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण, ऊर्जा संकट, प्राकृतिक सम्पदाओं का लगातार कम होना तथा उनका सही रूप में विदोहन करना चिकित्सा क्षेत्र में आमूल चूल विकासपरक परिवर्तन तथा अपने अस्तित्व को विश्व पटल पर सम्मान बनाये रखने के लिए चाहे वह संघर्ष क्यों न हो। ऐसे परिवर्तन का सामना करने के लिए आज संचालित हो रही स्वतंत्रता पश्चात प्रदान की जाने वाली शिक्षा पद्धति पूर्णरूपेण पर्याप्त नहीं है।

शिक्षा का मुख्य ध्येय यह है कि हम नये समाज में रहने योग्य बने तथा सही व्यवहार भी करे। आज इस विज्ञान के दौर में मशीनों को चलाने के लिए भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। श्रम का कार्य कुशलता के पैमाने पर मापा जाता है। ऐसी परिस्थिति में अशिक्षित तथा अयोग्य व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बचा पाना भी कठिन है।

समस्याएं

स्वतन्त्रता पश्चात शिक्षा क्षेत्र में अब तक काफी उन्नति हो चुकी है। किन्तु जहां तक सबके लिए शिक्षा की लक्ष्य प्राप्ति का प्रश्न है, तो यह लक्ष्य अभी काफी दूर है। स्कूल की पहुंच तो अवश्य बढ़ी है। किन्तु छात्रों के बीच में ही शिक्षा बन्द कर देने का क्रम अभी भी बड़ी मात्रा में जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में होते उन्मुख विकास के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय जाने वाले प्रत्येक छात्र को एक नियमित व निश्चित शिक्षा की परिधि पूर्ण करना आवश्यक हो। अनेक कारणों से कई बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा की पहली परिधि को ही पूरा नहीं कर पाते।

यदि आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह स्पष्ट होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या लगभग 21 करोड़ के आस–पास है। जिसमें से करीब 4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित है। स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों में अधिकतर लड़कियां, पिछड़े वर्गों के बच्चे, शहर के पास मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चे व काम करने वाले बच्चे इत्यादि हैं।

यूनिसेफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सच है कि एक भी बच्चे को शिक्षा से वंचित रखना विनाशकारी है। किन्तु एक भी लड़की को शिक्षा से वंचित रखने की और बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

यूनिसेफ सांख्यिकी संगठन द्वारा निर्गत इस ताजा रिपोर्ट में दक्षिण–पूर्वी एशिया क्षेत्र में स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की संख्या दो करोड़ अस्सी लाख बतायी गयी है। इनमें से 45 प्रतिशत संख्या भारत की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन बच्चों की आयु स्कूल जाने की है लेकिन दुर्भाग्य से उनको प्राथमिक शिक्षा भी नसीब नहीं है।

आगे रिपोर्ट कहती है जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश लेते हैं उनमें 50 प्रतिशत किसी न किसी कारण से कक्षा पांच तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। दुनिया में आज स्कूली शिक्षा से दूर रहने वाले बच्चों की संख्या लगभग 12.1 करोड़ है। इनमें से 6.5 करोड़ तो केवल लड़कियां हैं और शिक्षा उनके लिए आज भी एक सपना बना हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने अपने एक संदेश में कहा है कि–स्वास्थ्य, शान्तिपूर्ण और समतामूलक समाज के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक स्वास्थ्य, सामाजिक एवं विकास सम्बन्धी लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता है। दुनिया में आज भी बेटियों को बेटे की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वर्तमान विकास सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार जरूरी है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार से न केवल आर्थिक उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। बल्कि मातृत्व और मृत्यु दर में भी कमी लायी जा सकती है।

परिवार में किसी महिला के शिक्षित होने का प्रभाव निश्चित रूप से अगली पीढ़ी की शिक्षा और विकास पर भी पड़ता है। जो सभ्य समाज का आधार होता है।

प्रयास

शिक्षा विकास का आधारमूलक सत्य है। इसी शिक्षा रूपी साध्य से हम विकास रूपी साधन को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए सही मायने में शिक्षा का अर्थ–प्रत्येक व्यक्ति को विद्यालय के अवसर उपलब्ध हो, स्कूल जाने वाले बच्चों में किसी भी प्रकार का विभेद न हो तथा कक्षाओं में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए समुचित एवं स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की सुविधा प्राप्त हो।

एक अध्ययन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की पहुंच अनुमानतः देश की 94 प्रतिशत आबादी के प्रति किलोमीटर के दायरे तक हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के 84 प्रतिशत स्कूल 3 किलोमीटर परिधि के अन्दर उपलब्ध हैं।

स्वतंत्रता पश्चात 1950–51 की तुलना में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 1999–2000 तक लगभग तीन गुना बढ़कर 2.10 लाख की तुलना में 6.2 लाख तक पहुंच गई है। वर्ष 1994 से लेकर आज तक

प्राथमिक विद्यालयों की छात्रों तक पहुंच में काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है। जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलायी गई तमाम योजनाओं का योगदान रहा है। वर्ष 1950–51 की तुलना में प्राथमिक कक्षाओं में होने वाले दाखिलों में वर्ष 1999–2000 तक 5.91 गुना बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इसी काल अवधि में छात्राओं के दाखिले में 9.16 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में यह दर 13 गुना थी तथा छात्राओं में यह दर 33 गुना रही।

जहां वर्ष 1950–51 में प्राथमिक कक्षाओं में होने वाले कुल प्रवेश में लड़कियों का 28.1 प्रतिशत हिस्सा था वहीं वर्ष 1999–2000 में यह आंकड़ा बढ़कर 43.6 प्रतिशत हो गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रमुख लक्ष्य लोगों का स्कूलों की पहुंच में बढ़ोत्तरी करना, शिक्षा में असमानताओं को समाप्त करने के लिए एक समान स्कूल व्यवस्था लागू करना, शिक्षण व्यवस्था को और अधिक रोजगारपरक बनाना, मुफ्त शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षण व्यवस्था में सुधार इत्यादि प्रमुख हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'एक्सेज एण्ड इक्विटी' का प्रारंभ किया गया। जिसके तहत माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में निरंतर विस्तार हो रहा है।

प्रमुख नीतियां

• शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि; • पाठ्यक्रमों को व्यवसायिक दृष्टिकोण पर तैयार करना; • शैक्षणिक अनुसंधानों पर विशेष जोर देना; • स्वायत्त विद्यालयों तथा शिक्षण विभागों का विकास करना; • गैर–सरकारी विद्यालयों को अनुदान प्रदान करना; • विद्यालय में कई पालियों में शिक्षण कार्य सम्पन्न करना; • छात्राओं के लिए विशेष सुविधाओं से लैस हॉस्टल की व्यवस्था; • नेशनल ओपेन स्कूल की तर्ज पन अधिक शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए प्रोत्साहित करना; • शिक्षण गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए औचक निरीक्षण की व्यवस्था; • शैक्षणिक व्यवस्था को पूर्णरूपेण पारदर्शी बनाना।

शिक्षा एक अनमोल रत्न है। इसकी प्राप्ति जितनी ही हो, वह कम ही प्रतीत होगी। जिस प्रकार रत्न शुरूआत में पत्थर के आकार का होता है। उसे बाद में जरूरत के अनुसार तराशकर अनमोल बना लिया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था को आवश्यकता और समय के साथ परिवर्तित कर अनमोल बनाया जा सकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि स्कूली शिक्षा समाप्त कर जो युवा बाहर निकलते हैं, उनके अध्ययन के विषयों की बुनियादी जानकारी का व्यवहारिक पक्ष मजबूत हो। लोकतंत्र में राष्ट्र की जिम्मेदारी नागरिकों के कंधों पर होती है। यह वह तय करते हैं कि उनके समाज का विकास किस दिशा में आगे बढ़े। इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए सुनिश्चित की गई शिक्षण व्यवस्था को क्या पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। यदि हां तो पुनर्मूल्यांकन का आधार क्या होगा। क्या यह उद्देश्य के आधार पर सर्वसम्मत होगी या आवश्यकता के आधार पर। ऐसे तमाम प्रश्न आज के युवाओं के जहन में है, जो कि कल के राष्ट्र निर्माता भी होंगे।

शिक्षा का आधार चाहे जैसा भी हो किन्तु 21वीं सदी की शिक्षण व्यवस्था में इस बात को ध्यान देना अनिवार्य है कि शिक्षा को आने वाले समय में उद्योग तथा समाज से सीधे जोड़ा जाये। इसके लिए आवश्यकता होगी उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की। जिसके लिए एकेडमिक औद्योगिक और सरकारी तीनों क्षेत्रों को अपनी–अपनी भागीदारी ईमानदारी के साथ निभानी होगी। इन तीनों क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से भारत की महाशक्ति बनकर विश्व पटल पर चमकेगा। जिसके लिए शिक्षा राष्ट्र विकास की कुंजी के रूप में कार्य करेगी।

(लेखक पत्रकार हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

शिक्षा एवं राष्ट्रवाद

सुजीत श्रीवास्तव

राज्य की भौतिक काया के चार स्पष्ट तत्व हैं– जनसंख्या, भू–भाग, सरकार एवं सम्प्रभुता। ये तत्व राज्य के मूर्तरूप निर्धारित करते हैं लेकिन इनके स्तर राष्ट्रीयता का तत्व राज्य को अनुप्राणित करने का कार्य करती है। यह राष्ट्रीयता का तत्व इतना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान राज्यों को राष्ट्र–राज्य का नाम तक दे दिया जाता है। राज्य एवं राष्ट्र में वही सम्बन्ध है जो शरीर एवं आत्मा में है जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मृत है उसी प्रकार राष्ट्रीयता के अभाव में राज्य मृत है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में आजादी के उपरान्त राष्ट्रीयता के प्रति दुराव का भाव उत्पन्न हुआ है। भौतिकता, व्यापारीकरण एवं उदारवाद के इस दौर में नागरिकों के ह्रदय एवं हमारी शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय मूल्यों एवं आदेशों के लिए अत्यन्त सीमित स्थान रह गया है। अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की अंधी दौड़ में भागते भारतवासियों के पास राष्ट्रधर्म, राष्ट्रीय मूल्यों एवं आदर्शों के लिए समय ही नहीं। वे अपने अधिकारों की बात तो करते है लेकिन राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को करने को जोखिम नहीं उठाना चाहते।

'राष्ट्र' शब्द के अंग्रेजी पर्याप 'नेशन' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'नेटिओ' से हुई है जिसका तात्पर्य है 'नस्ल' या 'प्रजाति'। राज्य के विकास के विकास के दौरान बड़े–बड़े साम्राज्यों के पतन के उपरान्त यह विचार उत्पन्न हुआ कि 'समान प्रजाति के लोग अलग राष्ट्र है।' इस विचार के साथ ही यूरोप में छोटे–छोटे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इसी सिद्धान्त के आधार पर ही भारत में आजादी के पूर्व पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा उठाई गई। इसी सिद्धान्त को आधार बनाकर पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में अलगाववादी मांगे उठती रही हैं। वस्तुतः ये मांगे राष्ट्रीयता के संकीर्ण मामले अपनाने का ही परिणाम कही जा सकती हैं। इसे अपना लेने से 'राष्ट्र के भीतर राष्ट्र' की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भारत एवं अमेरिका जैसे विविधतापूर्ण संस्कृति वाले राज्यों के लिए यह अवधारणा संकीर्ण ही कही जाएगी। वस्तुतः 'राष्ट्र' का तात्पर्य ऐसे जनसमूह से है जिनका समान सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास रहा है। जिन्होंने समान दासता का अनुभव किया है।

संकीर्ण शिक्षा प्रणाली एवं भौतिकतावादी दृष्टिकोण का परिणाम है कि भारत में कोई शिक्षित युवा सेना में जाना पसंद नहीं कर रहा है। फलस्वरूप सेना के लगभग 30 फीसदी पद पर रिक्त पड़े हैं। यह कोई छोटी खबर मात्र नहीं है बल्कि नई पीढ़ी के युवाओं के दृष्टिकोण से जुड़ा प्रश्न है। नई पीढ़ी के युवा डाक्टर इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंकर इत्यादि तो बनाना चाहते हैं लेकिन सैनिक कमांडर नहीं। राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति, आत्म–गौरव जैसी जिन आदर्शों के चलते आजादी के दिवाने हंसते–हंसते सूली पर चढ़ गये, ये आदर्श आज सिर्फ किताबों की चीजें बन चुकी है। साधारण जन की बाते कौन करें, देश के राजनीतिज्ञों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ये मूल्य एवं आदर्श अप्रासंगिक हो चुके हैं। तभी तो, जिस देश में करोड़ों शिक्षित बेरोजगार हैं वहां सेना के अफसर बनने के लिए कोई इच्छा–उत्कंठा नहीं है। आज तो फटाफट अमीर बनने का सपना ही एकमात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त है जिसपर युवा पीढ़ी बेतहाशा दौड़ रही है। इस दौड़ में उसका गांव, परिवार देश तथा इनसे जुड़े मूल्य, आदर्श, भावनाएं संवेदनाएं, खुशियां, इत्यादि सब कुछ पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसे में यदि वह मुकाम पा भी लेता है तो वह अकेलेपन, मनोविदिलता एवं अवसाद से ग्रस्त रहता है। उसके पास केवल उसका पैसा रह जाता है और यदि वह मुकाम नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह निराशा, अभाव एवं अपराधभाव में डूबता चला जाता है।

जितनी तेजी से बाजारवाद एवं वैश्वीकरण बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं विसंस्कृतिकरण भी होता जा रहा है। अब शिक्षा प्लेटो एवं अरस्तू की 'आंतरिक व्याधि की आंतरिक इलाज' अथवा रूसो की 'व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम' नहीं रह गई है वरन् शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता केवल नौकरी दिलाने तक ही सीमित रह गई है। शिक्षा से राष्ट्रप्रेम, दर्शभक्ति, सांस्कृतिक गौरव–गाथा, सांप्रदायिक सौहार्द जैसे तत्व बड़ी तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में जो जितना ही शिक्षित है वह इन सबसे उतना ही दूर है बल्कि कम पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ व्यक्ति इन मूल्यों के पोषक हैं। यही कारण है कि धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों एवं राष्ट्रीय विद्रोहों में कम पढ़े–लिखे लोग भारी संख्या में होते हैं।

आज की शिक्षित युवा पीढ़ी शारीरिक श्रम करने से बचना चाहती है। फलस्वरूप कृषि के प्रति भी अनच्छिा का भाव उत्पन्न स्वाभाविक है। पहले के समय में लोग नौकरी की बजाए अपने घर की खेती करना ज्यादा सम्मानजनक एवं लाभदायक समझते थे, क्योंकि पहले तनख्वाह कम थी जबकि खेती ज्यादा लाभदायक थी। लोग दूसरों की नौकरी करने की बजाए अपनी खेती करना सम्मानजनक समझते थे। लेकिन अब कृषि को पिछड़ेपन का प्रतीक समझा जाता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सैन्यकर्म एवं कृषिकर्म दोनों की ही सशक्त राष्ट्र की रीढ़ बताते हुए "जय जवान जय किसान" का नारा दिया। जबकि आज की युवा पीढ़ी ने इन दोनों को ही अपनी पसंद मानने से इंकार कर दिया है। 'जवान' एवं 'किसान' दोनों ही राष्ट्र के दो पैर है। 'जवान' देश की एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य करते है। जबकि 'किसान' राष्ट्र के भरण–पोषण की जिम्मेदारी संभालते है। यदि ये दोनों वर्गों का विलोप हो जाएगा तो सशक्त राष्ट्र की संकल्पना असंभव है।

राष्ट्र प्रेम एवं देश भक्ति के भाव में ह्रास की खतरनाक परिणिति दैनिक सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, अपराधीकरण एवं घोटालों के रूप में हो रही है। राजनैतिक एवं स्थायी कार्यपालिका के उच्चतम पदों पर आसीन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिनसे ऐसे कार्यों की कल्पना तक नहीं की जा सकती ये लोग न सिर्फ व्यवस्था को खोखला बना रहे हैं वरन् आम जनों को भी भ्रष्टाचार एवं कदाचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

(लेखक टीएनपीजी कालेज, अंबेडकर नगर (उ.प्र.) में राजनीतिशास्त्र विभाग के अध्यक्ष तथा पत्रकार हैं)

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा का बदलता परिदृश्य

महेन्द्र सिंह यादव

"सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात् शिक्षा वही जो मुक्त करती है, मुक्ति का अर्थ तमाम बंधनों, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों से मुक्ति पाना और नयी समझ के साथ नई दृष्टि का निर्माण करने से है। विश्व के लगभग सभी समाजों और सभी कालों में शिक्षा का महत्व एक समान बना रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा के मामले में भी हमारी स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय थी, लेकिन 1947 के बाद भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रभावशाली प्रयास हुए।

किसी भी राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक ने संयोजित होने वाले कारकों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कारक है। सुदृढ़ समाज के निर्माण में प्रारम्भिक शिक्षा मजबूत नींव की भूमिका निभाती है। अगर नींव ही कच्ची हो तो समाज के सृजनात्मक विकास की परिकल्पना करना संभव नहीं होता है। सर्वप्रथम शिक्षा के महत्व को समझने एवं निर्धारण हेतु 1935 में केन्द्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किया गया था। इसके पश्चात् से प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास होते रहे। 1986 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और 1992 में उसमें किये गये संशोधन तथा इसकी कार्ययोजना के अनुरूप सबको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पहल की गयी। 1994 यह कार्यक्रम देश के 7 राज्यों के 42 जिलों में लागू किया गया। ये राज्य थे– मध्यप्रदेश, असम, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी। इसके पश्चात् भारत सरकार ने 1985–86 में ही प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय साक्षरता

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल साक्षरता
1961	40.36	15.33	28.33
1971	45.95	21.97	34.45
1981	56.38	29.76	43.57
1991	64.13	39.23	52.21
2001	75.86	54.16	65.38

भारत, जो सम्प्रति के विश्व विकासशील देशों की सूची में है। 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में आने का दावा करता है। अगर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो आज आवश्यकता है देश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र को और अधिक विकसित करने की। देश की 1 अरब आबादी में इस समय लगभग 7 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं, अर्थात् 1450 बच्चों पर 1 प्राथमिक। आंकड़े दर्शाते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में केवल 0.4 प्रतिशत धन ही शिक्षा पर खर्च किया जाता था, जबकि अब शिक्षा पर राष्ट्रीय बजट कई गुना बढ़ गया है और इसे लगातार बढ़ाने की मांग की जा रही है। 1976 से पूर्व शिक्षा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती थी। सिर्फ तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए नीति–निर्धारण केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में था लेकिन 1976 में शिक्षा नीति में संशोधन के पश्चात्

शिक्षा राज्य और केन्द्र सरकार दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी बन गयी तब से शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित कोई भी निर्णय केन्द्र व राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों और दोनों की सहमति से ही लिया जाता है।

प्रारम्भिक शिक्षा मध्यप्रदेश परिदृश्य

मध्यप्रदेश प्रारम्भ में भारत के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में से एक था लेकिन समयानुसार मध्यप्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा जगत में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दौर में जहां शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कई मीलों का सफर तय करना पड़ता था आज उसे गांव में ही प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एवं सरकारी प्रयासों के माध्यम से देश एवं प्रदेश में आज हर जगह शिक्षा सुलभ हुई है। संवैधानिक निर्देशों के अनुरूप 1961 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया था। दुर्भाग्यवश इस लक्ष्य की पूर्ति न हो सकी और इस समय सीमा को इच्छानुसार बढ़ाया जाता रहा।

मध्यप्रदेश में साक्षरता की स्थिति

वर्ष	साक्षरता प्रतिशत	दशकीय वृद्धि प्रतिशत
1961	20.48	—
1971	26.37	5.89
1981	34.23	7.86
1991	44.67	10.44
2001	64.11	19.44

प्रदेश ने पिछले दशक में (1991–2000) साक्षरता के स्तर में 19.44 प्रतिशत की वृद्धि की जिसे एक सामाजिक क्रान्ति ही कहा जा सकता है। 1961 से 1991 तक तीन दशकों में प्रदेश ने साक्षरता दर में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की वही 1991 से 2000 के दशक में साक्षरता के स्तर में दशकीय वृद्धि 19.44 प्रतिशत तक पहुंच गई। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ ही यह प्रयास भी किया है कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी साक्षर बनाया जाए क्योंकि ये ही शाला जाने वाले बच्चों के अभिभावक हैं इनके साक्षर होने से न केवल विद्यालय में उपस्थिति में सुधार होगा वरन् इसके साथ–साथ बच्चों की शिक्षा में भी गुणवत्ता आयेगी। इसी उद्देश्य से बच्चों के साथ–साथ बड़ों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया गया। प्रदेश में निरक्षरता दूर करने तथा शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने को प्राथमिकता दी जा रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एवं शिक्षा के लोकव्यापीकरण की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन, शिक्षा गारंटी योजना और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं ने महत्वूपर्ण भूमिका निभाई, जिसमें राज्य सरकार ने शिक्षा को विकेन्द्रित करने की नीति का अनुपालन किया। इन योजनाओं का उद्देश्य सुदूर ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का लाभ पहुंचाना है। मध्यप्रदेश में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करने के लिए वर्तमान में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल न जाने वाले बच्चों को एवं उनके अभिभावकों को प्रेरित करना है।

जैसा कि सर्वविदित है भारत का प्राथमिक शिक्षा तन्त्र दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा तन्त्र है। विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी किसी देश के सामाजिक–आर्थिक विकास को परखने के लिए शिक्षा के स्तर को एक बुनियादी सूचक मान रही है तथा सभी विकासशील और विकसित देश शिक्षा को विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की संकल्पना की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में हर एक किलोमीटर पर एक स्कूल खोला गया है, जिससे शिक्षा का लोकव्यापीकरण हो तथा हर बच्चे को अपने निवास से उपयुक्त दूरी में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो।

पंचायतों की पृष्ठभूमि एवं कार्य

हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। इस नई सदी के नए सपने और लक्ष्य हैं जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। भारत में जहां जुलाई 1991 से आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, बाजारीकरण के मार्ग को अपनाया गया है वही कमोवेश इसी वर्ष से प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार उदार अर्थव्यवस्था एवं प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण बीते दशक के दो प्रमुख क्रांतिकारी कदम रहे हैं। मध्यप्रदेश भी देश में बदलती व्यवस्थाओं से अप्रभावित नहीं रहा है। मध्यप्रदेश ने इस दौरान प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के मार्ग को अपनाकर देश में अपनी पहचान पृथक् बनायी है। यहां संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत नई व्यवस्था के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तथा नगरीय निकायों के चुनाव कराये गये तथा ग्रामीण, शहरी जनता को सत्ता में सीधे भागीदार बनाया गया है। पंचायती राज और नगरपालिका से जिला सरकार और ग्राम स्वराज तक मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकरण की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। विकेन्द्रीकरण की यह व्यापक संरचना सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को नई ऊर्जा और गति देने में सहायक सिद्ध हुई है, फलतः विशेषतौर पर निरक्षरता को दूर करने में प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है।

संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के बावजूद शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाने में पांच दशक से ज्यादा लग गये। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद केन्द्र और राज्य सरकार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पायी हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 1941 में 16 प्रतिशत के मुकाबले अब 2001 में 64 प्रतिशत हो गयी है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न सरकार समर्थित योजनाएं शुरू किये जाने के बावजूद आपेक्षित आबादी को शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाई है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद जल्द ही यह बात समझ में आ गई थी कि समाज के बीच शिक्षा का प्रसार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। इस कमी की भरपाई के लिए शिक्षा के प्रसार में पंचायतों की भूमिका अवश्यंभावी हो गई है।

आज भी भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की गई और प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन हेतु पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाया गया है। नवीन पंचायतों

के संदर्भ में केन्द्र द्वारा शिक्षा में विकेन्द्रीकरण हेतु भी एक समिति बनाई थी इस समिति की अनुशंसा थी कि पंचायतों के तीनों स्तर पर शिक्षा से सम्बन्धित सारे अधिकार प्रदान कर शिक्षा समितियां बनाकर उन्हें कानूनी दर्जा दिया जाए। इस समिति की सिफारिशों को राज्यों ने सही ढंग से मान्य नहीं किया लेकिन मध्यप्रदेश ने इस क्षेत्र में पहल की है।

मध्यप्रदेश में शिक्षा के विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन के उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। जिला स्तर पर, जिला पंचायत शिक्षा समिति, विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत शिक्षा समिति एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया। तीनों स्तर में समितियां ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शालाओं के प्रबन्धन एवं संचालन से सम्बन्धित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना और प्राथमिक शिक्षा को पंचायतों का विशेषाधिकार बनाने का प्रावधान रखा गया। पंचायतों को विद्यालय भवन की मरम्मत, साफ–सफाई, रख–रखाव, विद्यालय का फर्नीचर, पर्यावरण, शिक्षकों एवं विद्यालयों की समय पर उपस्थिति, नियमित अध्यापन, शासकीय एवं अशासकीय निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षा के लोक व्यापीकरण का जन–जन तक प्रचार, शाला भवन आदि की व्यवस्था करना, शालाओं में शैक्षणिक समय का निर्धारण करना, शिक्षण सामग्री का क्रय करना, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था, छात्रवृत्ति का वितरण करना जैसे कई काम सौंपे गये हैं।

शिक्षा में नवाचार

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण होने के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा विशेष और अतिरिक्त प्रयास भी किए गए हैं ताकि–

- हर बच्चे के अपने निवास से वाजिब दूरी में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो;
- हर बच्चा प्राथमिक, माध्यमिक शाला में दर्ज हो और अपनी शिक्षा पूरी करे;
- हर बच्चा प्राथमिक स्तर के लिये निर्धारित ज्ञान और कौशल अर्जित करे।

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु "अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम" भी चलाया गया जो पूरे देश में 1979–80 में चलाया गया था। इसके अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष के ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नहीं जा पाए या जिनके क्षेत्रों में विद्यालय उपलब्ध नहीं है अथवा जिन्हें किसी कारणवश विद्यालय छोड़ देना पड़ा हो। इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सहायता के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम एवं नीतियां बनाई जिसके माध्यम से शिक्षा की अनिवार्यता को पूर्ण किया जा सके।

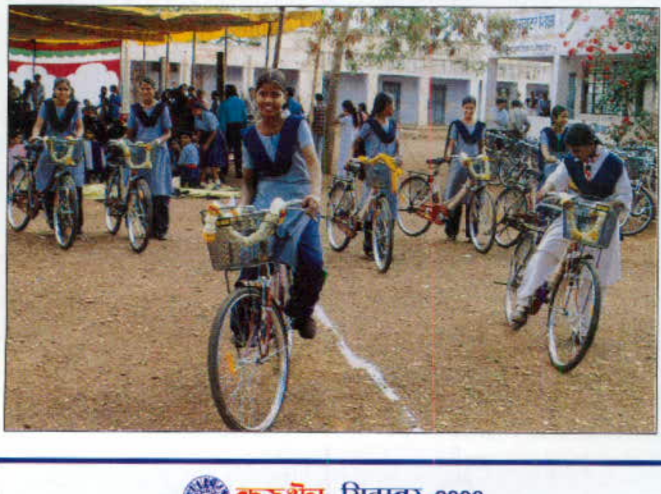

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन

शिक्षा के क्षेत्र सार्वजनिक पहुंच, बच्चों की स्कूल में भर्ती के लिए प्रदेश में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना की गई थी। संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य में 45 में से 34 जिलों को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के तहत मिशन ने दो करोड़ पचास लाख से अधिक अमेरिकन डॉलर की बाहरी सहायता प्राप्त की। इन संसाधनों का उपयोग सुविधाएं बढ़ाने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और लोगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रासंगिक पाठ्यक्रमों का विकास करने में किया गया। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के माध्यम से घर–घर जाकर विद्यालय न जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करवाया गया तथा साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की जानकारी एकत्रित की गई। मिशन के माध्यम से औपचारिक प्राथमिक शिक्षा की संरचना को मजबूत किया गया तो दूसरी ओर शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के पूरक के रूप में राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानक शैक्षणिक कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से बनाए और क्रियान्वित किए गए।

शिक्षा गारंटी योजना

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की बुनियादी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए जनवरी 1997 से समुदाय के सहयोग से शिक्षा गारंटी योजना (इ.जी.एस.) प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को उसके गांव अथवा रिहायशी इलाके में एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल की सुविधा उपलब्ध हो तथा स्कूल की मांग होने पर 10 दिन के भीतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी है तथा स्थानीय लोगों की शिक्षक के रूप में पहचान कर पंचायत के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाती है। कोई भी गांव अथवा परिवार का समूह जहां स्कूल जाने योग्य कम से कम 40 बच्चे (आदिवासी जाति बहुल क्षेत्रों के लिए 25 बच्चे) हों और जहां स्कूल की सुविधा न हो एक (इ.जी.एस.) स्कूल खोलने की मांग कर सकता है। मध्यप्रदेश में लगभग 25 हजार इ.जी.एस. स्कूलों की स्थापना हो चुकी है, तथा साथ ही साथ लभग 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं। मध्यप्रदेश शासन की इस योजना के लिए 1998 में 'कायाम' का कामनवेल्थ इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस प्राप्त हुआ है।

पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन

मध्यप्रदेश शासन द्वारा साक्षरता में वृद्धि के लिए चलाए जा रहे 'पढ़ना–बढ़ना' आन्दोलन को देश में सराहा जा रहा है तथा अन्य राज्यों द्वारा इसके अनुसरण किए जाने की योजना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संपूर्ण साक्षरता अभियान के सीमित परिणाम को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश में एक रणनीति के तहत साक्षरता का कार्यक्रम पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन 1999 में प्रारंभ किया गया था।

भारत में प्रारंभिक शिक्षा दाखिले में बढ़ोत्तरी (लाख में)

वर्ष	मध्य स्तर कक्षा 6 से 8 आयु समूह 11–14 वर्ष	प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 आयु 6–11 वर्ष
1951–1951	31	192
1960–1961	67	350
1968–1969	125	554
1979–1980	193	716
1989–1990	322	973
1999–2000	421	1136
2000–2001	342	926
2001–2002	426	1098

स्रोत :– भारत 2004, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

इसके अन्तर्गत निरक्षर व्यक्तियों की 2 लाख 17 हजार समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने पढ़े–लिखे स्थानीय व्यक्ति को अपना गुरूजी बनाया। राज्य शासन ने शिक्षा मिशन के माध्यम से इन पढ़ना–बढ़ना समितियों के सदस्यों एवं गुरूजी का सत्यापन करके प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ने की सामग्री तथा गुरूजी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन के द्वारा प्रारंभिक वर्ष में 30 लाख लोगों को साक्षर बनाया गया। अतः साक्षरता बढ़ाने की दिशा में पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन आशातीत परिणाम देने में सफल हुआ है।

सर्वशिक्षा अभियान

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन अक्तूबर 1998 में सम्पन्न हुआ था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर "सर्वशिक्षा अभियान" योजना विकसित की गई जिसमें सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। इसे नवम्बर 2000 में मंजूर किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं 6–14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाएं एवं 2007 तक सभी बच्चों की पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो तथा 2010 तक आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर ले। इस अभियान ने अंतर्गत सहायता राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों से बराबर अनुपात में मिलती है।

इस कार्यक्रम को पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 19.2 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में 8.5 लाख प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल और 33 लाख शिक्षक भी इस कार्यक्रम के दायरे में आते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी बसावटों में जहां स्कूली सुविधाएं नहीं हैं, वहां अतिरिक्त अध्ययनकक्षों, टॉयलेट, पीने के पानी, रख–रखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाता है। अपर्याप्त संख्या में शिक्षकों वाले स्कूलों को कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराये जाते हैं। मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को गहन प्रशिक्षण शिक्षण सामग्री के विकास के लिए अनुदान के प्रावधान और शैक्षणिक आधार के ढांचे के विकास के जरिये उन्नत किया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कमजोर वर्गों की बालिकाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन बच्चों को मुफ्त पाठ्यक्रम भी वितरित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से ये योजनाएं बनाई जा रही हैं और ये जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का आधार बनेगी। सर्वशिक्षा अभियान में बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

जमीनी वास्तविकता

मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए और सभी प्रयास पंचायतों को क्रियान्वयन अभिकरण बनाकर किए गए, चाहे राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन हो, शिक्षा गारन्टी योजना हो, पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन या सर्वशिक्षा अभियान हो, इन सभी योजनाओं में सरकार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर करोड़ों रुपये तो खर्च हुए हैं, परंतु इसका परिणाम शायद संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। पंचायतों को ग्रामीण स्तर की एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है लेकिन इन संस्थाओं को मात्र दिखावे के लिए ही अधिकार सौंप रखे हैं, पंचायतों में शिक्षा समितियों का गठन किया गया जो नाम मात्र की अपनी औपचारिकता ही पूर्ण करती है।

आज आवश्यकता विद्यालय भवन की नहीं बल्कि शिक्षा तंत्र में सुधार की है, पढ़ाई में गुणवत्ता लाना, शिक्षकों को नियमानुसार वेतनमान देना है। मध्यप्रदेश में अध्यापन कार्य हेतु पिछले कई वर्षों से शिक्षाकर्मी नाम से भरती की जा रही है। इन शिक्षाकर्मियों का वेतनमान अपने ही स्कूल के स्थायी रूप से पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम है और तो और उन्हें 6–6 माह से वेतन भी समय पर नहीं मिलता, ऊपर से उन्हें बच्चों के मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करना, किसी न किसी चुनाव में अधिकांशतः व्यस्त रहना, जनगणना से सम्बन्धित कार्य करना, गांव के जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनका सर्वेक्षण करना, वोटर लिस्ट का कार्य करना, गरीबी रेखा की सूची तैयार करना अर्थात् शासकीय स्तर के वे सारे कार्य पूर्ण करना चाहे वे शिक्षा से सम्बन्धित हो या नहीं। अभी–अभी अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को वोटिंग मशीन साफ करवाने का फरमान तक जारी कर दिया गया। आज स्थिति यह है कि मजबूरन शिक्षकों को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करना पड़ता है। शिक्षकों द्वारा शिक्षक दिवस का बहिष्कार नयी बात नहीं है और न अपनी खराब आर्थिक हालत को लेकर उनका प्रदर्शन नयी चीज है। लेकिन कोई भी सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती। बुनियादी सुविधाओं का घनघोर अभाव है। ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की कमी नहीं है, जिनके भवन, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। कम्प्यूटर के दर्शन और शिक्षा की नयी तकनीक से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल कोसों दूर है। ऐसे भी विद्यालय हैं, जहां 6 शिक्षक होने चाहिए, वहां महज एक शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। 2008 तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मजूमदार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए और हर साल प्राथमिक शिक्षा के लिए लगभग 10 हजार करोड़ आवंटित हो, लेकिन सरकार की जो रफ्तार है उसे देखते ऐसा नहीं लगता कि यह लक्ष्य हासिल हो पाएगा। प्राथमिक शिक्षा का काम उच्च शिक्षा के मुकाबले ज्यादा जटिल है, लेकिन सुविधाएं उच्च शिक्षा के मुकाबले काफी कम है। ऐसी स्थिति में सरकारी दावा है कि आज स्कूल जाने वाली उम्र के सभी बच्चों को एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शालाएं उपलब्ध हो गई हैं। इसके बावजूद भी 36 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे प्राथमिक और करीब 56.5 प्रतिशत बच्चे माध्यमिक स्तर पर आते–आते

पढ़ाई छोड़ देते हैं। अर्थात् आधे से अधिक बच्चे माध्यमिक स्तर तक आते–आते औपचारिक व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। मध्यप्रदेश शासन के शालेय शिक्षा विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन (1999–2000) के अनुसार शाला में नामांकित बच्चों में से लगभग आधे बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही शाला त्याग देते हैं।

निष्कर्ष

21वीं सदी में प्राथमिक शिक्षा सभी को अनिवार्य रूप से सुलभ हों, इसके लिए सरकार को कुछ दूरगामी विद्वतापूर्ण, कठोर और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके जीवन के निर्माण में एक शिक्षक की विशेष भूमिका रही है। जब वे पांचवीं कक्षा में अध्ययनरत थे तो उन्हें उड़ने का सिद्धान्त समझ में नहीं आया तब उनके शिक्षक उन्हें समुद्र तट पर ले गए और एक उड़ती चिड़िया दिखाई एवं तट की बालू, रेती पर रेखाचित्र बनाकर पूरी प्रक्रिया समझायी। शिक्षक की मेहनत रंग लायी और कलाम देश के लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बने, यह सब संभव हुआ शिक्षक की वजह से। इसी तरह यदि देखें तो मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कहने को तो ठीक है लेकिन शिक्षा देने वालों की स्थिति यह बहुत दयनीय है।

सरकार, विद्यालयों की आवश्यक सुख–सुविधाओं हेतु हमेशा धनाभाव का राग अलापती रहती है जिसमें कुछ सच्चाई तो है, लेकिन सरकार के लिए यह असम्भव भी नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसे अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक क्रान्ति का एक अहम् मुद्दा मानते हुए इसके लिए जी तोड़ प्रयास करें एवं देश में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले देश के सभी क्षेत्रों में विद्यालयों की उपलब्धता और इन विद्यालयों में शिक्षकों की आपूर्ति के साथ उनकी आर्थिक स्थिति, भौतिक सुविधाएं जुटाने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार जिस तरह केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय पर अपना प्रभुत्व रखती है उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का पूरा–पूरा जिम्मा त्रिस्तरीय पंचायतों को सुपुर्द कर देना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा जाना इसलिए भी अधिक कारगर होगा कि स्थानीय लोगों की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना संभव हो सकेगा, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के विद्यालय न जाने और शिक्षण कार्य न करने जैसी शिकायतों के निराकरण पर भी प्रभावी कार्यवाही पंचायतों द्वारा अधिक प्रभावी होगी, पंचायतों के माध्यम से विद्यालय भवनों के निर्माण और अनुरक्षण आदि पर किए जाने वाले व्यय में अच्छी–खासी कमी लाना संभव हो सकेगा, विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु भर्तियों एवं शिक्षकों को पूरा वेतन भी उनकी उपस्थिति के आधार देने का कार्य पंचायतों को सौंप देना चाहिए। अतः पंचायतों के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाना है तो सरकार को सीधे–सीधे पंचायतों को ही वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी होगी जिसमें पंचायतों की सीधी भागीदारी होना चाहिए। तभी स्थानीय स्तर पर यह प्रणाली और अधिक जवाबदेह तथा पारदर्शी बनेगी क्योंकि ये संस्थाएं सीधे समाज से जुड़ी हुई हैं अर्थात् ग्राम पंचायतों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण प्रबन्ध व्यवस्था और उत्तरदायित्व सुपुर्द किया जाना अति–व्यवहारिक, उपयोगी एवं कारगर होगा।

सर्व शिक्षा अभियान

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना

जगदीश मालवीय

विमला, कल्पना, पूजा और करिश्मा को अब न तो देरी से स्कूल पहुंचने पर टीचर की डॉट सुनना पड़ेगी और ना ही वे स्कूल जाने के लिए बस का लंबा इंतजार करेगी। अब वे अपनी स्वयं की श्नई साईकिलों से समय पर स्कूल आएगी। यह संभव हुआ है मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दूरस्थ गांवों की 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साईकल वितरण से। नीमच जिले में भी इस योजनांतर्गत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 223 छात्राएं लाभांवित हुई है।

नीमच जिला मुख्यालय से लगभग दस किलोमीटर दूर गांव चम्पी की छात्रा कुमारी विमला पिता बद्रीलाल एवं करीब पांच किलोमीटर दूर गांव पिपलिया बाग की छात्रा कल्पना बाबूदास एवं पूजा बद्रीलाल तथा चंगेरी की छात्रा करिश्मा को रोज बस से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच केंट पढ़ाई के लिए आने में उन्हें उस का काफी देर इंतजार करना पड़ता था। बस से स्कूल आने में वे अक्सर देरी से स्कूल पहुंच पाती थी। साथ ही शाला आने जाने में समय एवं धन भी खर्च होता था। परंतु अब उन्हें शासन द्वारा साईकिले प्रदान कर दी है वे रोज अपनी साईकलों से स्कूल आएगी। इससे उन्हें समय और धन की बचत भी होगी।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच में 9वीं में अध्ययनरत कनावटी की छात्रा कुमारी चन्दा और जयसिंपुरा की छात्रा सुनीता ने विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार के हाथों शासन की ओर से निःशुल्क साईकिल प्राप्त की साईकिल पाने की खुशी उनके चेहरे पर देखते ही बन रही थी। नेवड की छात्रा राधा और गिरदौडा की छात्रा निशा सुतार तो नई साईकिल पाकर इतनी खुश हुई कि बिना कोई समय गवाएं उस पर सवार होकर घर को रवाना हो गई। बोरखेडी पानडी की छात्रा ज्योति लौहार का कहना है कि बस से स्कूल आने और वापस घर जाने में किराया तो लगता ही था आने जाने में काफी समय भी लगता था। कभी–कभी तो बस में धक्का मुक्की की नौबत आती थी। अब वह साईकिल से स्कूल आएगी और जो समय बचेगा उसमें वह खूब पढ़ाई भी करेगी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अगले शिक्षा सत्र से अपने गांव से अन्य गांवों के हाईस्कूल कक्षा में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक की छात्राओं को भी निःशुल्क गणवेश वितरित की जावेगी। शासन के इस निर्णय से प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति
एक विश्लेषणात्मक विवेचन

कुसुम सिडाना

महिला एवं पुरूष दोनों समाजरूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। महिलाओं के विकास के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय समिति रिपोर्ट के अनुसार "किसी भी मानव समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती हैं, जितना उस देश के खनिज पदार्थ, नदियां एवं खेतीबाड़ी का है। महिलाओं की शक्ति का समुचित उपयोग करने एवं सम्मानीय स्थान देने पर वे राष्ट्र के विकास को महत्वपूर्ण ढ़ंग से प्रभावित कर सकती हैं। महिलाओं पर सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं के प्रतिबंध होने के कारण उन्हें समाज का एक विकल अंग माना जा सकता है। अतः इस वर्ग को सहायता पहुंचाने की और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वह राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण और समुचित भूमिका का निर्वहन कर सके।"

महिलाएं परिवार, समाज एवं सुदृढ़ राष्ट्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिला मानव परिवार, सभ्यता एवं संस्कृति का आधारस्तंभ है। महिलाओं की स्थिति से व्यक्तिगत परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। महिलाएं जनसंख्या का आधा भाग हैं, अतः महिलाओं का विकास अत्यन्त आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित समान अवसर, समान आजीविका, समान कार्य के लिए समान भुगतान के अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा के प्रसार से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं राजनैतिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी है। भारत में पिछले तीन दशकों से महिलाओं की शिक्षा एवं कार्यसहभागिता का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है। महिलाओं की स्वयं की भागीदारी से समाज के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है। महिलाओं के विकास में शिक्षा एवं रोजगार महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। शिक्षा, महिलाओं के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायक होने के साथ–साथ रोजगार प्राप्त करने एवं सामाजिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभांवित होती है बल्कि भावी पीढ़ी भी लाभांवित होती है। जैसाकि 'वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट' में बताया गया है कि शिक्षित महिलाएं उत्पादकता, आय एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ स्वस्थ एवं सुपोषित जनसंख्या के निर्माण में सहायक हैं।

राजस्थान में महिला शिक्षा

राजस्थान, भारत के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। राजस्थान में शिक्षा का स्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। महिला शिक्षा की स्थिति पुरुष शिक्षा से काफी दयनीय है। जिसका मुख्य कारण सामाजिक परंपराएं एवं रीति–रिवाज हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप महिला शिक्षा की स्थिति में काफी सुधार आया है।

कुल क्षेत्र

राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 280.86 लाख व्यक्ति साक्षर थे, जिसमें 182.79 लाख पुरुष एवं 98.06 लाख महिलाएं साक्षर थी। भारत में कुल साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 54.46 प्रतिशत थी, जबकि राजस्थान में कुल साक्षरता 61.03 प्रतिशत थी, जिसमें महिला साक्षरता 44.34 प्रतिशत एवं पुरुष साक्षरता 76.46 प्रतिशत रही। अतः महिला साक्षरता दर (44.34 प्रतिशत) पुरुष साक्षरता दर (76.46 प्रतिशत) से काफी कम है। इसी वजह से राजस्थान में कुल साक्षरता

दर 61.03 प्रतिशत ही रही। हांलाकि राजस्थान में 1991–2001 के दशक में राजस्थान की कुल साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन राज्य की स्थिति अभी भी राष्ट्रीय औसत (65.38 प्रतिशत) से काफी कम है। राजस्थान में वर्ष 2001 में 1991 की तुलना में महिला साक्षरता दर में वृद्धि दुगुनी से भी ज्यादा है, बाकि पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि 39.04 प्रतिशत हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर से काफी वृद्धि हुई है, परन्तु अभी भी महिला साक्षरता में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार राजस्थान राज्य में 2001 की जनगणना के परिणाम यह दर्शाते हैं कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु बनाए गए कार्यक्रमों के प्रभाव से कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता में काफी परिवर्तन आए हैं। समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन से शिक्षा के क्षेत्र में लिंग समानता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार आया है, जो दर्शाता है कि राज्य की नीतियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

राज्य के सर्वांगीण विकास में महिला शिक्षा की महत्ता को सर्वोपरि समझते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा के विकास हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति से ही अथक प्रयास किये जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वांछित सफलता नहीं मिली है। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं–

- राजस्थान में सामाजिक रीति रिवाज जैसे–बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विवाह की कम उम्र, लड़कियों का घर से बाहर जाना पारिवारिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझा जाना, महिला पर धन का व्यय दुरूपयोग समझा जाना आदि कारकों ने महिला शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, अतः अशिक्षित माता–पिता, महिला की शिक्षा पर धन व्यय दुरूपयोग समझते हैं। अशिक्षित माता–पिता महिला का कार्य सिर्फ घरेलू कार्य में हाथ बंटाना ही समझते हैं। दूसरी और महिला के परिवार की स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण महिला को पारिवारिक आय वृद्धि हेतु कार्य में सहयोग देकर आय अर्जित करनी पड़ती है जिससे महिला शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने से सरकार द्वारा निर्मित नीतियों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।
- राज्य में शैक्षणिक आधारभूत सुविधाएं जैसे–स्कूल भवन, छात्रावास सुविधा, यातायात सुविधा आदि का अभाव होने के साथ–साथ महिलाओं के लिए छात्रावास सुविधा का अभाव, महिला अध्यापकों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव एवं समय–समय पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसार न हो पाना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव होना आदि ने महिला शिक्षा के स्तर को प्रभावित किया हैं। महिलाओं के लिए पृथक विद्यालय की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग द्वारा महिला शिक्षा प्रोत्साहन देने हेतु बनाई गई नीतियों का सुचारू रूप से संचालन करने में उदासीनता दिखाने के कारण महिला शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

इस प्रकार इन कारणों पर समय रहते ध्यान दिया जाये तो महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। आज जरूरत है प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की ताकि पूर्ण साक्षरता अभियान का उद्देश्य सफल हो सके।

महिला शिक्षा हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास

राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत सरकार ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु समय–समय पर नीतियों का निर्माण किया है जैसे–ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, न्यूनतम अधिगम स्तर एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि। राजस्थान राज्य में भी "सभी के लिए शिक्षा" अभियान के तहत कई प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के निर्देशों एवं नीतियों की पालना कर, केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से शिक्षा कर्मी योजना, गुरू मित्र योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने हेतु इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

प्रहर पाठशाला

इस व्यवस्था में कामकाजी महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सांयकालीन दो घंटे के लिए शिक्षण कार्य किया जाता है। वर्ष 2001 के अनुसार लगभग 3115 प्रहर पाठशालाओं में 28377 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

महिला शिक्षण केंद्र

इसके अंतर्गत महिला प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को पांचवी कक्षा स्तर तक दक्ष कर महिला शिक्षा कर्मी बनाया जाता है, जिससे बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जा सके एवं महिला शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सके। वर्ष 2001 में 13 महिला प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं।

महिला सहयोगी

वे बालिकाएं जो छोटे बच्चों को संभालने के कारण विद्यालय से जुड़ नहीं पाती, महिला सहयोगी द्वारा उन बच्चों को संभालने का कार्य किया जाता है, जिससे उन वंचित बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जा सके।

शिक्षा वंचित बालिका शिविर

वे बालिकाएं (6–14) जो शिक्षा से वंचित हैं, इस शिविर के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

महिला टास्क फोर्स

महिला चयन, महिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों तथा संबलन हेतु बोर्ड तथा महिला टॉस्क फोर्स गठित किया गया है।

आंगन पाठशाला

एक बस्ती/ढांणी में 15 बालिकाएं ऐसी हों जो शिक्षा से वंचित हों के लिए आंगन पाठशाला खोली जाती है।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना

इस योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1–8 तक

की बालिकाओं को निःशुलक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित किया जा सके।

सरस्वती योजना

यह योजना बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु क्रियांवित की गई है। शिक्षित महिला अपने घर पर स्कूल चला सकती है, जिसके लिए 4000/— रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से तीन सालों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क किताबें दी जाती हैं।

साक्षरता पुरस्कार योजना

राज्य में साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 1991 से 2001 के मध्य किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा दशकीय साक्षरता पुरस्कार एवं दशाब्दी महिला साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य के दो जिलों दौसा एवं जैसलमेर को 'सत्येन मैत्रेय' पुरस्कार प्रदान किया गया है।

गार्गी पुरस्कार योजना

राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेंडरी परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाली बालिकाओं को अगले दो वर्षों के अध्ययन हेतु 1000/— रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि देने की योजना वर्ष 1997—98 में शुरू की।

प्रियदर्शनी अवार्ड योजना

वर्ष 2000—01 में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 में प्रत्येक संकाय में प्रथम स्थान पाने वाली 20—20 छात्राओं को अग्रिम अध्ययन हेतु 5000/— रुपये का पुरस्कार देने की योजना प्रारंभ की गई है।

पृथक शिक्षण हेतु विद्यालय

बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोंनत कर बालिकाओं के लिए पृथक शिक्षण हेतु विद्यालयों का विस्तार किया गया है।

शिक्षा कर्मी परियोजना

राज्य के दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु डी.एफ.आई.डी. एवं राज्य सरकार के 1:1 के वित्तीय सहयोग से संचालित शिक्षा कर्मी परियोजना के अंतर्गत चल रहे विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों में 44 प्रतिशत बालिकाएं हैं। शिक्षाकर्मी परियोजना में महिला शिक्षा के विकास हेतु अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें महिला प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन एवं प्रहार पाठशालाओं, आंगन पाठशालाओं एवं ग्राम समितियों में महिलाओं की भागीदारी प्रमुख है।

लोक जुंबिश परियोजना

लोक जुंबिश परियोजना के माध्यम से बालिकाओं को विद्यालय में भेजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महिला समूहों का गठन कर नामांकन वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रेरक दल, ग्राम शिक्षा समिति तथा लोक जुंबिश की हर गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बालिकाएं विद्यालय की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकती उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम 'सहज शिक्षा' इस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। उन बालिकाओं के लिए जो बड़ी उम्र की हैं तथा विद्यालय एवं सहज शिक्षा केंद्रों की सुविधा का लाभ उठाने में समर्थ नहीं है, के लिए लोक जुंबिश द्वारा 7 माह की अवधि के आवासीय शिविर आयोजित किए जाते हैं।

बालिका समृद्धि योजना

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 500 रुपये की राशि बालिका के नाम खाते में जमा कराई जाती है। बालिका के स्कूल जाना प्रारंभ करने पर कक्षा 1 से 10 तक उसे 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाती है। उक्त खाते में से पाठ्यपुस्तकें एवं यूनिफार्म खरीदी जाती है; कोई नकद राशि देय नहीं है।

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना

जिन जिलों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बहुत कम है, उन क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना प्रारंभ की गई है।

इस प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा महिला शिक्षा के प्रोत्साहन

देने हेतु कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे महिला शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ हो सके।

निष्कर्ष

राजस्थान में सवाधीनता के बाद महिला शिक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है एवं महिलाओं का सामाजिक स्तर भी काफी ऊँचा उठा है। उसे अब पुरुषों के समान शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। परन्तु इसे अभी भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राजस्थान में आज भी सामाजिक कुरीतियां, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास महिलाओं की शिक्षा में बाधक तत्व हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो महिला शिक्षा की स्थिति और भी दयनीय है। अतः आज भी राज्य में महिला शिक्षा की ओर ध्यान कंद्रित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु काफी कार्यक्रम बनाये गये हैं। इन कार्यक्रमों का महिला शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। महिलाएं हमारे देश की जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग होने के कारण देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। अतः महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। इस प्रकार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देते हेतु प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और महिला शिक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। महिला शिक्षा को बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन आवश्यक है। इस कार्य हेतु गैर–सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

(लेखिका राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अर्थशास्त्र विभाग से सम्बद्ध हैं)

अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

सरकार अनुसूचित जातियों के छात्रों को पढ़ाई छोड़ने से रोकने तथा उच्च स्तरीय अध्ययन करने में सहायता करने के लिए उन्हें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है। वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 (31 जुलाई, 2006 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय सहायता क्रमशः 33027.29 लाख रुपये, 54809.52 लाख रुपये और 23329.94 लाख रुपये है।

केंद्रीय सहायता प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्तावों की प्राप्ति पर जारी की जाती है। छात्रों को सामान्यतः कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि राज्य सरकारें प्रारंभ में अपने बजट में से इनकी जरूरतों को पूरा करती है।

1739.68 लाख रुपये की तदर्थ केंद्रीय सहायता उड़ीसा राज्य सरकार को 27 जून, 2006 को जारी की गई थी, जिसमें 2005–06 के लिए 861.00 लाख रुपये का देय शामिल है। केंद्रीय सहायता 2004–05 के दौरान उड़ीसा सरकार को जारी नहीं की गई थी क्योंकि इसके पास 201.63 लाख रुपये का अव्ययित शेष था।

राष्ट्रीय युवा नीति

पंचायती राज एवं युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने वर्ष 2003 में तैयार की गयी 'भारतीय राष्ट्रीय युवा नीति' में सरकार ने 13–19 आयु वर्ग के युवाओं को, जो किशोर आयु वर्ग का एक मुख्य हिस्सा है, एक पृथक क्षेत्र माना है। इसके अलावा, मंत्रालय किशोरों के विकास और अधिकारिता के लिए वित्तीय सहायता की 100 प्रतिशत केंद्रीय योजना कार्यान्वत कर रहा है।

सरकार ग्रामीण तथा आदिवासी युवाओं, महिलाओं, अशक्त युवाओं तथा अवैध व्यापार के शिकार, अनाथों आदि को प्राथमिकता दे रही है। स्कूल से बाहर की लड़कियों तथा किशोरियों, अभागी महिलाओं (जिसमें) अवैध व्यापार की शिकार महिलाएं भी शामिल है। किशोर स्वास्थ्य, विकलांग व्यक्तियों (युवाओं सहित) आदि के लिए महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अलावा, इस मंत्रालय के युवा संबंधी कार्यक्रमों में जनजातीय लोगों, स्कूल से बाहर के युवाओं, समाज के लाभ से वंचित वर्गों, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाएं शामिल हैं, को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है, देश में नेहरू युवा केंद्रों के अपने विशाल नेटवर्क के जरिए ग्रामीण युवाओं की अधिकारिता, कल्याण तथा विकास के लिए कार्य करता है।

अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। ऐसी छात्राएं जिन्होंने 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया हो और 11वीं कक्षा या इसके समतुल्य में दाखिला लिया हो और जिनके माता–पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम हो, 10,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान पाने की हकदार होती है। इस प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2003–04ए 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान मेधावी छात्राओं को क्रमशः 634, 2,781 तथा 3,571 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को नियमित भत्ता देने की अनोखी पेशकश

नीता गुप्ता

इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि बेरोजगारी और वह भी शिक्षित बेरोजगारी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के सभी भागों में सरकार और आम जनता के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की बढ़ती सुविधाओं और उपलब्धता ने शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक बढ़ोत्तरी की है। उल्लेखनीय है कि 21वीं शताब्दी के इन 5–6 वर्षों में सरकार के विशेष प्रयासों के कारण प्रदेश में उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक एवं चिकित्सकीय शिक्षण संस्थानों की प्रचुर मात्रा में स्थापना हुई है जिसके फलस्वरूप इन शिक्षण संस्थानों से निकलने वाले स्नातक और परास्नातकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना भी स्वाभाविक है। प्रदेश में स्थापित उच्च शिक्षण संस्थाओं में बढ़े हुए शिक्षण शुल्कों एवं सीमित सीटों, संस्थाओं एवं अवसरों की कमी के कारण जहां आम आदमी के लिए उच्च, व्यवसायपरक एवं रोजगारपरक शिक्षा के दरवाजे प्रायः बंद से हो गए थे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अब उनके लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष 2006–07 के प्रदेश के बजट में व्यवसायपरक और रोजगारपरक अनेक शिक्षण संस्थानों के खोलने की स्वीकृतियां प्रदान करने एवं उनके लिए बजटीय प्रावधान किए जाने से इस क्षेत्र में और भी अधिक संभावनाएं बलवती हुई हैं। इन संस्थानों से निकलने वाले होनहार नौजवानों को रोजगर के अवसरों को बढ़ाने पर भी वर्तमान में सरकार द्वारा विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को तीव्रता के साथ विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसका यह प्रभाव हुआ है कि वर्तमान में देश के प्रायः सभी बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया गया है और उनके द्वारा प्रदेश में कई बड़े उद्योगों की स्थापना की शुरूआत की गई है।

सरकार के इन्हीं कुछ प्रयासों के फलस्वरूप ही प्रदेश में हजारों लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है जिसमें सभी जरूरतमंदों को न सही लाखों शिक्षित नौजवानों को रोजगार अधिक उपलब्ध हुआ है। शिक्षित नौजवानों को स्वरोजगार में स्थापित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भी सरकार द्वारा सेवा, खाद्य प्रसंस्करण सहित कई क्षेत्रों में उन्हें कई योजनाओं के जरिए संभावनाओं के द्वार खोलते हुए सस्ते ऋण और उदार अनुदान की समुचित व्यवस्था की गई है जिसमें भी कई लाख नौजवानों का समायोजन हुआ है। ऐसे शिक्षित नौजवान जो अभी तक किसी नौकरी में समायोजित होने अथवा स्वरोजगार में स्थापित होने में असमर्थ रहे हैं उनका मनोबल बनाए रखने तथा उन्हें रोजगार में स्थापित होने के लिए प्रयास करने हेतु वांछित पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना के रूप में नई कल्याणकारी योजना को शुरू किया गया है। शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्रदेश के सेवायोजना कार्यालयों में सभी पंजीकृत स्नातक और परास्नातक नौजवानों को 500/– रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता नियमित रूप से प्रदान करने की व्यवस्था रखी गई है जिसे अगले वर्ष से 1,000 रुपए तक किए जाने की घोषणा भी की गई है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई यह एक ऐसी अनोखी कल्याणकारी योजना है जिससे बेरोजगारी का देश झेल रहे लाखों स्नातकों और परास्नातकों को एक आशा की किरण दिखाई दी है।

उत्तर प्रदेश भर में 1 अप्रैल, 2006 से लागू की गई इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के किसी भी सेवायोजना कार्यालय में 28 फरवरी, 2006 तक पंजीकृत ऐसे सभी 21–35 वर्ष की आयु के नवयुवक और नवयुवतियां जो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकने के बाद किसी रोजगार में स्थापित नहीं हो सके हैं, उन्हें नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होना शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों को अधिकतम आयु में नियमानुसार मिलने वाली छूट देने की भी व्यवस्था निर्धारित की गई है जिससे इन वर्गों को तुलनात्मक रूप से अधिक आयु में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना संभव हुआ है। इस योजना के संचालित हो जाने से वर्तमान में प्रदेश भर में 8 लाख 55 हजार 392 बेरोजगार युवकों की बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है। इस नई योजना के क्रियान्वयन पर प्रदेश सरकार वर्ष 2006–07 में लगभग 400 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष खर्च करेगी जिसमें अगले वर्षों में काफी वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले नौजवानों की संख्या को देखते हुए यह धनराशि बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती फिर भी सरकार द्वारा इस अतिरिक्त व्ययभार को प्रशासनिक व्यय में फिजूलखर्ची को कम करके पूरा किया जाएगा। इस प्रकार एक ओर जहां फिजूलखर्ची पर कुछ लगाम लग सकेंगी वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का लाभान्वित होना सुनिश्चित हो सकेगा।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

बेरोजगार भत्ता योजना उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारी को सहायता प्रदान करने की ऐसी विशिष्ट योजना है जिससे एक साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होना संभव हुआ है। इस योजना के निम्नांकित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं–

- प्रदेश के स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को मासिक तौर पर नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर उहें आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों में व्याप्त बेरोजगारी से पनप हीं कुण्ठा के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना।
- बेरोजगारी का दंश झेल रहे शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने अथवा स्वरोजगार अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- बेरोजगारों को समुचित मात्रा में रोजगार प्राप्त नहीं हो पाने की दशा में बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था करके कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार करने की दिशा में सरकार द्वारा अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करना।

पात्रता की शर्तें

शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनूठी योजना है जिसमें स्नातक बेरोजगारों को मासिक तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है। इस योजनांतर्गत पात्रता की निम्नलिखित शर्तें तय की गई हैं –

- लाभार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक (बीए, बीएससी, बी कॉम आदि) अथवा स्नातकोत्तर (एमए, एमएससी, एम कॉम आदि) उपाधि प्राप्त होना चाहिए।
- लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है लेकिन शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में से कहीं का भी निवासी हो सकता है।
- लाभार्थी को बेरोजगार होना चाहिए तथा 28 फरवरी, 2006 तक प्रदेश भर में कहीं भी स्थापित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत भी होना चाहिए। जुलाई, 2006 के बाद सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को अप्रैल, 2007 से निर्धारित बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने की व्यवस्था रखी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी की आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ही इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हो सकते हैं।
- आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु आयु सीमा में प्रदेश सरकार के वर्तमान आरक्षण नियमों के अंतर्गत नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट की व्यवस्था रखी गई है अर्थात वे लोग जो तुलनात्मक रूप से अधिक आयु में स्नातक/स्नातकोत्तर की योग्यता हासिल कर पाते हैं, अधिक आयु में होने पर भी इस योजनांतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में अध्ययनस्त नहीं होना चाहिए।

अनुमन्य लाभ

शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र नवयुवकों/नवयुवतियों को नकद बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की व्यवस्था रखी गई है। इसके अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं –

- प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को 500/– रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता/आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
- बेरोजगारी भत्ता लाभार्थी को उसके गृह जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होगा। संबंधित जिले के पात्र लाभार्थियों की सूची जिले के सेवायोजन अधिकारी द्वारा जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- सभी पात्र अभ्यर्थियों को जिसे के लीड बैंक अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं में बचत बैंक खाते खुलवाए जाएंगे और समय–समय पर इन खातों में 500/– रुपए प्रतिमाह की दर से सरकार द्वारा धनराशि जमा कराई जाएगी और बैंक से यह धनराशि कभी भी लाभार्थियों द्वारा निकाली जा सकेगी।

प्रमुख विशेषताएं

"बेरोजगारी भत्ता योजना" अपनी निहित विशिष्टताओं के आधार पर एक अति विशिष्ट योजना कही जा सकती है और उत्तर प्रदेश के स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त बेरोजगारी में एक आशा की किरण जागृत करेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। संक्षेप में इस योजना की निम्नांकित विशेषताएं रेखांकित की जा सकती हैं–

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से संचालित की जाने वाली यह एक ऐसी अनुपम योजना है जिस पर राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपए तथा अगले वर्षों में लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि व्यय की जाएगी और निरंतर रूप से सरकार द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने की संभावना है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत 8 लाख 55 हजार 392 बेरोजगार स्नातकों और स्नातकोत्तर शिक्षा अर्जित कर चुके युवक और युवतियों को नियमित रूप से 500/– रुपए की आर्थिक सहायता बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्राप्त हो सकेगी। अगले वर्षों में लाभार्थियों की संख्या में निश्चित रूप से काफी बढ़ोत्तरी होने की संभावनाएं हैं।
- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार भत्ते की व्यवस्था हेतु धनराशि का आवंटन प्रदेश के सभी 70 जिलों के जिलाधिकारियों को जिलेवार पात्र अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर करना सुनिश्चित किया गया है ताकि सभी प्रदेशवासी अपने–अपने जिले के अंतर्गत ही लाभान्वित हो सकते हैं।
- बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत सभी जिलों से सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से सभी पंजीकृत व पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी इस योजना के लाभों से वंचित न रहने जाए।
- इस योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ लागू किया गया है और इसके अंतर्गत प्रदेश के किसी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रह रहे स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर चुके बेरोजगार को बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के लाभान्वित किया जा सकेगा।
- शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना के अंतर्गत ऐसे सभी स्नातक और स्नातकोत्तरों को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान रखा गया है

जिन्होंने किसी भी वर्ग अथवा किन्हीं भी विषयों को लेकर स्नातक/स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की हो। उदाहरण के रूप में इस योजना के अंतर्गत बीए, बीएससी, बी कॉम, बीटेक तथा एमए, एमएससी, एम कॉम, एमटेक, एमबीए आदि किन्हीं भी विषयों/वर्ग में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी लाभान्वित हो सकते हैं।

- इस योजना के अंतर्गत किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी वर्गों और समुदायों के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना संभव हो सकेगा।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित आर्थिक सहायता संबन्धित जिले के लीड बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में उनके नाम खाते खुलवाकर अर्थात बैंक के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किए जाने से सभी पात्र व्यक्तियों को न केवल आसानी से प्राप्त होने की संभावनाएं बनी है बल्कि फर्जीपन पर पूरी तरह से अंकुश लगाना संभव हुआ है।
- ऐसे सभी स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर चुके 21 से 35 वर्ष के बेरोजगारों को सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था से नवयुवक और नवयुवतियों को ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित हुआ है तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट दिए जाने से उनके सही मायनों में लाभान्वित होने की संभावनाएं भी बलवती हुई है।
- इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के ऐसे सभी बेरोजगार स्नातकों और स्नातकोत्तरकों को सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था की गई है जिन्होंने 28 फरवरी, 2006 तक प्रदेश के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगार के रूप में अपना पंजीकरण करा लिया है। इस प्रकार वर्ष 2005–06 तक की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी नवयुवक/नवयुवतियां इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं। वर्ष 2006–07 और इससे अगले वर्षों में अर्ह होने वाले अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत होने के बाद यह भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
- वर्तमान में किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ऐसे स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाने की व्यवस्था से केवल वास्तविक अर्थों में बेरोजगार व्यक्ति ही योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को रुपए 500/– प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होने पर इस राशि से वे न केवल अपने सामान्य खर्चों को वहन करने में सक्षम हो सकेंगे बल्कि अपनी योग्यतानुसार विभिन्न नौकरियों आदि को तलाश करने अथवा अपने लिए स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में प्रयास करने हेतु भी सक्षम हो सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अर्थात उनमें पंजीकृत अभ्यर्थियों को बेरोजगार मानते हुए लागू किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित 90 सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। इनमें से कुछ सेवायोजन कार्यालय कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें से विकलांग बेरोजगारों हेतु प्रदेश में स्थापित किए गए विशिष्ट क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालयों की संख्या 16 है। इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालयों की संख्या 13 अलग है। एक व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय सेवायोजन कार्यालय भी स्थापित किया गया है। इनके अतिरिक्त 45 जिला सेवायोजन कार्यालय जिला मुख्यालयों पर खोले गए हैं। 11 विश्वस्तरीय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केंद्र – लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, बीएचयू वाराणसी, फैजाबाद तथा बरेली में स्थापित हैं तथा 4 नगर सेवायोजन कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। इन सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार व्यक्तियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वैज्ञानिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु संप्रेषित किया जाता है। इन कार्यालयों द्वारा व्यवसाय मार्गनिर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार, प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के संबंध में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें ऋण संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है।

इन सेवायोजन कार्यालयों द्वारा उत्तर प्रदेश में उपलब्ध रोजगार अथवा बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के संबंध में सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण, प्रचार एवं प्रसार संबंधी कार्य भी किया जाता है। साथ ही इनके द्वारा समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकर्ता एवं श्रमदान में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना के लागू हो जाने के फलस्वरूप इन सेवायोजन कार्यालयों की गतिविधियों मे न केवल वृद्धि हुई है बल्कि इनके माध्यम से प्रदेश के एक बड़े वर्ग को आर्थिक राहत उपलब्ध कराई जाने लगी है। इस योजना ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक राहत की सांस प्रदान की है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि इस योजना के संचालित हो जाने से बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को जेब खर्च के लिए नियमित रूप से आवश्यक धनराशि प्राप्त होने से उनमें एक ओर जहां आशाओं का संचार हुआ है, वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी कार्य के नियमित रूप से निश्चित धनराशि प्राप्त होने से उनके अकर्मण्य होने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। भविष्य में किसी समाजोपयोगी कार्य जैसे शिक्षा के प्रसार, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, स्वच्छता तथा पोषण की जानकारी के विस्तार, भ्रूण हत्या और दहेज हत्या जैसी कुरीतियों के विरूद्ध जनजागरण जैसे अभियानों से इन बेरोजगार नौजवानों को जोड़ते हुए अर्थात उन्हें कुछ कार्य आवंटित कर कार्य के बदले में इस प्रकार के भत्ते की व्यवस्था की जा सके तो इससे "एक पंथ दो काज" जैसी लोकोक्ति को साकार किया जा सकेगा।

(लेखिका हिन्दू कालेज, मुरादाबाद के अर्थशास्त्रविभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं)

ग्रामीण भारत की एक जटिल समस्या : निरक्षरता

बजरंग भूषण और बैजनाथ पांडेय

भारत अभी भी गांवों का महासागर है, जिसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। यद्यपि लाखों वर्षों की लंबी एवं क्रमिक यात्रा के पश्चात मानव सभ्यता का सूर्य आज 21वीं सदी की राशि में प्रविष्ट हो चुका है; नगरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी आज विकास के मानदण्ड बन चुके है; पर भारत आज भी नगरीकरण से दूर अपनी अनेक समस्याओं से उलझता, घिसटता ग्रामीण भारत की संज्ञा से सुशोभित है। इन समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है– 'निरक्षरता', जिसे अन्य समस्याओं का मूल आधार स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए।

21वीं सदी, कालचक्र का ऐसा रोचक मोड़ जिस पर मानव अंतरिक्ष के रहस्य खोलने से लेकर 'क्लोन' (मानव क्लोन तक) बनाने तक के विस्मयकारी चमत्कार कर चुका है। पर बड़ी अजीब बात है कि इस पृथ्वी पर अभी भी कुछ समुदाय 'निरक्षरता' के आवरण में लिपटे हुए आदिम युग में जी रहे हैं। विकास क्रम में मानव ने अपनी पूंछ तो गायब कर ली परंतु जिस प्रकार पूंछों के जींस अभी भी मनुष्य में विद्यमान हैं उसी प्रकार 'निरक्षरता' भी अभी विद्यमान है। भारतीय संदर्भ में तो 'निरक्षरता' आधुनिक भारतीय सभ्यता के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है और पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। आधुनिक भारतीय सभ्यता 'निरक्षरता' से निपटे बिना विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी? विकास का संदर्भ इसलिए क्योंकि वर्तमान जीवन–दर्शन का चरम लक्ष्य यही है।

कुमार रवि

'निरक्षरता' का शाब्दिक अर्थ 'अक्षर विहीनता' है। भारत में जनगणना आयोग 1991 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति जो किसी भी भारतीय भाषा को समझ के साथ लिख एवं पढ़ सकते हों 'साक्षर' कहलाते हैं। भारत में निरक्षरता की तस्वीर बड़ी भयावह है। यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड़ 50 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं जिनमें दो तिहाई लड़कियां हैं। विश्व में विश्व में जितने निरक्षर हैं उनके आधे भारत में हैं। भारत में 35 प्रतिशत प्रौढ़ अभी भी निरक्षर हैं। वस्तुतः 'निरक्षरता' के लिए कई तत्व जिम्मेदार हैं जिनमें प्रमुख हैं– आर्थिक कारक, सामाजिक कारक एवं राजनैतिक कारक।

अर्थाभाव से ग्रस्त बहुत से अभिभावक अपने बच्चे को साक्षर बनाने के लिए उस पर होने वाले खर्च को वहन करने में असक्षम हैं। यद्यपि इस संदर्भ में सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं फिर भी क्या भारतीय संदर्भ में वह स्थिति बदल गयी है कि योजनाओं पर एक रुपये में से 15 पैसे ही खर्च होते हैं? आर्थिक तंगी बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर कर देती है। भारत में लगभग 1 करोड़ 26 लाख बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर हैं। अभी भी बहुत से अभिभावकों के जेहन में यह बात है कि 'ज्यादा हाथ (बच्चे), ज्यादा कमाई'। गरीबी दूर करने के लिए 'निरक्षरता' के चार में आबद्ध, जनसंख्या नियंत्रण के लाभ एवं तरीकों से बेखबर वे संतानोत्पत्ति में संलग्न रहते हैं फलतः जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप भारत को और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पैदा हुए बच्चे तो बालश्रम को अपना भाग्य बनाये हुए पृथ्वी पर अवतरित ही होते हैं। यदि बच्चा स्कूल में दाखिला भी ले लेता है तो बीच में ही स्कूल छोड़ देता है। भारत में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे 5वीं तक की एवं 55 प्रतिशत 8वीं तक की शिक्षा भी नहीं पूर्ण कर पाते हैं।

'निरक्षरता' के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारकों में लिंग–भेद एक प्रमुख कारक है जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा में केवल 43.3 प्रतिशत लड़कियां हैं। पुरुष प्रधान मानसिकता, पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, रूढ़िवादिता, पुरातनपंथी सोच 'आधी दुनिया' के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करके निरक्षरता' को बढ़ावा देते हैं। प्राथमिक स्कूलों की दूरी एवं इनमें महिला शिक्षिकाओं का अभाव बालिका–शिक्षा के संदर्भ में मंदक का कार्य करते हैं। भारत में अभी भी केवल 36 प्रतिशत महिलाएं प्राथमिक शिक्षिका हैं। वर्तमान में भारत की साक्षरता लगभग 65.38 प्रतिशत है। महिलाओं की साक्षरता सिर्फ 54.16 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता 73.20 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं की साक्षरता 46.70 प्रतिशत है। शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं के साक्षरता के संदर्भ में लगभग 27 प्रतिशत की गहरी खाई के लिए वस्तुतः सामाजिक कारक ही उत्तरदायी हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों की अनुपयुक्त व्यवस्था, अधिक शिक्षा अधिक दहेज की मान्यता, छोटे बच्चों की देख–रेख, बालिका को शिक्षा देना आवश्यक नहीं जैसे मान्यताएं बालिका शिक्षा के मार्ग का कंटक बन 'निरक्षरता' में वृद्धि करती हैं। भारत के पिछड़े जिलों में तो 'निरक्षरता' (महिलाओं के संदर्भ में) की भयावहता यहां तक है कि लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं।

'निरक्षरता' के लिए राजनैतिक कारक भी कम उत्तरदायी नहीं है। 'शिक्षा' का संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी 28 वर्ष लग गये। पाठ्य–सामग्री का अभाव एवं अध्यापकों की कमी के पीछे राजनैतिक–प्रशासनिक उपेक्षा का ही हाथ है। सुदूर बस्तियों तक सरकारी नीतियों की पहुंच का अभाव है। भारत में 30 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल बिना ब्लैक बोर्ड के चल रहे हैं। 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त कमरे नहीं हैं। 45 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बैठने की टाट–पट्टी पर्याप्त नहीं हैं। एक तिहाई विद्यालय मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। सरकारी विद्यालयों के मूल्यांकन का अभाव और शिक्षकों से समय–समय पर अतिरिक्त कार्य लेना भी राजनीति का शिकार है।

'ज्ञान' को मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा गया है– 'ज्ञानम् तृतीयम् मनुजस्य नेत्रम्'। 'सूझ' विकसित करने हेतु 'ज्ञान' आवश्यक है और ज्ञान प्राप्ति का प्रथम उपकरण 'निरक्षरता शून्यता' है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 'निरक्षरता' मानव जीवन का अभिशाप है। यह आधुनिक होने का दंभ भरने वाले समाज के माथे पर कलंक है। महात्मा गांधी ने तो इसे मानव जीवन का कलंक करार दिया है। राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व शिक्षा है। वस्तुतः सम्मान के लिए शिक्षा आवश्यक है। किंतु 'निरक्षरता' के रहते शिक्षा–प्रसार कैसे संभव है? मालवीयजी ने शिक्षा को समस्त सुधारों की जड़ स्वीकार किया है। सामान्य जन कल्याण, सुखपूर्ण जीवन, राष्ट्रीय–भावात्मक एकता एवं देश की आर्थिक समृद्धि हेतु शिक्षा आवश्यक है। साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक विकास का निर्धारक है। साक्षर मनुष्य ज्यादा उत्पादनशील होता है। साक्षरता बढ़ाकर पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। रूस इसका ज्वलंत प्रमाण है जिसने मात्र 30 वर्षों संपूर्ण साक्षरता प्राप्त करके विकसित राष्ट्रों की सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया। शिक्षा की आवश्यकता को समझकर ही स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1940 में एक शिक्षक सम्मेलन में कहा था– 'बुनियादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसके बगैर वह बतौर नागरिक अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा सकता है।' विवेकानंद ने कहा है–"राष्ट्रीय शिक्षा की अवहेलना पाप है।" साक्षरता से महिलाओं और कमजोर वर्गों को समर्थ बनाया जा सकता है।" शिक्षा के महत्व पर एक चीनी कहावत है कि "किसी राष्ट्र को एक वर्षीय योजना बनानी हो तो कृषि को, दस वर्षीय योजना बनानी हो तो वन को, सौ वर्षीय योजना बनानी हो तो शिक्षा को प्राथमिकता दे।" लड़कियों के लिए तो शिक्षा का और भी ज्यादा महत्व है क्योंकि बच्चों की प्रथम शिक्षिका वही है और यदि वही निरक्षर हो तो? और भी, एड्स जैसी महामारी में उनके संक्रमण की संभावना पुरुषों से दोगुनी होती है।

'निरक्षरता' के नकारात्मक पक्षों को दृष्टिगत रखकर ही भारत ने स्वतंत्रता पश्चात् इसे दूर करने हेतु अनेक प्रयास किया। संविधान में अनु. 45 की व्यवस्था करके संविधान लागू होने से 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान करके संपूर्ण साक्षरता प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अपेक्षित सफलता न मिलने पर संधिान में 86 वें संशोधन द्वारा अनु 21(क) और 51(क) की व्यवस्था करके इसे 'मौलिक अधिकार' और 'मौलिक कर्तव्य' का दर्जा दिया गया। 1957 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्' का गठन किया गया। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 1978 में 'प्रौढ़ शिक्षा' शुरू की गयी। 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'पड़ोसी विद्यालय योजना' शुरू की गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया। 1987–88 में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। संपूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु मई 1988 में 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' चलाया गया। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त, 1995 को 'मिड डे मील' योजना प्रारंभ की गयी। वर्ष 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। –लोक जुंबिश', 'महिला समाख्या', 'जनशाला' जैसे अनेक कार्यक्रम 'निरक्षरता' दूर करने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं।

परंतु ग्रामीण भारत की जटिल समस्या 'निरक्षरता' को दूर करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। अभी भी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है। शिक्षा से आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करना ही होगा जिसकी वकालत चार दशक पूर्व 'कोठारी आयोग' ने की थी। 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के इस लक्ष्य को कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हर दूसरी शिक्षक महिला होगी– पूरा करना होगा। समुचित पाठ्यचर्या का निर्माण करना होगा। अध्यापक–अभिभावक संपर्क बढ़ाना होगा। धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना होगा। स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा। बुनियादी शिक्षा के मामले में लैंगिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करना होगा। हमें अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी ख्याल रखना होगा।

पर क्या एक अजीब विडंबना यह नहीं है कि उच्च पदों पर विराजमान नीति–निर्माता, प्रशासक, अधीकारीगण, 'निरक्षरता' दूर करने में संलग्न कार्यकर्तागण और खुद शिक्षक ज्यादातर अपने ही घरों में अभी तक पूर्ण साक्षरता नहीं ला पाए हैं। वस्तुतः ऐसे ही कुछ प्रकरण 'निरक्षरता' को अभी भी 'ग्रामीण भारत' की एक जटिल समस्या बनाये हुए हैं।

(दोनों लेखक दूजा देवी महाविद्यालय, राजौली (उ.प्र.) में प्रवक्ता हैं)

राष्ट्र विकास के लिए जगानी होगी नारी शिक्षा की अलख

रीना सिंह

ज्ञानम् तृतीयम् मनुजस्य नेत्रम् वैदिक काल से शिक्षा को वह प्रकाश माना गया है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए विद्वानों ने शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा है शिक्षा का तात्पर्य आत्मसंस्कार, आत्मोन्नति से है जो की आयुपर्यन्त चलने वाला तथ्य है। "यावज्जीवमधीते विप्राः"। क्योंकि व्यक्ति ज्ञान एवं आत्मानुभवों से ही सब कुछ सीखता है। समाज के अनेक हित साधकों ने समय–समय पर शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला है। शिक्षा सही मायनों में व्यक्ति को परिमार्जित करती है उसके बुद्धि, बल और विवेक के उत्कृष्टता प्रदान करती है शिक्षा के अभाव में मनुष्य का जीवन पशुवत् प्रतीत होता है। शिक्षा वह संजीवनी है जो मनुष्य को संपूर्ण रूप से प्राणवान कर देती है। जे. कृष्णमूर्ति ने अपनी पुस्तक ऑन एजुकेशन में ज्ञान (Knowledge) और प्रज्ञान (Intelligence) का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'संवेदना एवं प्रज्ञान के अभाव में प्राप्त ज्ञान विनाशक होता है।' वस्तुतः शिक्षा का वास्तविक अर्थ तो मनोमय भूमि का वह विस्तार है जहां सहिष्णुता, सजगता और सर्तकता व्याप्त होती है, तभी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो पाता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार 'सही शिक्षा अखण्डता एवं परिपूर्णता के साथ व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है तथा साथ ही वह व्यक्ति को सहिष्णुता और सौन्दर्यानुभूति भी देती है।' डॉ. एनी बेसंट के अनुसार 'सार्थक शिक्षा वही है जो व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करने में समर्थ कर सके। वह परिस्थितियों को दास न बनकर उनका स्वामित्व करने में सक्षम हो।' स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म विज्ञान में लिखा है, कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो मौलिक सत्ता विद्यमान है उनका पूर्ण प्रस्फुटन करना ही शिक्षा का लक्ष्य है, इसके अभाव में कोरा ज्ञान जिसमें दया और प्रेम का अभाव हो राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देता है शिक्षा का मौलिक उद्देश्य डिग्रियां प्राप्त करना ही नहीं अपितु शारीरिक, बौद्दिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। साथ ही व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करना जो आत्म सम्मान तथा दूसरों को सम्मान देने वाला हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि 'सा विद्या सा विमुक्तये'।

साक्षरता मनुष्य के लिए वरदान है, तो निरक्षरता अभिशाप है। विश्व में सबसे अधिक निरक्षर भारत में है। जिनमे अधिकांश महिलाएं है। समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है। महिलाओं की साक्षरता का देश के सकल विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पुरानी कहावत है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और जब महिला शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस तथ्य का समर्थन करते हुए कहा था कि एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है और एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत वर्ष 1951 में महिलाओं में साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी जो सन् 2001 में बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गयी है। आज भी देश में लगभग 30 करोड़ लोग निरक्षर हैं और उनमें भी अधिकतर महिलाएं है। विश्वभर में प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों का साठ फीसदी भाग लड़कियों का है। भारत में स्कूल जाने वाली आयु की 3 करोड़ बालिकायें पढ़ने नहीं जा रही है। सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि बालिकाओं की भी पढ़ाई निम्नलिखित कारणों से पांचवी कक्षा तक पहुंचते–पहुंचते पढ़ाई छुड़वा दी जाती है।

- लड़कियों को स्व–विवेक से कार्य न करने देना, बात–बात पर डांटना और उपदेश देना घर से बाहर न निकलने देना, यह स्थिति रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, पुरातनपंथी परिवारों में पायी जाती है।
- लड़कियों की शीघ्र शादी करके मुक्ति पाने और दहेज के अभिशाप के चलते लड़कियों को या तो पढ़ाया नहीं जाता या तो उनका स्कूल बीच में ही छुड़वा दिया जाता है।

- कुछ परिवारिक सोच यह है कि अगर लड़की स्कूल जायेगी तो घर के कार्यों में हाथ कौन बटायेगा, वे घरेलू कार्य को प्राथमिकता देते हैं जबकि पढ़ाई द्वितीयक। वह घर के साथ–साथ बाहर के कामों में भी हाथ बटाती है जिसे अर्थोपार्जन का रास्ता आसान हो जाये।
- कुछ बालिकायें पारिवारिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ाई कर पाती हैं वह चाहे निःशुल्क ही शिक्षा क्यों न हो। उसके उपरांत उन्हें ड्रेस, आने जाने का खर्च की जरूरत पड़ती है जिसमें परिवार सहाय होता है इन जरूरतों को पूरा करने में, क्योंकि वह दो वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ होने लगता तो वह परिवार अपनी लड़की को शिक्षा कैसे दिलवायेगा।
- कभी–कभी शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को क्रूर व्यवहार भी बालिकाओं को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देता है, जैसे बात–बात पर पिटाई करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, परिवार से उसकी बढ़–चढ़ा कर शिकायत करना इस तरह की कई यातनाएं बालिकाओं के मानसिक स्तर पर विपरीत प्रभाव डालती है।
- कुछ परिवार की गलतियों से ही लड़कियों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है जैसे परिवार दबाव डालेगा कि वह डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या विभिन्न दृष्टिकोणों से शिक्षा प्राप्त करे लेकिन बालिका का मन किसी दूसरी शिक्षा पर है और उसे दबाव में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है तो वह शिक्षा में अरूचि पैदाकर देती है और धीरे–धीरे शिक्षा से दूर होती जाती है।
- भुखमरी कुपोषण की शिकार बलिकाएं बार–बार बीमारी की स्थिति बनी रहती है जिससे परिवार के कार्यों में भी विघ्न पड़ता है तथा उनका इलाज भी नहीं हो पाता है और वे धीरे–धीरे शिक्षा से दूर हो जाती हैं क्योंकि ऐसे छोटे–छोटे कारण शिक्षा पर ब्रेक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- कुछ बालिकाओं का जल्द विवाह हो जाने के कारण भी उनके शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो परिवार शिक्षा दिलाता और जब शादी जल्द हो जाती है तो शिक्षा छुड़ाना उनकी मजबूरी रहती है। पारिवारिक परंपरा और रीति रिवाज (रूढ़िवादी) ही महिलाओं के शैक्षिक स्तर को कमजोर बना देती है प्राइमरी स्तर पर 84 प्रतिशत लड़कों को स्कूल में दाखिला दिलाया जाता हैं दाखिला लेने वाली लड़कियों में पांचवी कक्षा पास होने से पहले ही स्कूल छोड़ देती है, इनमें 42.35 प्रतिशत लड़कियां दूसरी कक्षा भी पास नहीं कर पाती। जबकि उच्च शिक्षा के संबंध में कालेज स्तर पर लड़की–लड़के का अनुपात 100 और 45 का है हालांकि कालेज और विश्वविद्यालयों मे सामाजिक रूढ़ियों में अपेक्षाकृत युक्त मध्यवर्गीय शिक्षित परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। उच्च टेक्नालॉजी संस्थानों में लड़कियों का प्रतिशत मात्र 3.5 है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय भावी नीति 1988–2000 द्वारा बताये गये मोटे अनुमानों के अनुसार महिलाओं के शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति आजादी के 45 वर्षों के बाद भी हतोत्साहक है। महिलाएं अब भी नाजुक, असहाय और शक्तिहीन मानी जाती हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी, उत्पादकों, साधनों की कमी एवं अपने महत्व की सुरक्षा के बारे में जानकारी की कमी आज भी विद्यमान है। ऐसा निम्नलिखित संकेतों से स्पष्ट हो जाता है।
- एक तो लड़कियों की जन्म दर अधिक है और उनमें से 75 प्रतिशत अनपढ़ हैं। यदि सौ लड़कियां पहली कक्षा में दाखिला लेती है, तो केवल 25 ही मिडिल स्कूल पार कर पाती हैं।
- उच्च शिक्षा में केवल 30.6 प्रतिशत महिलाएं प्रवेश लेती हैं, जिनमें से केवल 6 प्रतिशत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में आ पाती हैं।
- प्रशासन और ऊंचे प्रबंधकीय व्यवसाय में 15993 पुरुषों की तुलना में महिलाएं केवल 996 है, जो कि 6.2 प्रतिशत बैठती है।
- भारतीय पुलिस सेवा में 2418 पुरुष अधिकारियों की तुलना में केवल 21 महिला अधिकारी हैं।
- भारतीय प्रशासनिक सौ में केवल 7.5 प्रतिशत अर्थात 4209 पुरुष की तुलना में 339 महिलाएं हैं।

आज हमारा देश विश्व की सभी देशों के साथ विकास की दिशा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाता जा रहा है। इस कार्य में देश का प्रत्येक नागरिक बढ़–चढ़कर योगदान दे रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के 59 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिला शिक्षा देश की प्राथमिक समस्याओं में शामिल नहीं है। वैसे तो सरकार ने एक विधेयक पारित करके 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का संकल्प लिया था लेकिन अभी उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। आज भी देश में लगभग 30 करोड़ लोग निरक्षर हैं।

महिला शिक्षा एवं साक्षरता के भावी स्वरूप को निर्धारित करने तथा ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं एवं दशाओं की भी पहचान करनी होगी, जिससे भविष्य में महिलाओं की जीवन स्तर में सुधार हेतु समुचित नीतिगत प्रयास किया जा सके, उन्हें कृषि एवं गैर कृषि कार्यों को कुशलतम् ढंग से संपादित करने हेतु प्रयोगात्मक एवं सतत् शिक्षा प्रदान करना होगा जिससे वे अपने कार्य को कुशलतमपूर्वक कर सकें। महिला शिक्षा एवं साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रमों से महिलाओं के घरेलू कार्यों के संपादन की तकनीक उत्पन्न कर सकती हैं और वे अपना तथा परिवार का भरण–पोषण करने के लिए छोटे व्यवसायों का संचालन कर सकती हैं।

आज भी अधिकांश महिलाएं परंपरावादी जीवन मूल्यों के विषाक्त चक्र में फंसी हुई होती है और उनकी चिंतन धारा आधुनिक मूल्यों से ओत–प्रोत सामाजिक विधानों के प्रतिकूल बैठती है। अधिकांश स्थितियों में वे अब भी अपनी शिक्षा, व्यवसाय एवं रोजगार को चयनित करने में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। अतएव यह अपेक्षित है कि भारतीय महिलाओं में प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा के माध्यम से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाय और उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में प्रभावशाली रूप से जोड़ा जाये।

पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा एवं साक्षरता

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)– शिक्षा व अनुसंधान कार्य 149 करोड़ रुपये व्यय किये गये, उस समय महिला साक्षरता दर कम थी कुल साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 27.16 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी और 1000 पुरुष साक्षर पर 299 महिलाएं ही साक्षर थीं। इस योजना मे बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा व प्रविधिक शिक्षा के साथ ही संस्थाओं की मान्यता व आधार शिक्षा रखी गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)– इस योजना में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के विकास पर अधिक बल दिया गया। इस योजनाकाल में शिक्षा क्षेत्र पर 273 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस धनराशि से प्राथमिक शिक्षा के साथ विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)– यह योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना थी क्योंकि शिक्षा व अनुसंधान कार्य के लिए 660 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय किया गया जो कि इस योजना व्यय कुल 7.7 प्रतिशत थी, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान व तकनीकी शिक्षा की साथ ही साथ बहुउद्देशीय शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई। फिर भी महिला शिक्षा की दशा में भी कोई सुधार नहीं पाया गया। इस काल में साक्षरता का जो प्रतिशत था वह 28.30 प्रतिशत था जिसमें पुरुष स्त्री साक्षरता 40.40 प्रतिशत व 15.35 प्रतिशत रहा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)– महिलाओं के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में विज्ञान व व्यावसायिक पाठयक्रमों की व्यवस्था व प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को संचालित किया गया, इस योजना काल में 405 करोड़ रुपए शिक्षा पर व्यय किया गया, जिसमे महिला साक्षरता दर 21.92 प्रतिशत रहा 11000 पुरुषों पर 440 महिलाएं साक्षर थीं।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79)– इस योजना काल में शिक्षा के समान अवसरों का विकास कर आत्म निर्भर समाज की स्थापना के लक्ष्य को स्वीकार किया गया शिक्षा पर इस काल में 3200 करोड़ रुपए व्यय किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)– इस योजना के तहत प्रौढ़ शिक्षा की महत्वकांक्षी योजना प्रारंभ किया गया जिसमें 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया गया इस योजनाकाल में शिक्षा पर व्यय 3997 करोड़ किया गया इस योजना के प्रारंभिक वर्ष (1981) में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 43.57 प्रतिशत हो गया। जिसमें 56.3 प्रतिशत पुरुष एवं 29.76 प्रतिशत महिलाओं का है। पुरुष और के साक्षरता अनुपात दो गुना प्रभावित हुआ है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)– इस येाजना के तहत औपचारिक अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा के नवीन आविष्कारों पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में एकरूपता स्थापित करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई जिसके अंतर्गत महिला शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए यह नीति अपनायी गयी। साथ ही तकनीकी व व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं को सहभागिता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया जिसका परिणाम 1991 में 52.21 प्रतिशत साक्षरता देखने को मिलती है। पुरुष साक्षरता दर 64.13 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत हो गयी इस प्रकार प्रति हजार पुरुष पर महिला साक्षर संख्या 569 हो गई। इस योजना में 7686 करोड़ रुपए व्यय किये गए।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)– इस येाजना में निरक्षरता समात करने तथा आत्मनिर्भर समाज की स्थापना हेतु अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के लक्ष्य को स्वीकार किया गया है। इस योजना के लिए 10599 करोड़ रुपए व्यय किये कुल योजना व्यय 4.5 प्रतिशत रहा। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण करते हुए स्त्री शिक्षा को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)– इस योजना में महिलाओं के संबंध में आयोजन शैली में दो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। पहला महिला सशक्तिकरण नौंवी योजना के नौ मुख्य उद्देश्यों में से एक बन गया। इसके लिए एक राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में स्वीकार की गई। दूसरी मौजूदा सेवाओं और महिला विशिष्ट एवं महिला से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा आय संरचना तथा मानवीय शक्ति को सांकेतिक करने का प्रयास किया गया। महाविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया जिसमें शिक्षा पर खर्च 37487 करोड़ रुपए व्यय किये गये और इसका परिणाम साक्षरता प्रतिशत (65.38 प्रतिशत) से देखने को मिलता है।

दसवीं योजना (2002–2007)– इस योजना में अन्य बातों के साथ 12 अनुवेक्षण योग्य लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें 4 प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित हैं तथा 5 प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं से सम्बद्ध हैं। इस योजना में ही विशेष प्रावधान बच्चे 2003 तक प्रवेश पायें एवं 2007 तक सभी स्कूली शिक्षा पूर्ण करें और साक्षरता दर में 75 प्रतिशत की वृद्धि करना। इससे महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक लाभ होगा क्योंकि महिला साक्षरता की वृद्धि दर पहले से ही पुरुषों की साक्षरता की वृद्धि दर से अधिक हो गई है।

इस तरह पहली पंचवर्षीय योजना से सामाजिक न्याय और नियोजित विकास के साथ वृद्धि विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को ठोस स्वरूप मिला। इसमें शिक्षा को सम्पूर्ण राष्ट्रीय प्रयास एक हिस्से और येाजना के लक्ष्यों की पूर्ति के साधन के रूप में माना गया। इसमें महिला शिक्षा के प्रचार में सामने आने वाली समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया लेकिन फिर भी प्रतिशत एवं व्यय के मध्यम से यह इंगित किया गया है कि महिला साक्षरता प्रतिशत योंजनाओं में कितना बढ़ा है और किस योजना में कितना अथक परिश्रम किया गया। दूसरी योजना मे बालिका शिक्षा की समस्याओं को अत्यंत महत्वपूर्ण माना तो जरूर मगर इसका भी ध्यान मुख्यतः शैक्षिक सुविधाओं के वृहत्तर प्रसार पर ही अधिक केंद्रित रहा।

तीसरी योजना के तहत गठित राष्ट्रीय समिति के सुझावों को शामिल किया गया। इसी क्रम में सभी योजना काल के अंतर्गत महिला शिक्षा पर किसी न किसी प्रकार से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया परन्तु उसे परोक्ष रूप से लागू करने में अत्याधिक समय लगभग, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों छात्रवृतियों और वर्दियों के रूप में भी प्रोत्साहित किया गया तथा महिला साक्षरता देहाती लड़कियों के लिए अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायक समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस) जैसे समाज कल्याण कार्यक्रम चलाये गये जिसमें स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़े और बच्चों के उत्थान के लिए बाल सहायक सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके अलावा जनजातीय और अनुसूचित जातियों के लिए और बालिका शिक्षण संस्थानों को प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रावधानों का निर्माण किया गया। महलिाओं और बालिकाओं के विशेष महत्व को दोहराते हुए उनकी शिक्षा औपचारिक शिक्षा को व्यावसायिक यानि रोजगारमूलक प्रशिक्षण से जोड़ने अनौपचारिक शिक्षा योजनाओं, प्रौढ़ शिक्षा और ऐसे ही अनेक प्रासंगिक विधियों के जरिए उनतक पहुंचने का प्रभाव किया गया। वस्तुतः वर्ष 1999 में भारत सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को कई तरह के प्रोत्साहन देने की घोषणा की।

स्वतंत्रता के 59 वर्षों के बाद भी ऐसा कदम यह तथ्य उजागर करता है कि तमाम सरकारी हस्तक्षेप महिलाओं को शिक्षा से रखने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के प्रभुत्व को रोकने में असफल रहे हैं।

महिला शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक विकास हेतु सुझाव

- महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए। इसे और अधिक प्रभावी एवं कारगर बाने के लिए गैर–सरकारी संगठनो को भी भागीदार बनाया जाय।
- जिन क्षेत्रों में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम हैं, ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाय तथा उनकी साक्षरता बढ़ाने के लिए समुचित रणनीति अपनायी जाय।
- लड़कियों की अशिक्षा के रूढ़िगत सामाजिक कारणों को दूर करने के लिए समाज में महिला में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाये।
- नगरों की भांति ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा एवं साक्षरता का प्रसार किया जाये। ग्रामीण अंचलों में एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण तैयार किया जाए जिससे लड़कियां स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके तथा स्कूलों में प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई जारी रख सके।
- कन्या आश्रम तथा बालिकाओं के लिए आवासी पाठशालाओं में जहां तक संभव हो सके वृद्धि की जाय। महिला छात्रावास अधिकाधिक संख्या में स्थापित किये जाएं तथा छात्रावासों का प्रबंध एवं संचालन कुशलतापूर्वक किया जाय ताकि अभिभावकों की नजरों में छात्रावास की विश्वसनीयता बरकरार रहे।
- विभिन्न आयु समूह की महिलाओं की शिक्षा और व्यवसाय शिल्प प्रशिक्षण, स्वरोजगार, व्यवसाय मार्गदर्शन जैसे पाठ्यक्रम अपना कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाये।
- महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा और सतत् शिक्षा का तेजी से कार्यान्वयन करके उनके व्यवसाय से जुड़ी शिक्षा समन्वित शिशु विकास सेवा के साथ अनुबद्ध की जाए।
- गैर–अनौपचारिक शिक्षा की विषयवस्तु पर नये सिरे से विचार किया जाये और इस क्षेत्र में पूरे उत्साह से कार्यवाही करने की उच्च प्राथमिकता दी जाए।
- महिलाओं और बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करने वाली संस्थाओं की दिशा–निर्देश देकर उन्हें कार्यान्वित किया जाए।
- महिला समितियों का गठन करके उन्हें महिला शिक्षा के उन्नयन की जिम्मेदारी दी जाये।
- जो अभिभावक गरीबी–रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, उन पर से शिक्षा का बोझ पूरी तरीके से खत्म किया जाये।
- विकलांग व बेसहारा लड़कियों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं।
- जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक प्रगति के लिए जनजातीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए।
- बाल विवाह की प्रथा रोकी जाये।
- प्रायः ग्रामीण अंचलों में महिला अध्यापिकाओं की कमी है शहर की महिला अध्यापिका गांव में नौकरी करना नहीं चाहती और गांवों में महिलाएं इतनी काबिल नहीं है कि ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का पूरा दायित्व स्वयं उठा सके। इस पेचीदा स्थिति को सुलझाने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त शैक्षिक योग्यताओं से संपन्न स्थानीय महिलाओं को पात्रता स्तर में कुछ ढील देते हुए अध्यापिका नियुक्त किया जाय तथा शिक्षण प्रशिक्षण की विशेष सुविधाएं दी जाएं।

मानव समाज में महिला पुरुष दोनों गाड़ी के दो पहिए के समान हैं। दोनों को विकास हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों में लगभग समान रूप से अवसर भी प्राप्त है पर हमारी सामाजिक व्यवस्था व परंपराओं ने जन्म से ही लड़का व लड़की भेद किया है। इसी कारण से लड़के–लड़कियों के पालन–पोषण रहन–सहन शिक्षा–दीक्षा व चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अधिकारिक विभेद पाया जाता है लड़के को जहां कुल दीपक पारिवारिक समृद्धि यश व प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता है वहीं लड़की को पराई सम्पत्ति व दहेज आदि कारणों से बोझ व अभिशाप समझा जाता है। इसका मुख्य कारण महिलाओं में शिक्षा व साक्षरता का अभाव है। देश की आजादी के 59 वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात भी महिला शिक्षा की दशा–दिशा में कोई विशेष रूप से परिवर्तन नहीं नजर आता है। इसी कारण से भारतीय सामाजिक स्वरूप व चेतना में जो अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हो पाया हैं। मानवीय संसाधन का पूर्ण विकास बच्चों के चरित्र निर्माण व देश के चहंमुखी विकास के लिए महिला शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक उपयोगी है। इसी आधार पर महिला शिक्षा को विकास का आधार स्तम्भ माना गया है अतः महिला शिक्षा के अधिकाधिक अवसरो का सृजन एक अनिवार्य कदम माना गया है क्योंकि सुसंस्कृत एवं पूर्ण समाज की रचना शिक्षित महिलाओं से ही संभव है।

वास्तव में महिला शिक्षा व साक्षरता के प्रति समर्पण बोध और निश्छल प्रयासों की सख्त जरूरत है। आने वाले समय में उक्त सुझावों से महिला शिक्षा व साक्षरता के क्षेत्र में प्रगति का सिलसिला मात्रात्मक व गुणात्मक स्वरूप में उत्तरोत्तर निखरेगा तथा महिला साक्षरता व शिक्षा को सही दिशा मिलेगी।

(लेखक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से संबद्ध हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

शिक्षा के बदलते मानक

अर्चना पाण्डेय

शिक्षक उस ज्योति की भांति है, जो स्वयं को जलाकर विद्यार्थियों के जीवन को प्रकाशित करते हैं, तो ज्ञान उस प्रकाश पुंज की भांति है जो मार्ग से भटकते, विचलित एवं अधीर मानव का पथ–प्रदर्शन करता है। आज समाज में फैली स्वार्थपरता, धनलोलुप राजनीति, मीडिया व सूचना तंत्रों के निरन्तर बढ़ते प्रभाव से शिक्षा और शिक्षार्थी में मूलभूत परिवर्तन आया है। गुरु द्रोण और वशिष्ठ के सिद्धांत समय के साथ मलिन होते जा रहे हैं। शिक्षक की शिक्षा अध्यापन केन्द्रित न होकर धन केंद्रित हो गई है।

आजादी के बाद जिस तरह के आदर्शवाद को लेकर शिक्षा का स्वरूप सामने आया था वह छठे दशक तक आते–आते छीजने लगा। भगत सिंह, आजाद के त्याग की भावना इस समय की युवा पीढ़ी पूरी तरह से भूल चुकी थी। आदर्शवाद से नाता टूट चुका है और समय के साथ अन्य क्षेत्रों की मर्यादा भी भंग होती गयी। शिक्षक में न शिक्षा का भाव शेष रहा और न विद्यार्थी में आदर व सम्मान का। भौतिकवाद की चमक–दमक में शिक्षा का 'मूल' निम्न होता गया। उच्च जीवन–स्तर के सागर में गोते लगाने की प्रत्याशा ने शिक्षक को कर्त्तव्य विमुख कर दिया।

प्रायः माता–पिता को प्राथमिक शिक्षक माना जाता है। शिक्षक से बालक का सम्पर्क तो बाद में होता हैं। सर्वप्रथम तो माता–पिता ही बच्चे को समाज में जीने, उठने, बैठने के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान कराते है। अभिमन्यु द्वारा अपने मां के गर्भ में सीखे गये ज्ञान के कारण ही पाण्डवों की विजय संभव हो सकी, परन्तु शिक्षा की यह प्रक्रिया माता–पिता के प्रति सम्मान भाव के बिना संभव नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद शिक्षक ही है, जो विद्यार्थी के भीतर, त्याग, कर्तव्य पालन, आदरसम्मान, ज्ञान, प्रज्ञा, आदर्श आचरण की नींव रखता है। अत्यन्त दुख का विषय है कि शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा करने में असफल रहा है, जहां पूर्व के शिक्षक शिक्षा के बदले मात्र अपनी जीविका भर की दक्षिणा से संतुष्ट हो जाते थे, वहीं आज का शिक्षक धनलोलुपता के वेग में अपने उत्तरदायित्वों को पूर्णतः भूल चुका है। उच्च वेतन के बावजूद ट्यूशन पढ़ाना, लोगों से पैसा लेकर परीक्षा में नम्बर बढ़ाना, नकल जैसे कृत्य निःसंदेह शिक्षक के धर्म की मर्यादा को खण्डित कर रहे हैं।

जहां एक ओर शिक्षक का स्तर गिरा है तो दूसरी ओर विद्यार्थी का स्तर भी प्रभावित हुआ है। टेलिविजन, फिल्मों के प्रभाव ने अश्लीलता, वेश्याखोरी, नशाखोरी जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। फिल्मों ने कम उम्र के बच्चों को भी अमानवीय कृत्यों की ओर उन्मुख किया है। आज शिक्षा और ज्ञान का मार्ग शिक्षक और विद्यालय न होकर फिल्में बन गई हैं। किताबों से अधिक समय बच्चे फिल्मों पर देते हैं। फलस्वरूप बच्चों में आदर्श विचारधारा का स्थान अभद्र और हिंसक मानसिकता ने ले लिया है। इसके अतिरिक्त निरन्तर बढ़ती जनसंख्या और घटते रोजगार ने भी इसमें अहम् भूमिका निभाई है। राजनीतिज्ञों और सत्तापरक लोगों की शिक्षा में दखलअंदाजी के चलते अक्षम लोगों को बिना परिश्रम के उच्च स्थान मिल जाता है, जबकि परिश्रमी वर्ग बेबस खड़ा देखता रहता है, क्योंकि निर्धन वर्ग के हाथ में परिश्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं, जिसमें विद्यार्थी समाज के प्रति रोष और घृणा से प्रेरित हो अपराध करने लगता है। ऐसी विकृत प्रशासनिक व्यवस्था के चलते उचित शिक्षा का लक्ष्य धरा का धरा रह जाता है और समाज में आपराधिक प्रवृतियां बढ़ती चली जाती हैं।

शिक्षा के साध्य को प्राप्त करने के लिए यह जानना होगा कि शिक्षा व्यक्ति में कहां और क्या परिवर्तन लाती है? शिक्षा पाने के लिए व्यक्ति के पास कौन से निजी साधन है? शिक्षा व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति को कैसे प्रभावित करती है? तैत्तिरीयोपनिषद में व्यक्ति में शिक्षा प्राप्ति के पांच साधन बताये गये हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, एवं आनन्दमय है। इस पर संतुलन प्राप्त करकें व्यक्ति की मानसिकता में वांछित परिवर्तन किये जा सकते है। ये परिवर्तन व्यक्ति को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करके सामान्य व्यक्ति से दैवी पुरुष के सापेक्ष खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। आज की पुस्तकीय शिक्षा पद्धति जीवन एवं शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही है। विज्ञान की शिक्षा और तकनीकी आविष्कारों के व्यवहारिक ज्ञान के फलस्वरूप ही विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा के वास्तविक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। जो मात्र शाब्दिक ज्ञान और उच्च स्तरीय पुस्तकों के अध्यापन से संभव नहीं।

यदि शिक्षक और शिक्षा के वर्तमान मानक और परिस्थितियां बदली न गई तो शिक्षार्थी के जीवन के अन्धकारमय भविष्य की आहट है। वर्ष 2004–2005 की गणना के अनुसार भारत की प्रतिव्यक्ति आय 12,414 रुपये है, परन्तु वास्तविक जीवन में आज भी शिक्षा और पोषण की बदहाल स्थिति के चलते अनेक परिवार अपने जीवन में अमूल्य क्षणों को तिल–तिल कर नष्ट होते देख रहे हैं।

उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के इस दौर में शिक्षा का स्वरूप अगले दस वर्षों में इतना बदल जाएगा कि आज के जागरूक विद्यार्थी चलती फिरती मशीन में तब्दील हो जायेगा। युवाओं में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित शिक्षा पर जोर होगा। एड्स और यौन शिक्षा से नन्हा मासूम बचपन कुचला जायेगा। शराब की लत, नशीली दवाएं, आतंकवाद, हिंसा आदि की शिक्षा का विस्तार कोमल हाथों में रोशनाई की जगह बंदूक पकड़ने पर विवश कर देगी। बौद्ध और जैन धर्म द्वारा प्रेम और अंहिसा का प्रेरक देश हिंसा और अपसंस्कृति के केन्द्र न बन जाए, सांस्कृतिक आक्रमणों का प्रतिरोध करने की क्षमता का विकास करना होगा। यदि हम अपनी संस्कृति को और नीचे गिरने से रोकना चाहते है तो मूक दर्शक बने रहने के स्थान पर वर्तमान शिक्षा में फैली अराजकता, अव्यवस्था, घूसखोरी, ट्यूशन प्रणाली पर विराम लगाना होगा।

आज जबकि प्रत्येक क्षेत्र में निरन्तर निराशा व्याप्त हो रही है। भ्रष्टाचार का करूण क्रन्दन हर जगह अभद्रता का विष घोल रहा है। ऐसे में शिक्षा ही मात्र ऐसा शस्त्र है जो इस प्रवाह की धारा को उत्तम भविष्य की ओर मोड़ सकता है। पाठ्यक्रम में उचित मूल्य नीतियों, आदर्शों और रोजगारपरक विषयों का समन्वय करके ही बेरोजगारी हिंसा और अपराध के विष से मुक्ति मिल सकती है और शिक्षा के उचित मूल्यों की पुनर्स्थापना संभव हो सकती है।

(लेखक पत्रकार हैं)

सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान

नीलम मकोल और संदीप शर्मा

जिस समाज में सामाजिक संवाद बहुधा लिखित रूप में होता है वहां शिक्षा आत्मरक्षा का सबसे प्रथम शस्त्र बन जाती है। एक निरक्षर व्यक्ति आधुनिक समाज के क्रियाकलापों में सफलतापूर्वक भागीदारी में प्रायः कुछ ने कुछ असमर्थता का अनुभव करता है। प्राथमिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक का कार्य करती है। आज जहां हर पहलू में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम मिला कर चल रहीं हैं, वहां नारी शिक्षा की आवश्यकता एवं सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान एक सामाजिक मुद्दा माना गया है। महिलाएं मानव समुदाय का आधा हिस्सा हैं, उनके शिक्षित होने का अर्थ है– एक पूरे परिवार की शिक्षा। मानवीय साधनों का पूर्ण विकास, परिवार तथा समाज में सुधार, बच्चों के चरित्र निर्माण एवं देश के उत्थान के लिए महिला शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा महिलाओं में जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करती है। पारिवारिक सुख–शांति तथा पूरे परिवार को सुशिक्षित बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षित महिलाएं जागरूक रहकर बड़ी कुशलता के साथ सामाजिक दायित्वों को संभाल सकती हैं, वह किसी भी व्यक्ति के साथ निकटता प्राप्त करने में समर्थ होती हैं और उनको प्रभावित करके उन्हें सामाजिक विकास के लिए प्रेरित करने में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। वह बड़ी योग्यता के साथ व्यवसाय तथा घरेलू जीवन के बीच सामंजस्य बनाये रखने में सफल होती हैं और वे अपनी उच्चतर अनुराग भावना, असमानता तथा भेदभाव के प्रति अपनी सहज अवहेलना के बल पर सामाजिक समरसता के क्षेत्र में कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होती हैं।

शिक्षित महिलाओं के योगदान से समाज में महिलाओं ने अपना स्थान बना लिया है। आजादी के बाद लोकतंत्र से समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी मिलने पर महिलाएं एक व्यापक राष्ट्रीय चेतना से जुड़ीं और उन्होंने यथासंभव बहुमुखी विकास के मार्ग पर कदम भी बढ़ाया और वे समाज में प्रतिष्ठित हुईं। आज की महिलाएं केवल पत्नी, माता आदि संबंधों के द्वारा ही अपना परिचय नहीं देती, बल्कि अपने आपको राष्ट्र या समाज के उत्तरदायी नागरिक के रूप में उपस्थित करती हैं। आज इक्सवीं शताब्दी में प्रवेश करती हुई लाखों शिक्षित महिलाएं राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत हैं। वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक, न्यायाधीश, आईसीएस, पीसीएस आदि अधिकारी बनकर राष्ट्र संचालन कर रही हैं। खेलकूद, पर्वतारोहण, इंजीनियरिंग के क्षेत्र शिक्षित महिलाओं से गौरवान्वित हुए। एयरहोस्टस, रिशेप्सनिस्ट, सेल्सगर्ल्स, फैशन मॉडल, कला, नृत्य, संगीत आदि पर शिक्षित महिलाओं का वर्चस्व स्थापित हुआ।

सामाजिक विकास की राह में सबसे बड़े पत्थर यानि "निरक्षरता को दूर करने में शिक्षित महिलाओं का अधिक योगदान है। सभी विद्यालयों में ज्यादातर महिलाएं अध्यापिकाएं बनकर समाज को पढ़ा रही हैं। डाक्टरी पढ़कर वे रोगियों का इलाज कर रही हैं। वह नौकरी कर के घर की आमदनी में हाथ बंटा रही हैं। समाज सेवा के लिए कई संस्थाएं बनी हैं, जिन्हें शिक्षित महिलाएं चला रही हैं। अधिकारों तथा स्थितियों के प्रभाव से और शिक्षा प्राप्त होने से महिलाओं के वैचारिक स्तर में भी गंभीर परिवर्तन आया है। अब तो महिलाएं सेवा तथा पुलिस जैसे विभागों से भी जुड़ने में पीछे नहीं रहतीं। भारत की बढ़ती आबादी का सामाधान भी आज शिक्षित महिलाओं के हाथ में है। वह अपनी शिक्षा से और ज्ञान से इतनी समझदार हो गई हैं, कि वह एक छोटे व सुखी परिवार की "हम दो हामरे दो" का नारा समझती हैं वह कम बच्चे पैदा करती हैं चाहे लड़की हो या लड़का, उनकी अच्छी परवरिश करती हैं। इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं से सीख लेकर आज अनेक महिलाएं राजनीति संभाल रही हैं। यह सव्य है कि मीडिया से जुड़ने के बाद महिलाओं की छवि बड़ी तेजी से बदली है। टी.वी. के परदे पर वह एकदम नई छवि के साथ परोसी जाती हैं। घरेलू एवं नौकरीपेशा महिलाओं का जीवन जैसा दिखलाया जाता है, उसे आदर्श मान कर सभी महिलाएं समाज की प्रगति में मदद करती हैं।

शिक्षित महिलाओं का योगदान केवल शहारों तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है। गांव में भी पंचायतों के अध्यक्ष के जो भी पद हैं उनमें कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। शिक्षित महिलाएं अपना वोट बिना किसी दबाव में आकर समझदारी से देती हैं और सही नेताओं को सत्ता चलाने के लिये चुनती हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे मिस युनिवर्स में भाग लेकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। महिलाएं ऊंचे पद पर काम करके देश–विदेश जाकर समाज में मिलजुल कर रहने का संदेश फैलाती हैं।

प्रतिवर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाया जाता है। महिलाओं ने इस पुरुष प्रधान समाज में यह सिद्ध कर दिखाया है कि वे किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं हैं। वे हर क्षेत्र में आगे आईं हैं बात चाहे चांद पर जाने की हो अथवा समुद्री गोताखोरी की, घर में दायित्व निभाने की हो या सीमा पर सुरक्षा की। इंदिरा गांधी से लेकर तीजनबाई तक अरूंधती राय, कल्पना चावला, शुभा मुद्गल, पी.टी. ऊषा, बरखा दत्, किरण बेदी, करण्म मल्लेश्वरी जैसी लाखों महिलाएं हैं जिनकी पहचान उनके पति या पिता से नहीं बल्कि उनसे उनके पिता या पति की पहचान है। गांव की मुखिया तथा सरपंच के पद से लेकर देश की बागडोर तक शिक्षित महिलाओं ने बखूबी संभाली है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ सरकारी तथा निजी क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्वीकार किया गया है कि महिला शिक्षा का महत्व न केवल समानता के लिये जरूरी है अपितु सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक है। अतः महिलाओं के लिये पूर्णतः सुशिक्षित होना परमावश्यक है।

मानव विकास के इतिहास में महिलाओं ने श्रम विभाजन प द्वारा प्रत्येक पायदान पर पुरुषों का साथ देकर आगे कदम बढ़ाया है। सामाजिक–आर्थिक, ज्ञान–विज्ञान, कला–संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव विकास के ऐसे मापदंड, हैं जिनके बिना विकास की कल्पना करना कठिन है और अंततः सभी मापदंड, विकास के सभी वाद–विवाद नारी शिक्षा पर जा कर स्थिर हो जाते हैं क्योंकि जिस समाज में नारी शिक्षित है वहां विकास की गंगा बहती है इसके उदाहरण विश्व के सभी क्षेत्रों से लिए जा सकते हैं। अतः नारी शिक्षा ही समाज के विकास का आधार है।

अनुसूचित जाति के छात्रों की मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना के लिए 231.56 करोड़ रुपये जारी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों की केंद्र द्वारा प्रायोजित मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना के लिए 231.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। उत्तर प्रदेश को अधिकतम केंद्रीय सहायता यानि 50.98 करोड़ रुपये दिए गए हैं जहां इस योजना के अंतर्गत 5 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को कवर किया गया है। इसके बाद 26.76 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई है।

इस योजना के अंतर्गत देश में ही पंजीकृत संस्थानों के पंजीकृत मैट्रिक उपरांत पाठ्यक्रमों में शिक्षा लेने वाले तथा पत्राचार पाठ्यक्रम से पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तीय सहायता में भरण–पोषण भत्ते के तौर पर दी जाने वाली राशि 740 रुपये से लेकर 235 रुपये प्रति माह और डे–स्कॉलर को 330 रुपये से 140 रुपये प्रति माह तक की राशि भी शामिल है। इस छात्रवृत्ति में अनिवार्य गैर–हस्तांरणीय शुल्क की वापसी, मुद्रण शुल्क, शैक्षणिक यात्रा शुल्क, पत्राचार शिक्षा पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों के लिए पुस्तक भत्ते की व्यवस्था है और इस योजना के अंतर्गत कवर होने वाले अशक्त छात्रों के लिए इस स्कीम में विशेष प्रावधान है। वह सभी छात्र जिनके अभिभावकों/संरक्षकों की आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए योग्य है। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मूलभूत सुविधाएं

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दृष्टिकोण पत्र जिसे राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों से विचार–विमर्श करने के लिए तैयार किया गया है और जिसे सामान्य जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए योजना आयोग से वेबसाइट में डाल दिया गया है इसमें त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति के कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2009 तक कवर ना की गई 55,067 बस्तियों, 2.8 लाख पिछड़ गईं बस्तियों और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करके भारत निर्माण के अंतर्गत समस्त राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। स्वास्थ्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश सहित 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए उस ग्रामीण आबादी के प्रभावी स्वास्थ्य देख–रेख के प्रावधानों में अंतरालों के सदस्य का समाधान किए जाने की आशा है जहां कमजोर स्वास्थ्य संकेतक और कमजोर अवसंरचना है। एनआरएचएन के अंर्तगत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जमीनी वास्तविकताओं और अपेक्षताओं के सावधानी से विश्लेषण पर आधारित अपनी स्वयं की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करनी है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को आबंटित की जो वाली राशियां ग्यारहवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने से संबद्ध हैं।

महिला शिक्षा क्यों और कैसे? एक विवेचन

श्याम मनोहर व्यास

देश को प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ाने के लिये महिला शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की सार्थकता तभी सार्थक होगी जब महिला विकास के ठोस कार्यक्रम व्यावहारिक रूप से अपनाये जाये।

वर्ष 2001 ई. जनगणना का वर्ष रहा। भारत की कुल जनसंख्या 1 मार्च 2001 को 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख 15 हजार 247 हो गई। इसमें 53 करोड़ 12 लाख 77 हजार 78 पुरुष व 49 करोड़ 57 लाख 38 हजार 169 स्त्रियां थीं। यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या दर में काफी कमी आई है। सन् 1991 में यह 23.86 से सत्र 2001 में 21.34 पर आई है। इससे प्रकट होता है कि 2.52 प्रतिशत की गिरावट वृद्धि दर से हुई है जो एक अच्छा संकेत है।

आज सारे विश्व में बढ़ती जनसंख्या एक समस्या का रूप लेती जा रही है। सभी देश का वृद्धि को रोकने के उपायों में जुटे हैं। जनसंख्या वृद्धि से देश का विकास रूक जाता है। सन् 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 अरब को पार कर जाएगी व भारत की लगभग 2 अरब जनसंख्या हो जाएगी। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 70 लाख जनसंख्या गढ़ती है। भारत में विश्व की 16.7 प्रतिशत आबादी रहती है। महिला जागृति तथा महिला शिक्षा से ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

रूढ़िवादी परंपराओं के कारण महिला शिक्षा प्रगति नहीं कर पाती। कई संप्रांत परिवार भी बालिका के समान शिक्षा देने में भेदभाव करते हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के घरों में बालिकाओं को शिक्षा न देने का कारण घर की आर्थिक विपन्नता भी है। निर्धन परिवार की कई लड़कियां अपने जीविकोपार्जन के लिये घरेलू कार्य, मजदूरी आदि करने लगती है।

महिला शिक्षा के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालें तो पायेंगे कि वैदिक काल में नारी को शिक्षा देने का प्रावधान था। वे वेदपाठी होती थीं, यज्ञ कर्मकाण्ड में भाग लेती थी। गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, भारती आदि विदुषी महिलायें इस बात का प्रतीक है।

मुगलों के आक्रमण के बाद महिलाओं को शिक्षा देना बंद सा कर दिया गया, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों को महिला के सतीत्व (गरीमा) की रक्षा के लिये अपनाना पड़ा। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् महिला शिक्षा की प्रगति में काफी सुधार हुआ। एनीबेसेंट, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहनराय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि व्यक्तियों ने स्त्री–शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। बालक के विकास के लिये मां–बच्चे के भावनात्मक संबंधों की अहम् भूमिका है। मां संतान को बहुत कुछ सिखाती है, घर बालक की प्रथम पाठशाला है। संतान को सुसंस्कृत व शिक्षित बनाने के लिये महिला का पूर्ण रूप से मानसिक एवं भावनात्मक लगाव होना आवश्यक है।

इसके लिये महिलाओं में चेतना जागृत करने के लिये उन्हें शिक्षित करना अति आवश्यक है। विभिन्न संस्कृतियों, लोकाचारों, धर्मों, अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरणों, प्रशासन तंत्रों परंपराओं एव बच्चों के लालन–पालन में महिलाओं की उचित भागीदारी आवश्यक है। हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में महिलायें भी पुरुषों की तरह अपनी क्षमतायें प्रदर्शित कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य महिला व बाल विकास के कार्यक्रमों में सहायक सिद्ध होगा।

प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा की ओर पूरा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि 43.28 प्रतिशत बालकों की तुलना में 49.20 प्रतिशत बालिकायें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पहले विद्यालय छोड़ देती हैं। भारत के दस उत्तरी राज्यों में जहां देश की साठ प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निवास करती है, केवल 28 प्रतिशत बालिकायें ही पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका वर्ष एवं महिला वर्ष के कारण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उनका जीवन स्वावलंबी हुआ है।

महिलाओं को आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ने के लिये 'राष्ट्रीय महिला आयोग' तथा 'राज्य महिला आयोग' जैसे संगठनों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में आर्थिक सहायता की सुविधा प्रदान करता है। महिला अधिकारों की रक्षा के लिये ही सन् 1992 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना की गई। इसके साथ ही 'बालिका समृद्धि योजना' को सन् 1997 में प्रारंभ किया गया। प्रतिभाशाली बालिकाओं को आर्थिक सुविधायें प्रदान की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी महिलाओं और बच्चों के विकास के लिये शोध, अध्ययन कार्यशाला और सेमीनार आयोजित करता है। बालक–बालिकाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा तथा 'राष्ट्रीय बाल आयोग' की स्थापना का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा तक महिला शिक्षा में प्रगति आवश्यक है। केंद्र सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नकद भुगतान योजना पर भी विचार कर रही है। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाली बालिकाओं को एक निश्चित छात्रवृत्ति राशि देने का प्रस्ताव है।

समाज व देश के विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में भी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। एक शिक्षित मां ही अपने बच्चों को भविष्य सुधार सकती है। गांवों में सामान्यतः पांचवीं कक्षा के बाद लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाया जाता।

नई योजना से संभव है कि अर्थ लाभ के कारण अभिभावक अपनी बच्चियों को आगे और पढ़ावें। यह भी एक अहम प्रश्न है कि सरकारी स्कूलों में बालिकाओं की शिक्षा के लिये समुचित व्यवस्था हो। सुलभ शौचालय, पूरा स्टाफ, लायब्रेरी आदि की व्यवस्था हो। बैठने के लिये साफ सुथरी जगह हो। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार व समाज दोनों की है। 18 वर्ष तक अविवाहित रहने वाली लड़कियों को भी एकमुश्त नकद राशि देने का भी प्रस्ताव है। इससे बाल विवाह पर भी रोक लगेगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में महिला व बाल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(लेखक पूर्व शिक्षा उपनिदेशक एवं प्राचार्य डाइट हैं)

शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति

के.के.खुल्लर

सरकार द्वारा चलाए जा रहे आठ प्रमुख कार्यक्रमों में से दो कार्यक्रम "सर्व शिक्षा अभियान" और "दोपहर का भोजन कार्यक्रम" सीधे–सीधे शिक्षा से संबंधित है जबकि शेष छह में से 'समेकित बाल विकास सेवाएं, पेयजल मिशन' और 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' का भी कुछ–कुछ असर शिक्षा पर पड़ता है। इसलिए शिक्षा को ठीक ही विकास की सीढ़ी परिवर्तन का माध्यम और आशा का अग्रदूत कहा जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया मुख्य कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए समुदाय के सहयोग से स्कूली शिक्षा प्रणाली के काम काज में सुधार लाना है। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है और पूरे देश में लागू है। इसका उद्देश्य सन् 2010 तक पूरे देश में संबंधित आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है लड़के–लड़की की शिक्षा में अथवा समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों में शिक्षा के भेदभाव को समाप्त करना है। इसलिए इस कार्यक्रम के तहत उन बस्तियों में स्कूल खोलने पर जोर देना हैं जहां स्कूल नहीं है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा देने और लड़कियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

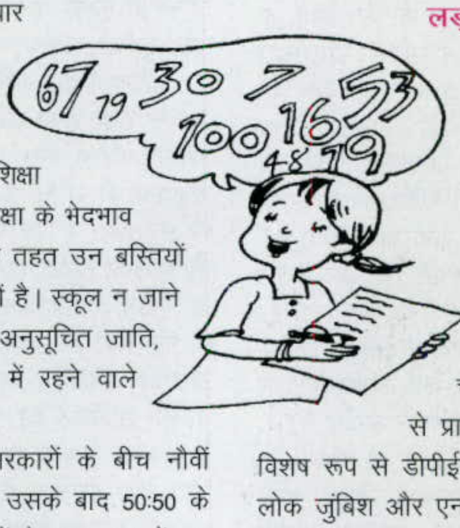

इस कार्यक्रम पर खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नौवीं योजना में 85:15, दसवीं योजना में 75:25 और उसके बाद 50:50 के अनुपात से करने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों ने 2005–06 में नए स्कूल खोले जाने, नए शिक्षकों की नियुक्ति और कक्षाओं ने नए कमरे बनवाए जाने में उल्लेखनीय प्रगति की सूचना दी है। जब 2001 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया तो स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 3 करोड़ 90 लाख थी। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार 2005 के अंत तक यह संख्या घटकर एक करोड़ रह गई। इसे देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि को 2005–06 में 7156 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006–07 में 10,041 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके तहत कक्षाओं के पांच लाख और कमरे बनाए जाएंगे तथा डेढ़ लाख और अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। स्वयंसेवी संगठनों को शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता मुहैया की जाएगी।

शिक्षा गारंटी योजना

शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (एआईई) सर्व शिक्षा अभियान का अंग है इन्हें उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण अथवा दूर दराज के क्षेत्रों में रहने के कारण गरीबी या अन्य सामाजिक और आर्थिक कारणों से कभी स्कूल नहीं जा सके। इन योजनाओं की रणनीतियां इस प्रकार हैं–

- स्कूल केवल उन क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहां स्कूल नहीं हैं।
- ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाया जाएगा।
- स्कूल जाना फिर से शुरू करवाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे।
- तंग बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए केंद्र खोले जाएंगे।
- उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा जिन्हें पढ़ाने के लिए लचीली और अभिनव पद्धतियों की जरूरत है।

लड़कियों के लिए विशेष कार्यक्रम

लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष स्कूल हैं। इसके लिए दसवीं योजना में 104.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनके पीछे मंशा यह है कि यदि बच्चा स्कूल नहीं जाता तो स्कूल को बच्चे के पास जाना चाहिए। 2006–07 में कम से कम एक करोड़ बच्चों को शिक्षा दी जानी है। यह कहा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान इससे पहले चलाए गए प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है, विशेष रूप से डीपीईपी (जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम) शिक्षा कर्मी, लोक जुंबिश और एनएफई (गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम) डीपीईपी विदेशों से प्राप्त सहायता पर चलने वाला कार्यक्रम है। इसके तहत दो लाख प्रारंभिक स्कूल खोले गए हैं और 84,000 वैकल्पिक स्कूलिंग सेंटर शुरू किए गए हैं। इससे 35 लाख बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा विभिन्न ब्रिज पाठ्क्रमों से भी 20 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डीपीईपी विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए बनाया गया था और विकलांगता को ध्यान में रखते हुए छह लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था इसमें बच्चों को एक मैत्रीपूर्ण माहौल में रोचक ढंग से शिक्षा दी जाती है।

विश्व का सबसे बड़ा दोपहर का भोजन कार्यक्रम

प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए दोपहर का भोजन कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक स्तर के 6–14 वर्ष तक के बच्चों का स्कूलों में दाखिला बढ़ाने और उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनके पोषाहार के स्तर में सुधार करना भी है। इस समय 12 करोड़ बच्चों को

इस योजना से लाभ पहुंच रहा है। पिछले वर्ष इसके लिए 3010 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे वर्तमान वर्ष में बढ़ाकर 4813 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गेहूं और चावल दोनों केंद्र सरकार द्वारा 100 ग्राम प्रति बच्चे की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। भोजन को तैयार करने और परोसने की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। इस योजना के शानदार परिणाम आ रहे हैं। न केवल दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है बल्कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी कम हुई है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कई गतिविधियों का पिटारा है जिनमें साक्षरता, गिनती सीखना, पोषाहार, स्वास्थ्य की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदि शामिल हैं जिन्हें सीखकर व्यक्ति आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और भारतीय होने का गर्व जैसी भावनाओं से भर जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को एक सीखने वाले और कमाने वाले समाज के रूप में बदलना है। यह कार्यक्रम क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है, इसमें लोगों का योगदान रहता है, स्वयंसेवी है, इस पर लागत कम से कम रहती है और परिणामोन्मुखी है। इसकी रणनीति पूरे देश को साक्षर बनाना है और इसमें जिले को आधार बनाया जा रहा है। इसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 18 वर्ष पहले शुरू किया था और 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में निरक्षरता दूर करने में पिछले कुछ वर्षों में इसके शानदार परिणाम भी सामने आए हैं। इस आयु वर्ग से ऊपर की उम्र के लोग भी इस कार्यक्रम के पात्र हैं। पाठ्यक्रम में साक्षरता, गिनती सीखना और उन्हें उपयोग में लाना शामिल है। इस कार्यक्रम की अवधि 24 महीने हैं जिसमें 200 घंटे तक सिखाने का कार्यक्रम होता है। यह साक्षरता प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे सस्ता कार्यक्रम है। इसे पूरा करने के बाद शिक्षार्थी समाचार पत्र पढ़ लेता है, 20 शब्द प्रति मिनट की दर से लिख लेता है, 5–7 शब्द एक साथ सुनकर लिख लेता है, सौ तक गिन लेता है, जमा, घटा, गुणा, भाग कर लेता है। कोई सीधा सादा फार्म भर लेता है और मनीआर्डर भेज सकता है। सभी शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है। पढ़ाने में कठपुतली का नाच, नाटक, संगीत आदि की सहायता भी ली जाती है।

पिछले दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरों के बीच साक्षरता का अंतर कम हुआ है। पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच अंतर भी घटा है। 2001 की जनगणना के अनुसार 65.3 प्रतिशत साक्षरता के साथ भारत में सबसे ज्यादा साक्षर जनसंख्या है और विश्व में सबसे ज्यादा स्नातक भारत में है। सरकार इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कम साक्षरता वाले राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इनके लिए शिक्षा हेतु आबंटन, विशेष के लिए आबंटन, बढ़ा दिया गया है।

कार्यक्रम का असर

प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिलों में वृद्धि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का सफलता का द्योतक है। वह दादा जो कल तक अपनी पोती को स्कूल भेजने के खिलाफ था अब उसे स्कूल के लिए जल्दी करने को कहता है ताकि उसका कोई पाठ छूट न जाए। दादी को आज अपनी पोती के दहेज की चिंता नहीं क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा दहेज है। आज ग्रामीण महिलाएं शिक्षित होना चाहती हैं। 'महिला समाख्या' योजना ने महिलाओं में ऐसी जागरूकता पैदा की है कि अब वे नशाखोरी, बहुविवाह, देवदासी प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध कर रही हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का संदेश यह है कि देश की दौलत देश के बैंकों में नहीं, बल्कि उसके स्कूल में है। हालत यह है कि वह लड़का जो पहले स्कूल के बाहर बैठकर मूंगफली बेचा करता था अब उस स्कूल का विद्यार्थी है और वह लड़की जो पहले स्कूल बंद होने के बाद उसके शौचालय साफ करती थी अब संध्या की पारी में उसे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करती है। वह वृद्ध व्यक्ति जो केवल स्कूल में घंटी बजाया करता था अब स्कूल में चौकीदारी भी करता है और अखबार वगैरह पढ़ लेता है तथा चिट्ठी भी लिख लेता है।

सामाजिक न्याय

समाज के कमजोर वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्तियां हैं। 2006 में एक नई योजना 'राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप' शुरू की गई। इसके अंतर्गत यूजीसी के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के 1333 छात्रों को प्रतिवर्ष एम.फिल और पीएचडी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। पहली बार विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति जारी की गई है जो विकलांगों को अधिकार संपन्न बनाने की ओर एक बढ़ा कदम है। विकलांगों के पुनर्वास के लिए एक और पहल की गई है। 24 घंटे उपलब्ध एक निःशुल्क टेलीफोन सेवा दिल्ली और मुंबई में शुरू की गई है जिससे विकलांगों को सहायता उपलब्ध होगी।

संक्षेप में, देश एक ऐसे दौर की ओर कदम बढ़ा रहा है जहां सभी पढ़े लिखे होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्कूल न जाता हो, कोई प्रौढ़ निरक्षर नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, बलवान लोग न्यायशील होंगे, जहां स्त्री–पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, सभी बराबर होंगे।

(लेखक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्व निदेशक हैं)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा

एम.एल. धर

इस सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। इसमें केवल प्राथमिक या मैट्रिक स्तर की शिक्षा ही शामिल नहीं है, बल्कि उच्च स्तर की शिक्षा भी शामिल है। हम एक ऐसे नए विश्व में रह रहे हैं, जहां उन्नत प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित शक्ति का बोलबाला है। आधुनिक और अत्यंत स्पर्धाशील विश्व की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए केवल शिक्षा का होना जरूरी नहीं, बल्कि एक अच्छे स्तर की शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना

भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहा है। यह समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के बिना संभव नहीं है। समाज के सभी वर्गों के लिए और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा को सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। समाज के पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए नियोजित तरीके से प्रयास किए गए हैं। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्रों को अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन प्रयासों में अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना भी शामिल है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है।

अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना इन जातियों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का एक नियोजित प्रयास है। ऐसे छात्रों को विदेशों में इंजीनियरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर के विशिष्ट पाठ्यक्रमों, पीएचडी और पीएचडी स्तर के बाद के शोध कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते यह योजना 1954–55 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष मंत्रालय द्वारा 20 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए, दो छात्रवृत्तियां अनधिसूचित, घुमंतु (खानाबदोश) और अर्द्ध–घुमंतु जनजातियों के लिए और एक छात्रवृत्ति भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों के परिवारों से संबंधित छात्र के लिए है। इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों के छात्रों को उन विषयों में विदेशों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिनके लिए भारत में सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्योंकि विदेश में यह अध्ययन बहुत ही खर्चीले हैं और यह ऐसे छात्रों के बस की बात नहीं है, इसलिए योजना में इनके लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है।

अर्हता शर्तें

जो छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं उनके पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए इसके उपयुक्त स्नातक डिग्री में प्रथम श्रेणी या 60 प्रतिशत अंक या इसके समान ग्रेड होना चाहिए। इसी प्रकार पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर डिग्री में ऐसे ही अंक होने चाहिए और पीएचडी के बाद के अध्ययन के लिए 2 से 5 वर्ष का शोध कार्य/शिक्षण अनुभव/व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए और सभी साधनों से उसकी आय (यदि माता–पिता पर निर्भर हैं तो माता–पिता की आय) 18,000 रुपए मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक ही माता–पिता/अविभावक के केवल एक बच्चे को ही छात्रवृत्ति दी जा सकती है और यह छात्रवृत्ति केवल एक ही बार मिलती है।

छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति के अंतर्गत, शिक्षा संस्थानों द्वारा ली जाने वाली पूरी फीस, 8,200 अमरीकी डॉलर के बराबर वार्षिक रख–रखाव भत्ता, 500 अमरीकी डॉलर वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आने–जाने का विमान किराया, स्थानीय यात्रा व्यय, उपकरण व्यय, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, वीजा शुल्क आदि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए तीन वर्ष तक आर्थिक सहायता दी जाती है जबकि पीएचडी के बाद शोध कार्य के लिए यह सहायता एक से डेढ़ वर्ष के लिए दी जाती है।

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखी जाती है। अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन के उत्तर में जो आवेदन प्राप्त होते हैं उनकी जांच और सूची बनाने का कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक जांच समिति द्वारा किया जाता है। इस जांच समिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से एक शिक्षाविद् होता है। जांच समिति का कार्य निर्धारित मानदंडों के अनुरूप प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता/अर्हता निश्चित करना है। सूची में शामिल उम्मीदवारों को फिर मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक चयन समिति के सामने साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यह चयन समिति संबद्ध पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन करती है।

उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष रूप से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, चयन समिति के अध्यक्ष को नामांकित करते हैं, जो या तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक होता है या अपने क्षेत्र का शिक्षाविद् होता है। इसके अलावा चयन समिति में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के विशेषज्ञ होते हैं। यह समिति पूरी तरह से एक विद्वद् समिति होती है, जो उम्मीदवारों के व्यक्तिगत साक्षात्कार लेती है। मंत्रालय का कोई भी अधिकारी चयन समिति का सदस्य नहीं होता।

ऐसा आरोप लगाया जाता है कि चयन प्रक्रिया में एक वर्ष से

अधिक समय लग जाता है और इस प्रकार छात्र का पढ़ाई का एक पूरा वर्ष बर्बाद हो जाता है। इस योजना के ठीक तरह से न चलने का यह भी एक कारण बताया जाता है। मंत्रालय ने अब चयन प्रक्रिया को 6 महीने के अंदर पूरा करने का फैसला किया है, जिसके लिए चयन समिति की नियुक्ति भी उसी समय कर दी जाती है, जब जांच समिति आवेदनों की जांच करती है। पिछले दो वर्षों के दौरान चयन प्रक्रिया लगभग 4 महीनों में ही पूरी कर ली गई

चुने गए उम्मीदवार अपनी पसंद के किसी भी ऐसे देश की प्रसिद्ध संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में अपना अध्ययन कार्य कर सकते हैं, जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं, पर इसके लिए उम्मीदवारों को योजना में उल्लिखित अध्ययन के कार्यक्रमों और इनसे संबंधित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए प्रयास स्वयं ही करने पड़ते हैं।

मार्गदर्शन कार्यशाला

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जून, 2006 में एक मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त उम्मीदवारों को विदेशों के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाने में सहायता देने के लिए जानकारी प्रदान की। यह अपनी किस्म की पहली कार्यशाला थी, जिसमें उन सभी उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनके लिए पिछले दो वर्ष के दौरान विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां मंजूर की गई थीं। इनमें से 3 उम्मीदवार अब तक विदेश जा चुके हैं और उन्हें अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल गया है, जबकि 8 उम्मीदवारों को अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और जर्मनी के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला है। बाकी के उम्मीदवारों के पास योजना के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने का तीन वर्ष का समय है, लेकिन मंत्रालय की कोशिश है कि उन्हें भी जल्द से जल्द प्रवेश मिल जाए।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि

वर्ष 2004–05 तक 792 उम्मीदवार छात्रवृत्ति के लिए चुने गए, जिनमें से 548 उम्मीदवारों ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है। 1998–99 में 128 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 13 आवेदन महिला उम्मीदवारों के थे, लेकिन 19 उम्मीदवारों की अंतिम सूची में केवल दो महिलाएं ही स्थान प्राप्त कर सकीं। वर्ष 2004–05 में 82 उम्मीदवारों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। इनमें 14 महिलाएं थीं और 4 महिलाओं को छात्रवृत्ति के लिए चुना गया। लेकिन फिर भी महिला उम्मीदवारों की संख्या कम है। इसका कारण कुछ हद तक यह भी हो सकता है कि कृषि, चिकित्सा और भारतीय विद्याओं के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं। ऐसी मांग की जा रही है कि विदेशों में अध्ययन के विषयों को व्यापक बनाकर इनमें चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन के लिए जाना चाहती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि योजना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए मंत्रालय कुछ उपायों पर विचार कर रहा है।

यह योजना विदेश मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से लागू की जाती है और सभी भुगतान विदेशों में राजनयिक मिशनों के जरिए किए जाते हैं। पिछले 20 वर्षों (1986–87 से 2005–06 तक) के दौरान इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई थी, जिसमें से 27 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि का उपयोग किया गया। हालांकि वर्ष 1995–96, 1997–98 और 2001 से 2004 तक यह योजना लागू नहीं की गई, फिर भी पहले की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इस दौरान 8.96 करोड़ रुपए की राशि रखी गई।

प्रतिभा का विकास

छात्रवृत्ति योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस योजना के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों के ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाशाली छात्र, छात्रवृत्तियों का फायदा उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। उनके बढ़िया शिक्षा परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि प्रतिभा कोई प्राकृतिक देन नहीं है, बल्कि परिस्थितियों से विकसित होती है और इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहां अनुसूचित जातियों और जनजातियों के युवाओं को प्रतिभाशाली बनने का मौका मिले। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मीरा कुमार और देश के कई अन्य विद्वानों के जो उद्योग क्षेत्र से भी संबंधित हैं, ऐसे ही विचार हैं। पिछले वर्ष के छात्रवृत्ति करने वाले उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए श्रीमती कुमार ने कहा – मेरा हमेशा से यही मत रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए या समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति के लिए यह प्रतिभा या योग्यता का कम होने का सवाल नहीं है, बल्कि केवल अवसर न मिलने का सवाल है।

अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना एक छोटा, परंतु महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे अनुसूचित जातियों और समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समाज के पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के साथ सदियों तक अन्याय हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है तथा उन्हें वंचित रखा गया है। उच्च शिक्षा की तो बात ही क्या कहें, यहां तक कि शिक्षा का बुनियादी अधिकार भी उन्हें नहीं दिया जाता था।

(लेखक पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में निदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं)

शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण

जयंती कुमार दास ने अपनी उपलब्धियों से उड़ीसा और अपने समुदाय का गौरव बढ़ाया है। एक भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार से संबंध रखने के बावजूद उन्हें डॉक्टर की उपाधि के उपरांत अग्रिम शोधात्मक अध्ययन के लिए विदेशी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है।

यह छात्रवृत्ति उन्हें, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रदान की है। एक से डेढ़ वर्ष के दौरान डॉ. साहू को डाक्टर की उपाधि के बाद शोध कार्यों के लिए, जो 15–20 लाख रुपये खर्च होंगे वह सब मंत्रालय वहन करेगा। इसमें पूरी फीस, 5200 पौंड प्रति वर्ष का साधारण भत्ता, आने–जाने का विमान किराया, 400 पौंड प्रतिवर्ष का आकस्मिक व्यय, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, उपकरण भत्ता, स्थानीय यात्रा व्यय आदि सम्मिलित है।

उत्कल विश्वविद्यालय से वनस्पतिशास्त्र में पीएचडी (डाक्टर ऑफ फिलासफी) की उपाधि प्राप्त 35 वर्षीय डॉ. जयंती दास 1998 से उड़ीसा के बारगढ़ के एक डिग्री कॉलेज में काम करते रहे हैं। वे हंगरी के तेमेस्वरी स्थित जैव–भौतिकी संस्थान, जीव वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में डॉक्टर की उपाधि उपरांत शोध कार्य करेंगे। उनके शोध का विषय है–स्टैबिलाइजेशन ऑफ स्यानोथीस स्पे. वाई सेल ट्रैपमैंट एंड इट्स बायोटेक्नोलाजिकल इम्प्लीकेशंस। उनका यह शोध कार्य, प्राकृतिक रूप से धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नाइट्रोजन की कोशिकाओं के महत्व को स्थापित करने में विशेष योगदान देगा। डॉ. साहू के शोध पत्र (आलेख) अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत, अनुसूचित जाति के छात्रों के विदेश अध्ययन पर ढाई करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2005–06 में इस योजना में 20 अनुसूचित जाति छात्र चुने गये थे।

सामाजिक विकास

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, विकलांगों, वयोवृद्ध लोगों और अत्याचारों के शिकार लोगों जैसे समाज के त्रस्त लोगों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करना जारी रखा है। समाज के कमजोर और सताये हुए लोगों के कल्याण पर वर्ष 2005–06 में 15 अरब 96 करोड़ 92 लाख रुपये का कुल व्यय हुआ जो वर्ष 2003–04 के दौरान खर्च हुई 11 अरब 82 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि से 35 प्रतिशत से अधिक था।

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और सामाजिक विकास पर पिछले दो वर्षों में 21 अरब 4 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किये गये। दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में खर्च की राशि से यह राशि 4 अरब 35 करोड़ 84 लाख रुपये अधिक है।

पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

अनुसूचित जातियों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 49 लाख विद्यार्थियों को 10 अरब 20 करोड़ 23 लाख रुपये के वजीफे दिये जा चुके हैं। इस योजना के तहत व्यय की जाने वाली राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2003–04 की अवधि में इस योजना पर 2 अरब 64 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च किये गये थे, जो वर्ष 2005–06 के

दौरान बढ़कर 5 अरब 48 करोड़ 10 लाख रुपये हो गये। इस प्रकार दो वर्षों की अवधि में इस योजना की व्यय राशि में 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अस्वच्छ धंधों में लगे करीब 11 लाख 49 हजार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 20 करोड़ 68 लाख रुपये की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां वितरित की गयी है।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना एम. फिल और पी.एच.डी. की पढ़ाई के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नमूने के अनुसार छात्रवृत्ति देने हेतु शुरू की गयी राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति नाम की एक नयी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2005–06 और 2006–07 के दौरान प्रत्येक वर्ष 1333 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा। इस योजना का कार्यान्वयन यूजीसी कर रहा है। विज्ञान, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, कला और साहित्य, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिये दी जाती है। भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल. और पी.एच.डी. में पंजीकृत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वरीयता दी जायेगी।

कॉल सेंटर प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु कोचिंग एवं संबंधित सहायता योजना के तहत मंत्रालय ने काल सेंटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। निजी क्षेत्र की दो प्रमुख आईटी संस्थाओं – एन आई आई टी लि. और ऐपटेक लि. को अंग्रेजी भाषा संभाषण, लेखाकार्य, कम्प्यूटर का परिचयात्मक प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया है। इस प्रशिक्षण सुविधा का लाभ प्रति वर्ष 2880 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को मिलेगा।

उच्च कोटि की शिक्षा

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा नाम से एक और योजना शुरू की गयी है, जिससे 1250 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए प्रबंधन, इंजीनियरी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों की उच्च कोटि की 120 संस्थाओं की पहचान इस उद्देश्य के लिये की गयी है।

ओजोन नहीं तो जीवन नहीं

राकेश शर्मा

पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक दिनों में यहां पर पराबैंगनी किरणों (अल्ट्रा वायलट) की बरसात होती थी। इसलिए पृथ्वी पर जीवन असंभव था। उस समय वायुमंडल में आक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी। समय बीतने के साथ–साथ आक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और यह अल्ट्रा वायलट किरणें आक्सीजन को ओजोन में बदलने लगी। पृथ्वी के चारों ओ स्थित समतापमंडल (स्ट्रैटोस्फीयर) में अरबों टन ओजोन गैस जमा हो चुकी है। यदि यह न हो तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर मनुष्य, पशु, पक्षी समाप्त हो सकते हैं। मानव के लिए औद्योतिक क्रांति जहां एक और वरदान साबित हुई है, वहीं दूसरी और यह उनके विनाश का कारण बनी हुई है। ओजोन परत के तेजी से हो रहे क्षरण के फलस्वरूप मानव जीवन के अस्तित्व के खतरे को लेकर पूरा विश्व चिंतित है।

ओजोन है क्या?

ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस है। यह आक्सीजन के तीन परमाणुओं का यौगिक है। वातावरण के ऊपरी भाग में सूर्य की उच्च घनत्व वाली पराबैंगनी किरणों से क्रिया करके आक्सीजन के से तीनों परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं। यह गैस एटमॉस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रैटोस्फीयर में एक समान रूप में पायी जाती है। ओजोन परत जमीन से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊचाई के बीच स्ट्रैटोस्फीयर में पायी जाती है। इस ऊंचाई पर वायु में ओजोन का अनुपात पृथ्वी के वातावरण में पाये गए अनुपात से अधिक होता है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी–बी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। सूर्य की किरणों के अदृश्य भाग में अत्यधिक ऊर्जा वाली पराबैंगनी–सी (200–280 नैनोमीटर), पराबैंगनी–बी (280–320 नैनोमीटर) तथा पराबैंगनी–ए (320–400 नैनोमीटर) किरणें होती हैं। पराबैंगनी बी और सी जीवन के लिए खतरनाक है। स्ट्रैटोस्फीयर में स्थिति ओजोन परत पराबैगनी–सी का अधिकांश भाग रोक देती है और केवल 2–3 प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है।

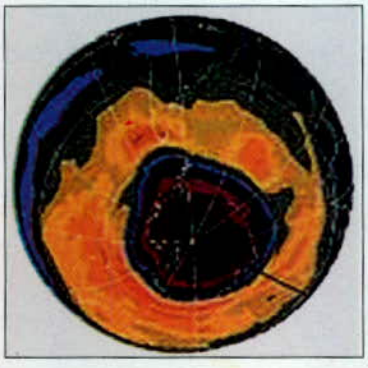

ओजान परत में अगर कोई क्षति पहुंचती है तो पृथ्वी की सतह पर परागैगनी बी और सी का अधिक किरणें पहुंचेगी, जिसके परिणाम भयंकर होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओजोन परत के नष्ट होने से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की बढ़ती मात्रा के कारण धरती वीरान और बंजर हो सकती है। यह विकिरण वर्षा, वृक्ष–वनस्पतियों से लेकर जीव–जन्तुओं तक को समान रूप से हानि पहुंचाती है। मनुष्य में इससे आंख की बीमारियां व कैंसर जैसे असाध्य रोग से लेकर अंधेपन तक की स्थिति आ सकती है। इसके सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों में त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। इस किरण की मारक क्षमता कितनी अपार है, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि समुद्र तल की वनस्पतियों को भी यह प्रभावित कर देगी। मौसम वैज्ञानिकों का यहां तक कहना है कि इससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाएगा, जिससे बर्फ पिघलने लग जाएगी और समुद्री जलस्तर बढ़ने से जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ओजोन परत अपने आप बनती और बिगड़ती है। यह एक सतत् नियम है। इससे ओजोन का संतुलन बना रहता है।

क्षति का कारण

औद्योगिक युग की शुरूआत से ओजोन परत की क्षति प्रक्रिया भी शुरू हुई। सर्वप्रथम, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के दो रसायनशास्त्री मारियो मोलाइना तथा रोअरवुड रोलेंड ने क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) नामक रसायन की खोज की थी। उनहोने पता लगाया था कि ओजोन जैसे धरती के रक्षा कवच को सर्वाधिक हानि पहुंचने वाला यही पदार्थ है। परन्तु अमरीका ने सबसे पहले इस रसायन का प्रयोग एयर कंडीशनरों, रेफ्रीजरेटरों जैसे विलासिता के अत्याधुनिक यंत्रों के निर्माण में किया। बाद में अन्य पश्चिमी देशों इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस– ने भी इसका अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया।

मनुष्य के कुछ क्रिया–कलापों के फलस्वरूप निकलने वाले रसायन ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं। इन रसायनों को ओजोन क्षरण पदार्थ (ओ.डी.एस.) कहते हैं। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों और प्रशीतन उपकरणों के अतिरिक्त छिड़काव / दाबीकृत प्रसाधनों और स्वास्थ्य उत्पादों, फोम के निर्माण, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों और लदान पूर्व प्रक्रियाओं मे भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुपरसोनिक विमान उस ऊंचाई पर उड़ते हैं जो सुरक्षात्मक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इंजन के उच्च तापमान के कारण, नाइट्रोजन और आक्सीजन मिलकर नाइट्रिक आक्साइड बनाते हैं, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। होमोफ्लुरोकार्बन (हैलोन) रसायन पदार्थ जो आग बुझाने में काम आता है तथ मिथाइल ब्रोमाइड भी ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ट्राइक्लोरेथेन दो अन्य रसायन हैं, जिनमें क्लोरीन पाया जाता है, जो काफी हद तक निष्क्रिय अवस्था में स्ट्रैटोस्फीयर में पहुंच जाता है, जहां पर यह ओजोन परत को हानि पहुंचा सकता है।

बचाने के प्रयास

ओजोन परत बचाने की शुरूआत 1972 में स्टॉकहोम में हुए प्रथम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन से हुई। इस सम्मेलन में सैकड़ों सुपरसोनिक विमानों द्वारा ओजोन परत को होने वाली क्षति पर ध्यान

देने का निर्णय लिया गया। ओजोन परत की क्षति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली कार्यवाही के रूप में वर्ष 1977 में वाशिंगटन में 32 देशों की एक बैठक हुई, जिसमें ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना को अपनाया गया। अंटार्कटिका के ऊपर स्थिति ओजोन परत की भारी क्षति के बारे में जानकारी 1985 के वियना सम्मेलन में दी गई। इस सम्मेलन में निर्णय किया गया था कि विश्व के सब देश ओजोन पर रसायनों का प्रभाव तथ इसके मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की सूचना का आदान–प्रदान करेंगे।

ओजोन परत को बचाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कनाडा के शहर मांट्रियल में सितम्बर 1987 में हुआ। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों में 1990 में विकासशील देशों को आश्वस्त करने के लिए संशोधन किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि ओजोन को नष्ट करने वाली गैसों का प्रयोग बंद कर दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्पादन और प्रयोग विकासशील देश धीरे–धीरे, परन्तु विकसित देश जल्दी बंद कर दें। इस सम्मेलन में ओजोन के लिए खतरनाक गैसों के स्थान पर दूसरी निरापद गैसों के प्रयोग के लिए विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी। इसके बाद 1992 में डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में हुए एक समझौते में ओजोन को नष्ट करने वाली गैसों को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की बात कही गई थी।

भारत ने इस समझौते पर 1992 में हस्ताक्षर किये। भारत के दबाव के कारण इसमें एक अनुच्छेद 5 जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार ओजोन हानिकारक पदार्थों के प्रति व्यक्ति 300 ग्राम से कम खपत वाले देशों में इन पदार्थों के प्रयोग को बंद करने तथा तकनीकी हस्तांतरण के व्यय को विकसित देशों द्वारा वहन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को निर्देश जारी कर ओ.डी.एस. तकनीक वाले नए उद्योगों को वित्तीय सहायता देने पर रोक लगा दी है। ओडीएस के आयात और निर्यात को नियमित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई। मांटिरोयल संधि का पालन सुनिश्चित करने व कानूनी सुविधा प्रदान करने के लिए ओडीएस नियमन एवं नियंत्रण नियम, 2000 भी अधिसूचित किया गया है। इस नियम के अंतर्गत कुछ आवश्यक दवाइयों के उत्पादन को छोड़कर विभिन्न उत्पादों में पहली जनवरी, 2003 के बाद भी सीएफसी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी।

ओजोन परत का छेद अंटार्कटिका के ऊपर स्थिति है। यह सामान्यतः सितम्बर और अक्तूबर के दौरान बढत्रता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखे हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जनवरी 1995 को एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें ओजोन की छीजती परत की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने और इससे सुरक्षित बनाए दखने तथा जन–सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 16 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1987 में ओजोन के छीजने के लिए जिम्मेदार पदार्थों को धीरे–धीरे समाप्त करने वाली मांट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शनिवार 16 सितंबर 1995 को विश्व भर में पहला ओजोन दिवस मनाया गया था। परन्तु मात्र ओजोन परत दिस मनाने से ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास नहीं कहलाए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है विकासशील, विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संघों के बीच आपसी तालमेल की, तभी हमें इस कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है।

अल्पसंख्यकों के लिए पंद्रह सूत्री कार्यक्रम

सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को अंमिम रूप देकर मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें उर्दू पढ़ाने के लिए और अधिक संसाधनों का प्रावधान है। कार्यक्रम परंपरागत शिक्षा के आधुनिकीकरण, अपसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां/वजीफे, शैक्षिक ढांचे में सुधार और समंवित बाल विकास सेवाओं की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्धेश्य शहरों तथा ग्रामीण गरीबों के लिए तैयार की गई स्व–रोजगार तथा दिहाड़ी रोजगार योजनाओं सहित अन्य स्कीमों में अल्पसंख्यकों को बराबर का हिस्सा देना है। इसमें तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास, आर्थिक कार्यों के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता, सरकारी सेवाओं में भर्ती आदि की भी व्यवस्था है। इसमें ग्रामीण आवास योजनाओं में इनकी समान भागीदारी के प्रावधान के जरिए गांवों में अहल्पसंख्यकों की जीवन शैली में सुधार करने और शहरी क्षेत्रों में भी उनकी जीवन शैली में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं। सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने तथा सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण और रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाने और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास को भी इस कार्यक्रम में प्राथमिकता दी गई है।

अल्पसंख्यकों को सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के लाभ समान रूप से मिलें, इस कार्यक्रमों में यह व्यवस्था है कि जहां कहीं संभव हों, कार्यक्रम में शामिल योजनाओं के 15 प्रतिशत लक्ष्य और परिणाम अल्पसंख्यकों के लिए नियत किए जाएं। अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित फायदे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित हैं। इस कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी पर अधिक बल दिया गया है। सचिवों की समिति, इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लक्ष्यों के संबंध में प्रत्येक छमाही में एक बार इसकी प्रगति की समीक्षा करेगी और स्थिति से केंद्रीय मंत्रिमंडल को अवगत कराएगी।

ओजोन परत में क्षति

अभिनय कुमार शर्मा

ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां मनुष्य का जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी चारों और से एक वायुमंडलीय कवच से घिरी हुई है।

वायुमंडल ठोस, द्रव व गैस के कणों से मिलकर बना है। यह वायुमंडलीय कवच ऐसा आवरण है, जो दिन में सूर्य की तेज किरणों से हमारी रक्षा और रात में पृथ्वी को अधिक ठंडी होने से बचाता है। वायमुडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन 78 प्रतिशत, 16 प्रतिशत आक्सीजन, 0.03 प्रतिशत कार्बन डाई आक्साइड है। इसके अतिरिक्त अन्य गैसों में नियान, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस आक्साइड आदि भी अल्प मात्रा में उपस्थित है। वायमंडल को चार भागों– ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिसोस्फीयर व थर्मोस्फीयर में विभाजित है।

ओजोन एक सक्रिय हल्के नीले रंग की वायुमंडलीय गैस है जो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में प्राकृतिक रूप से बनती है। ये आक्सीजन का ही एक रूप है। ओजोन के एक अणु में आक्सीजन के तीन परमाणु होते हैं। वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में कम है। यह धुंआ व हवा में व्याप्त दूसरे कार्बनिक पदार्थों से शीघ्रता से क्रिया करती है। इसकी खोज सन् 1939 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिस्चियन श्योनबाइन ने की।

ओजोन पृथ्वी के वातावरण में कुछ ऊंचाई पर एक परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कहने का तात्पर्य है कि ओजोन परत हमारे लिए सूर्य की किरणों को छान दती है। हमें उपयोगी धूप प्राप्त होती है। इस तरह ओजोन परत के निरंतरता मे रहने से समस्त जीव–'जन्तु व पेड़–पौधे सूर्य की तेज किरणों से झुलसने से बच जाते हैं। अतः हम सोच सकते हैं कि यदि ये परत निरंतर क्षय होती रही, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आयेंगी जिसके गंभीर परिणाम होंगे। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के सीधे धरती पर आने से मनुष्यों में त्वचा के रोग व आंख की बीमारियों का खतरा बढ़ जायेगा। इसके साथ–साथ डी.एन.ए. में अवांछित विकार उत्पन्न होने से मानव शिशुओं में विकलांगता हो सकती है। पेड़ पौधों पर सूर्य की तेज किरणों का असर विशेष रूप से पत्तियों पर पड़ेगा। जिसके परिणामस्वरूप पत्तियों का आकार छोटा होगा व बीज के अंकुरण होने में अधिक समय लगेगा। इसके अतिरिक्त जल–जगत की खाद्य श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जायेगा।

प्रकृति ने स्वयं ही वायुमंडल में समस्त गैसों का एक उचित संतुलन बना रखा है। ओजोन का अपने आप ही विभिन्न गैसों द्वारा नाश उचित स्तर पर होता रहता है। लेकिन आज वर्तमान समय में मानव द्वारा खोजे गये रसायनों के वायुमंडल में पहुंचने से प्रकृति का ये संतुलन बिगड़ गया है जिससे ओजोन अणुओं के विनाश की दर निर्माण दर से कहीं अधिक हो गयी है। इस कारण ओजोन परत में क्षति की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। मानव द्वारा खोजे गये रसायन वायुमंडल में पहुंचकर ओाजन परत को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे रसायनों को ओजोन क्षयक पदार्थ या ओ.डी.एस. कहते हैं। इनमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मिथाइल क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड आदि प्रमुख हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी मानव जनित रसायन है। इन्हें फ्रेआन भी कहते हैं। इनकी खोज सन् 1928 में हुई।

कभी–कभी प्राकृतिक घटनाएं भी ओजोन परत की क्षय का कारण होती हैं। ज्वालामुखी का फटना इनमें से एक है। ज्वालामुखी के फटने से प्रचुर मात्रा में हानिकारक गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं और परत की हानि का कारण बनती हैं। परन्तु इन प्राकृतिक गैसों का प्रभाव वातावरण पर अधिक समय तक नहीं रहता।

सर्वप्रथम सन् 1950 में डा. फोरमैन ने अपने साधारण उपकरणों की सहायता से ओजोन परत में क्षति की संभावना से अवगत कराया। सन् 1980 के आरंभ में उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पतली हो गई है। परन्तु उनकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उनका महत्वपूर्ण शोध कार्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' में प्रकाशित हुआ तब संपूर्ण विश्व स्तब्ध रह गया। तत्पश्चात ओजोन परत पर (क्षरण पर) अध्ययनरत अमेरिका के वैज्ञानिकों ने डा. फोरमैन की खोज की पुष्टि की और बताया कि अंटार्कटिका के

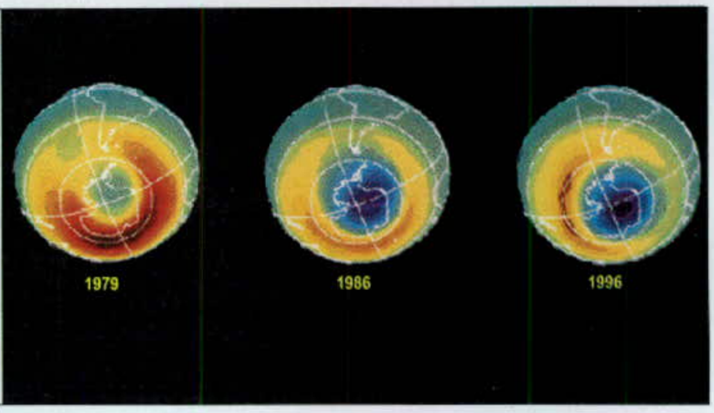

ठीक ऊपर ओजोन परत बहुत अधिक पतली हो गयी है। जिसे आज 'ओजोन होल' या ओजोन छिद्र' कहते हैं। जिसका आकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूरे भू-भाग और गहराई माउंट एवरेस्ट के बराबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार ओजोन क्षय का दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारी पृथ्वी पर ही पड़ेगा लेकिन दक्षिणी ध्रुव में स्थित कुछ देश जैसे- आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणवर्ती भाग दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि ओजोन परत की क्षति से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश हैं। ज्ञात हो कि आस्ट्रेलिया में तो 1960 से ही ओजोन परत के पतली होने का खतरा मंडला रहा है। संसार में सर्वाधिक चर्म रोगी आस्ट्रेलिया में है।

विज्ञान के बढ़ते कदम के साथ-साथ औद्योगिक विकास की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। औद्योगिक विकास की दौड़ ने आज मनुष्य को विनाश की कगार पर खड़ा किया है। मनुष्य ने अपनी सुख-सुविधा के लिए विज्ञान की सहायता से मोटर कार, रेलगाड़ी व वायुयानों का आविष्कार किया। इन सभी से काफी मात्रा में हानिकारक गैसें जैसे- नाइट्रस आक्साइड, हाइड्रोकार्बन के यौगिक, कार्बन डाइ आक्साइड एवं कार्बनमोनो आक्साइड का निर्माण होता है। ये सभी गैसें ओजोन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती हैं और उसका (ओजोन का) क्षय करती हैं।

ओजोन परत की क्षति से वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों से पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है जिसे 'ग्रीन हाउस प्रभाव' कहते हैं। अगर तापमान में वृद्धि इसी प्रकार रही तो अनुमान है कि हिमालय पर वर्षों से ग्लेशियर के रूप में जमी बर्फ के पिघलने का खतरा उत्पन्न हो जायेगा। जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और परिणामस्वरूप समुद्र के किनारे बसे शहरों का आंशिक या पूर्ण रूप से डूबने का खतरा है।

ओजोन परत की क्षति एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्या है जिसके निवारण के लिए मार्च सन् 1985 में आस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 'वियना कंवेंशन' के नाम से जाना जाता है। इसके दो वर्ष पश्चात यानि सन् 1987 में कनाडा के मांट्रियल शहर में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसे 'मांट्रियल प्रोटोकॉल' कहते हैं। इसमें सीएफसी व अन्य ओजोन क्षयकों पर रोक लगाने पर विचार किया गया। भारत ने इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये हुए हैं। (1992 में)। 16 सितंबर को 'अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में घोषित करना इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास हैं। 'क्योटो प्रोटोकॉल' फरवरी 2005 में लागू हो गई।

इस प्रकार ओजोन परत के संरक्षण के विश्व स्तर पर सांगठनिक प्रयास हो रहे हैं। परन्तु कुछ देश जैसे अमरीका जो विश्व के समस्त उत्सर्जन का 25 प्रतिशत उत्सर्जन करता है इस विषय पर उदासीन रवैया अपनाये हुए हैं। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा और अंधाधुंध विकास की कीमत पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया व्यवहार में लाने से बचना होगा जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती हो। तभी हम आने वाली पीढ़ी को 'टिकाऊ विकास' का लाभ प्रदान कर पायेंगे।

(लेखक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सूचीबद्ध पत्रकार हैं)

ग्रामीण भारत में पुरुषों के लिए कुआं खोदने हैं का कार्य और महिलाओं के लिए पौधा रोपण का कार्य सबसे अधिक मजदूरी वाले पेशे

श्रम ब्यूरो द्वारा 2004-05 के लिए जारी ग्रामीण श्रम जांच-पड़ताल के अनुसार पुरुषों के लिए कृषि व्यवसाय में कुआं खोदना सबसे अधिक मजदूरी वाला कार्य बना हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर इस पेश में औसतन दिहाड़ी मजदूरी दर अलग-अलग रही है। यह जुलाई, 2004 में 90.62 रुपए थी, लेकिन मई, 2005 में 80.65 रुपए रह गई। यह देखा गया कि कुआं खुदाई के काम में पुरुषों के लिए वर्ष भर औसत मजदूरी दर सबसे अधिक केरल में और सबसे कम मध्यप्रदेश में थी। पुरुषों के लिए दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मजदूरी वाला काम हल जोतना और बीज रोपण है।

महिलाओं के लिए सबसे अधिक मजदूरी वाले पेशा फसल की कटाई और उसके बाद वृक्षारोपण और अंत में कुआं खोदना है। महिलाओं के लिए अखिल भारतीय औसत मजदूरी दर फसल कटाई में जहां नवंबर, 2004 में 48.67 रुपए थी वहां जून 2005 में यह 53.66 रुपए हो गई। आमतौर पर यह देखा गया कि अधिकांश व्यवसायों में महिलाओं के लिए औसत दिहाड़ी मजदूरी दर पुरुषों के मुकाबले कम हैं। श्रम ब्यूरो के अनुसार इसका मुख्य कारण कोटेशनों की संख्या में अंतर है क्योंकि ग्रामीण स्तर पर सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि स्त्री-पुरुष आधार पर मजदूरी में अंतर गांवों में ज्यादा मायने नहीं रखता।

यह भी देखा गया है कि सभी वर्गों के मजदूरों के लिए भेड़-बकरी पालन सबसे कम मजदूरी वाला पेशा है। इस पेशे में पुरुषों और महिलाओं के लिए वार्षिक औसत दिहाड़ी दर 2004-05 के दौरान क्रमशः 41.51 रुपए और 31.68 रुपए रही।

ग्रामीण मजदूरी जांच के अधीन मजदूरी दर आंकड़े जुलाई, 1986 से प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए 20 राज्यों में फैले 600 नमूना गांवों से 11 कृषिगत पेशों और 7 गैर-कृषिगत पेशों के बारे में एकत्र किए जाते हैं। पूछताछ से खेतिहर और ग्रामीण मजदूरों के काम और रहन-सहन के हालात के बारे में आंकड़े प्राप्त होते हैं। ये आंकड़े न्यूनतम आय और खेती की लागत के अध्ययन तैयार करने में सहायक होते हैं।

RAU'S IAS

A name that Nation trusts

Amazing Success

Our 2005 Exam Results : Nine positions secured by our students in first 20 and 49 in first 100 with overall 203 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India except Jaipur. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of people across India, but no one can match our quality.

Programme Highlights

Civil Services/PCS Exam - 2007

- Personal Guidance (English Medium) is available for -
  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for -
  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

If you are taught by the stars, sky is the limit.

New batches for 2007 Exam, start from 27th October, 2006

Admission Open, Apply Now.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

Head Office : 309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone : 23738906-07, 23318135-36, 32448880-81, 65391202, Fax: 23317153

Jaipur Centre : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015, Ph.: 0141-6450676, 3226167, 9351528027

For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH-09/06/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

शिक्षा राष्ट्र विकास की कुंजी

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय